दसवां महाधिवेशन

दस्तावेज़

सीटू प्रकाशन

प्रस्तावना

यह पुस्तिका भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र (सीटू) के 27-31 दिसम्बर को हैदाराबाद में सम्पन्न दसवें महाधिवेशन के सभी दस्तावेजों का संकलन है। इस पुस्तिका में ''सी आइ टी यू के नीति सम्बन्धी दस्तावेज-2001'' सम्मिलित नहीं किये गए हैं जिन्हें विभिन्न कमिशनों में बहस करके अंतिम रूप दिया गया था। नीति सम्बन्धी दस्तावेज का प्रकाशन एक अलग पुस्तिका के रूप में किया गया है।

इस पुस्तिका में समाहित दस्तावेज सी आइ टी यू के नवम महाधिवेशन के बाद की अवधि में घटित महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय घटनाओं तथा देश के सामाजिक-राजनीतिक एवं आर्थिक परिदृश्य के सम्बन्ध में सी आइ टी यू के विचारों एवं दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। इसमें मुख्य रूप से भावी कार्यों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। महाधिवेशन के प्रतिनिधियों ने इन दस्तावेजों पर विस्तार में चर्चा की थी तथा इन्हें पारित किया था। महासचिव की रिपोर्ट में प्रतिनिधियों द्वारा दिये गए उन सुझावों एवं संशोधनों को जोड़ा गया है जिन्हें महाधिवेशन में पारित किया गया था। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दस्तावेजों को प्रकाशित करने का उद्देश्य इन विषयों पर और गहरा अध्ययन करना तथा सी आइ टी यू संगठन के प्रत्येक स्तर पर बहस करना है।

हमारा विश्वास है कि सी आइ टी यू की समितियां तथा उससे सम्बद्ध श्रमिक संघ इस प्रकाशन से अवश्यमेव लाभ उठाएंगे। सी आइ टी यू की अनेक राज्य समितियों ने इन विषयों में गहरी रुचि ली है और इन दस्तावेजों के प्रारूप का अनुवाद अपनी भाषाओं में कराया ताकि उनके प्रतिनिधि इससे लाभान्वित हो सकें। अब जबकि इन दस्तोवजों को अंतिम रूप दिया जा चुका है, इसलिये हमारा सुझाव है कि राज्य समितियां स्थानीय भाषाओं में भी इनका प्रकाशन कराएं ताकि न केवल श्रमिकों की व्यापक श्रेणियां अपितु देश भर के ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता सी आइ टी यू की नीति से अवगत हो सकें और वे उसे समझ सकें।

1 मई, 2001

एम० के० पन्धे
महासचिव
सी आइ टी यू

विषय सूची

पृष्ठ

- स्वागत भाषण 5
- अध्यक्षीय भाषण 9
- महासचिव की रिपोर्ट 25
- संगठन पर हमारे कार्य 98
- कामकाजी महिलाओं के मोर्चे पर हमारे कार्य 113
- क्रीडेंशियल समिति की रिपोर्ट 117
- अध्यक्ष का समापन भाषण 120
- सी आइ टी यू के नये पदाधिकारी तथा जनरल कौंसिल/कार्य समिति के सदस्यों के नामों की सूची 126

स्वागत भाषण

कामरेड अध्यक्ष,
सी आइ टी यू के दसवें महाधिवेशन के प्रतिनिधि साथियो,
अन्तर्राष्ट्रीय भ्रातृ संगठनों के सम्माननीय अतिथियो,
भ्रातृ श्रमिक संघों तथा जन संगठनों के नेताओ,
मित्रो तथा साथियो,

मैं स्वागत समिति की ओर से आप सब का यहां पधारने पर गर्मजोशी से हार्दिक स्वागत करता हूँ, मेरे लिये यह अतीव हर्ष का विषय है। मैं सी आइ टी यू के निर्माताओं का स्वागत करता हूं जिन्होंने वीरतापूर्वक सभी कठिनाईयों का सामना करते हुए इस जुझारू संगठन का निर्माण किया है। मैं श्रमिक आंदोलन के उन नायकों का भी स्वागत करता हूं जिन्होंने आपात काल की भयावह स्थितियों को झेला था, जिन्होंने न केवल अपना अस्तित्व बनाए रखा अपितु संगठन को सुदृढ़ बनाया, उन साथियों की बदौलत हमारा संगठन आज की स्थिति में पहुंच सका है। मैं हजारों युवा साथियों का स्वागत करता हूँ जो अत्यंत साहसी हैं, जो दिन प्रतिदिन विकसित होकर श्रमिक आंदोलन में कूद रहे हैं और उसकी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। मैं दूसरे देशों से आए अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत करता हूं जो साम्राज्यवाद की दादागिरी, भूमण्डलीकरण तथा उदारीकरण विरोधी संघर्ष की अंग्रिम पंक्तियों में हैं। इस अवसर पर मैं देश के उन लाखों-लाख श्रमिकों तथा कार्यकर्ताओं का अभिनंदन भी करूँगा जो संघर्ष की भट्ठी में तप कर फौलाद बन चुके हैं और जिन्होंने श्रमिक वर्ग की एकता तथा संघर्ष के झण्डे को ऊंचा रखा है।

आंध्र प्रदेश प्रमुख रूप से एक कृषि प्रधान राज्य है, इसका उद्योगीकरण स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की अवधि में हुआ था। साम्राज्यवाद विरोध की उसकी महान परम्पराएं हैं। वर्ष 1921 के ''असहयोग आंदोलन'' में देश के आह्वान से

प्रेरित अनेकानेक युवकों ने अपने स्कूल-कालेज छोड़ दिये थे और वे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगे थे। हमारे राष्ट्रीय नायक, आलुरू श्रीरामाराजू ने एक कदम और आगे बढ़ाया, उन्होंने 1921-25 तक स्वतंत्रता के लिये युद्ध छेड़ दिया, इस युद्ध में भाग लेने वाले सैंकड़ों युवकों को ब्रिटिश सेना द्वारा मार दिया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की अवधि में भी देश के प्रति उनका योगदान कम नहीं रहा। उन्होंने ही सर्वप्रथम मांग की थी कि सामंतवाद को समाप्त किया जाए और कृषि भूमि उन्हीं किसानों को दी जाए जो उस पर हल चलाते हैं। इस प्रकार तेलंगाना में किसानों का महान सशस्त्र विद्रोह हुआ था जिसमें चार हजार से अधिक लोगों ने अपने जीवन का बलिदान करके यह दर्शा दिया था कि इस व्यवस्था को कैसे समाप्त किया जा सकता है।

वर्तमान में भी यह मूलभूत समस्या बनी हुई है, इसकी काली परछाई ने पूरे देश को अपने आगोश में ले रखा है। आंध्र प्रदेश की जनता ने एक बार पुनः भाषाई राज्यों का गठन करने तथा सामंती राज्यों को समाप्त करने का नारा ऊँचे स्वर में लगाया था। उन्होंने उसके लिये संघर्ष किया जिसके फलस्वरूप आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना हुई और निजामशाही के शासन का अंत हो गया। संघर्ष की इस गाथा से प्रेरित होकर देश में अनेक संघर्ष चलाए गए, इन्हीं संघर्षों के फलस्वरूप अन्ततोगत्वा पूरे भारत का संघीय आधार पर पुनर्गठन हुआ और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। जब यह प्रश्न उठा कि कृष्णा नदी के पानी का उपयोग अन्य क्षेत्रों की जल सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये किया जाना चाहिए, तब पूरे प्रदेश की जनता एकजुट हो गई, उसने इसके लिये जबरदस्त संघर्ष किया जिसकी परिणति नागार्जुन सागर परियोजना की स्थापना के रूप में हुई। ये सभी उपलब्धियाँ कड़े एवं लम्बे संघर्षों तथा बलिदानों के फ़लस्वरूप प्राप्त की जा सकी हैं। विशाखापत्तनम में इस्पात संयंत्र की स्थापना करने के लिये चलाया गया आंदोलन तो संघर्षों के इतिहास का एक मील पत्थर है।

हाल ही की अवधि में भी श्रमिक वर्ग द्वारा अनेक संघर्ष चलाए गए हैं, इन सभी संघर्षों में भारी बलिदान दिये गए। जूट उद्योग के श्रमिकों, सीमेंट उद्योग के श्रमिकों, तम्बाकू श्रमिकों तथा नेलूर के श्रमिक नेताओं ने श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा के लिये अपूर्व बलिदान दिये हैं। दो मास पूर्व बिजली की दरों में वृद्धि किये जाने के विरुद्ध संघर्षरत हमारे तीन बहुमूल्य साथी पुलिस की बर्बर फायरिंग में मारे गए, इन साथियों में स्टेट राजका संगम के एक नेता भी सम्मिलित हैं। इन्हीं शहीदों की शहादत के फलस्वरूप हमारा संगठन आगे बढ़ा है और संघर्ष की ज्वाला में तप कर फौलाद बना है। सी आइ टी यू ने इन सभी संघर्षों में अपना प्रमुख योगदान दिया

है, नि:संदेह सी आइ टी यू इस पर गर्व कर सकता है।

समाज एवं संस्कृति के क्षेत्र में सुधार लाने के मामले में भी आंध्र प्रदेश की जनता अग्रणी रही है। इस क्षेत्र के शीर्षस्थ महापुरुषों में कण्दकुरी वीरेसालिंगम भी सम्मिलित हैं, इन्होंने समाज सुधार आंदोलन में महान योगदान दिया था; उन्होंने विधवा विवाह, अन्तर जाति विवाह, दहेज विरोधी आंदोलन चलाए; उन्होंने हरिजनों के कल्याण के लिये भी आंदोलन चलाया, इन आंदोलनों में लाखों लोगों ने भाग लिया था। महान साहित्यकार गुराजाडा अप्पा राव ने देश भक्ति की अप्रतिम कविता *''देशभक्ति गीतम''* की रचना की थी जिसमें सार्वभौमिक भाईचारे तथा प्रेम का संदेश दिया गया था। उनके द्वारा रचित नाटक *कन्यासुलकम* अत्यंत महान कृति है, उसमें सभी प्रकार के समाज सुधार लाने की प्रेरणा दी गई थी, स्वयं वीरेसालिंगम ने भी इन्हीं सुधारों के लिये संघर्ष किया था। गिडुगू रामामूर्ति ने बोलचाल की भाषा तेलगू के पक्ष में जोरदार प्रचार अभियान चलाया था और उनके द्वारा चलाए गए कड़े संघर्ष के फलस्वरूप अन्ततोगत्वा सरकार तथा विश्वविद्यालयों को बोलचाल की तेलगू भाषा अपनाने के लिये विवश होना पड़ा था।

यहीं पर बस नहीं, कामरेड पी० सुन्दरैय्या का योगदान भी अभूतपूर्व है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने संगठन में पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को लाने की व्यवस्था शुरू की थी तथा इस दिशा में पहलकदमी की थी। वह एक सामंत परिवार से सम्बन्ध रखते थे—उन्होंने अपनी सारी सम्पत्ति संगठन को दे दी और पूरा जीवन उन्होंने अत्यंत अल्प मानदेय लेकर एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में संगठन का काम किया। उनसे प्रेरणा लेकर सैंकड़ों-हजारों कार्यकर्ता राजनीतिक एवं जन संगठनों में सम्मिलित हुए, ये कार्यकर्ता आज किसी भी संगठन की शक्ति बने हुए हैं।

आज हम देश भक्ति की उसी पताका को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जिसे हमारे पूर्वजों ने उठाया था और जो हमारे पास उनकी धरोहर है। सत्ताधारी श्रेणियां अमरीकी साम्राज्यवादियों तथा उनके कठपुतली संगठनों विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व व्यापार संगठन के निदेशों का पालन करते हुए हमारी बहुमूल्य स्वतंत्रता, सम्प्रभुता तथा राष्ट्रीय अखण्डता को खतरे में डाल रही हैं। यदि अतीत में स्वतंत्रता के लिये चलाया गया संघर्ष हमारा देशभक्तिपूर्ण कर्त्तव्य था तो वर्तमान में उसकी रक्षा करना भी हमारा देशभक्तिपूर्ण कर्त्तव्य है। मैं आशा करता हूं कि यह महाधिवेशन साम्राज्यवादी हमले के विरुद्ध संघर्ष करने के हमारे पावन कर्त्तव्य का पालन करने में हमारा मार्ग दर्शन करेगा।

स्वागत समिति की ओर से मैं एक बार पुन: आप सब का स्वागत करता हूं।

हमारे प्रबंधों में अनेक कमियां हो सकती हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उसे स्वागत समिति के ध्यान में लाएं और अपना पूरा ध्यान महाधिवेशन की कार्रवाई पर केन्द्रित करें।

एन प्रसादा राव
अध्यक्ष
स्वागत समिति

अध्यक्षीय भाषण

गणमान्य अतिथियो, प्रतिनिधि साथियो, तथा मित्रो,

सर्वप्रथम मैं भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र (सीटू) के दसवें महाधिवेशन के उद्घाटन सत्र में भाग लेने के लिये यहां अर्थात् आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद के इस प्रसिद्ध शहर में एकत्रित होने वाले आप सभी महानुभावों का अभिनंदन करता हूं।

यह महाधिवेशन एक ऐसे समय में हो रहा है जब विश्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बड़ी-बड़ी बातें किये जाने पर भी वर्तमान में मंदे की मार झेल रही है, अर्थ शास्त्र के अनेक पण्डितों के अनुसार इसका प्रस्फुटन एक और गहरे संकट के रूप में होगा। उदाहरणार्थ एक प्रसिद्ध अमरीकी अर्थ शास्त्री-पाल क्रुगमैन-ने अपने एक लेख ''द रिटर्न आफ डिपरेशन इकनामिक्स'' अर्थात् आर्थिक मंदे की वापसी में लिखा है— ''मूल समस्याएं दूर नहीं हुईं, ये अस्थिरता उत्पन्न कर रही हैं और हम केवल तीन अंगों वाले नाटक के तीसरे भाग के मंचन की प्रतीक्षा ही कर रहे हैं; नाटक के पहले भाग का मंचन वर्ष 1995 में मैक्सीको में हुआ था, दूसरे भाग का मंचन 1997 तथा 1998 में एशिया में हुआ था और तीसरे भाग का मंचन अभी होना है। शायद इस तीसरे भाग का मंचन पहले ही शुरू हो चुका है। इस वास्तविक तीसरे भाग की घटनाएं केवल आर्थिक ही नहीं होंगी (जो अवश्यमेव होंगी) किन्तु यह एक सामाजिक विद्रोह का प्रस्फुटन होगा।'' (मंथली रिव्यू)

साम्राज्यवादियों द्वारा संचालित तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष-विश्व बैंक-विश्व व्यापार संगठन की तिकड़ी के माध्यम से आगे बढ़ाई जा रही आर्थिक नीतियों के दुष्परिणाम स्वरूप एक बहुत ही छोटी अल्पसंख्या के हाथों में धन सम्पदा इकट्ठी हो रही है—यह छोटी सी अल्पसंख्या प्रमुखतया साम्राज्यवादी देशों विशेष रूप से अमरीका में स्थापित विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों की है। इसके विपरीत विश्व की 80

प्रतिशत जनसंख्या पर इसका विषम दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इन घटनाओं की अनदेखी करके जिसे बुद्धिमत्तापूर्ण कदापि नहीं कहा जा सकता, भारत सरकार विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निदेशित संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में लगी हुई है। सरकार के स्वामित्व वाले उपक्रमों का निजीकरण किया जा रहा है, इनमें वित्तीय क्षेत्र तथा सेवाएं भी सम्मिलित हैं; सरकार के खर्चों में कटौती की जा रही है; निर्यातोन्मुखी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है; व्यापार एवं निवेशों का उदारीकरण किया जा रहा है, उर्वरकों पर सब्सिडियां कम की जा रही हैं; खाद्य पदार्थों, ईंधन, दवाओं जैसी उपभोक्ता वस्तुओं पर सब्सिडियां समाप्त की जा रही हैं; करों की दरें घटाई जा रही हैं अर्थात् सरकार इस विनाशकारी नीति को अपनी पूरी शक्ति के साथ लागू कर रही है। इन कार्रवाईयों के फलस्वरूप ही विदेशी बहुराष्ट्रीय पूंजी हमारी अर्थ व्यवस्था पर अपना आधिपत्य अथवा बर्चस्व स्थापित कर पा रही है और इस प्रकार हमारी मातृभूमि की स्वतंत्रता जिसे कठोर संघर्षों के फलस्वरूप हमने प्राप्त किया था, खतरे में पड़ रही है। इन नीतियों का विनाशकारी दुष्प्रभाव केवल समग्र रूप में श्रमिक वर्ग को ही प्रभावित नहीं कर रहा है अपितु किसान जनता पर भी इसका गहरा दुष्प्रभाव पड़ रहा है—इसके कारण देश के विभिन्न भागों में अनेक किसानों को आत्महत्याएं करने पर विवश होना पड़ा है।

देश के श्रमिक संघ इसके विरुद्ध आंदोलित हैं, विभिन्न उद्योगों जिन्हें निजीकृत किया जा रहा है, में विरोध हड़तालें बढ़ती चली जा रही हैं। यद्यपि यह एक अच्छी बात है, तथापि सरकार की नीतियों को बदलने के लिये ये संघर्ष पर्याप्त नहीं हैं। तथापि, श्रमिक वर्ग का मनोभाव बदल रहा है, वह संयुक्त और गम्भीर संघर्षों के माध्यम से इस चुनौती को स्वीकार कर रहा है।

भारत की अर्थव्यवस्था प्रगति की मंथर गति के लक्षणों को दर्शा रही है, इसका प्रभाव सभी क्षेत्रों पर पड़ रहा है। विषम व्यापार संतुलन होने के कारण विदेशी मुद्रा की देनदारी बढ़ रही है। तेल के बढ़ते मूल्यों और रुपये के मूल्य में निरंतर ह्रास होने के फलस्वरूप स्थिति और अधिक बिगड़ रही है। प्रभात पटनायक के अनुसार ''देश ऋण जाल में फंसता चला जा रहा है। 31 मार्च 1999 को केंद्रीय सरकार की कुल देनदारी 10,12,486 करोड़ रुपये थी; जो सकल घरेलू उत्पाद का 57.44 प्रतिशत है। 1994-95 के पश्चात् धन का कुल अन्तर्वाह मूल पूंजी तथा ब्याज के पुनर्भुगतान की देनदारी के लिये पर्याप्त नहीं था जिसके चलते सरकार को अपने इन आश्वासनों को पूरा करने के लिये और उधार लेना पड़ा। अप्रैल-अगस्त 2000 की अवधि के लिये पुनर्भुगतान की देनदारी 3.5 अरब डालर थी और विश्व

बैंक द्वारा तीन अरब डालर का नया ऋण देने का वादा किया गया था और यह ऋण विशेष रूप से पिछले ऋणों के पुनर्भुगतान तथा सेवा खर्चों को पूरा करने के लिये आवश्यक है, अत: हम ऋण जाल में फंस चुके हैं।'' वित्त मंत्री अब भी बढ़-चढ़ कर बातें कर रहे हैं कि वर्षांत तक हमारी अर्थ व्यवस्था की गाड़ी पटड़ी पर आ जाएगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति और स्वयं उनके अपने प्रशंसक भी उनकी बात को गम्भीरता से नहीं ले रहे।

सरकार से दूसरी पीढ़ी के संरचनात्मक सुधारों के कार्यान्वयन हेतु तेज कार्रवाई करने की मांग करने के मामले में इजारेदार घराने मुखर हैं। वे मांग कर रहे हैं कि पूंजी विनिवेश की प्रक्रिया तेज की जानी चाहिए; सभी सब्सिडियां कम की जानी चाहिये; वे सभी कानून समाप्त कर दिये जाने चाहिये जो विदेशी पूंजी के खुल खेलने के मार्ग में बाधा बन रहे हैं; श्रमिकों के प्रतिरोध को धाराशायी कर देने के लिये श्रम कानूनों का तत्काल उदारीकरण किया जाना चाहिये इत्यादि। उन्हें तो बस बहुराष्ट्रीय पूंजी के साथ मिल कर सार्वजनिक क्षेत्र की सम्पदा को दोनों हाथों से लूटने की ही चिंता है। हमारे औद्योगिक विकास पर इसका कितना गहरा दुष्प्रभाव पड़ रहा है, उद्योगों के सम्पूर्ण लघु क्षेत्र को कैसी कठिनाईयां झेलनी पड़ रही हैं और किसान जनता, श्रमिक वर्ग तथा भारतीय जन साधारण की बहुसंख्या पर उसका कितना अधिक दुष्प्रभाव पड़ता है, इसकी उन्हें तनिक भी चिन्ता नहीं है।

भाजपा सरकार द्वारा आगे बढ़ाई जा रही आक्रमक साम्प्रदायिक कार्यसूची लोगों में उनके धार्मिक विश्वासों के आधार पर फूट डाल रही है और देश की एकता को कमजोर कर रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश को पहले कभी भी इस प्रकार की गम्भीर स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा था। देश के श्रमिक वर्ग को इसे गम्भीरता के साथ लेना होगा क्योंकि यह कार्य सूची श्रमिक वर्ग की एकता की जड़ों पर ही कुल्हाड़ी चलाती है।

महासचिव अपनी रिपोर्ट में स्थिति की भयावहता तथा श्रमिक वर्ग के कंधों पर पड़े दायित्व के इस बोध पर विस्तृत चर्चा करेंगे।

मैं, इसलिए साम्राज्यवादी हमले की प्रकृति तथा भूमण्डलीयकृत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के चलते हमारे (श्रमिक वर्ग) काम पर पड़े दुष्प्रभावों का संक्षिप्त विवेचन करने तक ही स्वयं को सीमित रखूंगा।

अमरीका की सैन्य दादागिरी

सोवियत संघ का विध्वंस हो जाने के पश्चात् अमरीकी साम्राज्यवाद विश्व की एक मात्र महाशक्ति की भूमिका निभाने लगा है, यह एक सुविदित तथ्य है। वह अपनी भूमण्डलीय सामरिक शक्ति को सुदृढ़ बनाने के लिये व्यग्र हो चुका है, इस सम्बन्ध में वह स्वयं अपने नाटो के सहयोगी देशों तथा उन देशों जो प्रायः उसके साथ सहयोग करते हैं, द्वारा व्यक्त की गई चिन्ताओं की भी अनदेखी कर रहा है।

अमरीका द्वारा कुछ और देशों को नाटो के छाते के नीचे लाकर शीघ्रता में उसका विस्तार किया गया और ऐसा करते समय उसने अन्य सहभागी देशों के साथ उपयुक्त विचार विमर्श करने की आवश्यकता भी अनुभव नहीं की। उसने संयुक्त राष्ट्र की स्वीकृति लिये बिना युगोस्लाविया पर आक्रमण कर डाला जबकि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय कानूनी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत इसके लिये संयुक्त राष्ट्र की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक है। इससे पता चलता है कि उनके मन में संयुक्त राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के लिये कोई सम्मान नहीं है। वह स्वयं को सब बातों से ऊपर मानता है और ऐसा दिखा रहा है कि मानों ''उसकी सम्प्रभुसत्ता अन्य देशों की सम्प्रभुसत्ता से ऊपर है।'' उसकी यह भावना स्वयं कानून बनाने के उसके प्रयासों में से प्रतिबिम्बित होती है और ये कानून दूसरे सम्प्रभुसत्ता सम्पन्न देशों पर लागू किये जाते हैं जो उसकी सीमाओं में ही नहीं आते। उदाहरणार्थ कुख्यात हेल्मस-बर्टन कानून का उपयोग क्यूबा के विरुद्ध नाकाबंदी को और कड़ा बनाने के लिए किया गया। इस श्रृंखला में नवीनतम ''आतंकवादी कार्रवाईयों के पीड़ितों के साथ न्याय'' नामक कानून है, यह कानून प्रत्येक उस देश की परिसम्पत्तियों को छीन लेने का अधिकार प्रदान करता है जिन पर उसकी कुदृष्टि हो। एक अमरीकी अदालत ने इसी के आधार पर हाल ही में 58 करोड़ अमरीकी डालर की क्यूबाई परिसम्पत्तियों को जब्त करने और उनका धन उन लोगों के आश्रितों को दे देने का आदेश दिया था जो क्यूबा पर अमरीका की सहायता से हुए हमले में मारे गए थे; यह हमला तथाकथित ''क्यूबाई अमरीकियों'' ने फरवरी 1999 में किया था। इसके विरुद्ध हवाना में जोरदार प्रदर्शन तथा विरोध की अन्य कार्रवाईयां हुईं। अमरीकी नाकाबंदी के विरुद्ध विश्व भर में जन आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है। अमरीका न केवल संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों की अनदेखी कर रहा है अपितु हमले की और भी क्रूर विधियों को उपयोग में ला रहा है।

अमरीका अपनी विशाल सैन्य शक्ति के बल पर पूरे विश्व में एक महाकाय दैव की भांति अपनी धाक जमा रहा है। पूरे विश्व में सेना पर जो खर्च होता है

उसका एक तिहाई भाग केवल अमरीका में खर्च होता है; कोई भी दूसरा देश इतना अधिक धन सेना पर खर्च करने की स्थिति में नहीं है। उनके पूरे विश्व में सैंकड़ों सैनिक अड्डे हैं। उनमें तैनात सेना को निरंतर आधुनिकतम शस्त्रों से सुसज्जित किया जाता है और वहां अतिरिक्त बलों को भेजा जाता है। उनमें से एक सैनिक अड्डा ''डिआगो-गार्सिया'' में है। इस अड्डे के द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप को लक्ष्य बनाया गया है। वे अब ''राष्ट्रीय मिसाइल रक्षा प्रणाली'' नामक एक नयी योजना बनाने एवं शुरू करने पर तुले हुए हैं; वे दावा करते हैं कि इस योजना का उद्देश्य उत्तरी कोरिया, इराक तथा ईरान जैसे ''शत्रु'' देशों से अमरीका के अन्तर्महाद्वीपीय हितों की रक्षा करना है। पहले ही इस परियोजना पर 80 अरब डालर से अधिक राशि खर्च की जा चुकी है तथा एक अनुमान के अनुसार इस परियोजना को पूरा करने के लिये और 60 अरब डालर की आवश्यकता पड़ेगी। तथापि उसकी तकनीकी सम्भावनाएं तथा प्रभावकारिता संदेह से परे नहीं है।

यह वर्ष 1972 में अमरीका तथा सोवियत संघ के मध्य सम्पन्न बैलिस्टिक मिसाइल विरोधी संधि की अनदेखी है। उत्तरी कोरिया जैसा दुर्बल देश और युद्ध से क्षत विक्षत इराक एवं ईरान अपार शक्तिशाली अमरीका पर मिसाइल हमला करने का दु:साहस कैसे कर सकते हैं, यह बात ही कपोल कल्पना मात्र तथा आधारहीन है। तथापि अमरीका अपने राष्ट्रीय मिसाइल रक्षा कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। इसके फलस्वरूप दूसरे देशों में भी मिसाइल रक्षा के लिये होड़ शुरू हो जाएगी और विश्व का अंतरिक्ष मण्डल सैन्य अभ्यासों का थियेटर मात्र बन कर रह जाएगा। इसका विरोध बढ़ रहा है, जिसके फलस्वरूप अमरीका अलग-थलग पड़ गया है। कुछेक पिछलग्गू देश ही उसके साथ रह गए हैं।

युरोप के अनेक देश नाटो के निरंतर अस्तित्व में बने रहने के प्रश्न पर स्पष्ट नहीं हैं क्योंकि वे नहीं समझते कि निकट भविष्य में रूस की ओर से कोई खतरा उनके सिरों पर मंडरा रहा है। इसलिये उनके विचार में नाटो की अब कोई भूमिका नहीं रह गई है। यद्यपि इससे उन्हें स्वयं अपने सैनिक बजट को कम रखने में सहायता मिलती है तथापि उसका दुष्प्रभाव उनकी स्वतंत्रता पर अवश्य पड़ता है और एक प्रकार से उनकी स्वतंत्रता पर अंकुश लगता है। यही कारण है कि उनके द्वारा स्वयं अपने त्वरित कार्रवाई बल (रेगिड एक्शन फोर्स) का गठन किया गया है ताकि वे अपनी स्वतंत्रता को बनाए रख सकें और उससे लाभ उठा सकें; यह बल 60,000 सैनिकों पर आधारित है। अमरीकी अधिकारी तथा अन्य अनेक लोग युरोपीय संघ की इस कार्रवाई को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। ब्रिटिश इकानोमिस्ट में

दिनांक 18 नवम्बर 2000 को कहा गया था कि यदि युरोप तथा अमरीका अवांछित संकट को टालना चाहते हैं तो ''युरोपीय संघ की सैन्य योजना के लिये अब भी कुछ निर्णायक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है,'' उसने युरोपीय नेताओं को परामर्श दिया था कि वे ''पृथक रक्षा प्रणाली'' शुरू करके अमरीकी कार्रवाईयों का प्रतिरोध करें।

पश्चिम एशिया के मामले में ''अमरीकी हितों'' की पूर्ति करने के लिये वाशिंगटन द्वारा अपनाई गई नीति को पेरिस, लंदन, बर्लिन तथा मेडरिड पसंद नहीं करते। नाटो के अनेक सदस्य देशों को अरब-इस्राइल टकराव पर अमरीकी नीति तथा विश्व के अन्य इस्लामी देशों के प्रति नीति पर आपत्तियां हैं। उन्होंने रूस तथा चीन के साथ अपने सम्बन्धों एवं कार्य-व्यापार के मामले में ''कूटनीति तथा एकजुटता'' की नीति अपनाने को ही अधिमान दिया है। ''शत्रु देशों'' का सिद्धांत तथा प्रस्तावित राष्ट्रीय मिसाइल रक्षा कार्यक्रम उन्हें पसंद नहीं है, यद्यपि उनमें से अनेक देश इस मामले में मुखर नहीं है। फ्रांस इन नीतियों का घोर विरोधी है, वह खुले रूप में अपने विचार व्यक्त कर रहा है।

वाशिंगटन 'नाटो' को अपने नेतृत्व में चलने वाली एक विशाल एवं समेकित अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली का एक अंग मानता है। खाड़ी तेल, केन्द्रीय एशिया तथा उसके संसाधन, रूस का अब भी एक सैन्य शक्ति बने रहना, विश्व के राजनीतिक परिदृश्य में विकासशील शक्ति के रूप में चीन का उभरना, दोनों कोरिया, जापान की भावी भूमिका तथा अरब-इस्राइल टकराव इत्यादि उसकी प्राथमिक चिन्ता के विषय हैं, इनका सम्बंन्ध विश्व भर में उसकी दादागिरी को सुनिश्चित बनाने से है।

इसी मूल ढांचे में वे विश्व के सभी देशों को कूटनीति के द्वारा, उनके साथ सम्बन्ध स्थापित करके अथवा बल प्रयोग करके एक ही रस्से से बांधना चाहते हैं। अपनी इस योजना के अन्तर्गत वे भारत को महत्व देते हैं—जो चीन के पश्चात् विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। वे बड़ी चालाकी के साथ भारत-पाकिस्तान विवाद, भारत के परमाणु परीक्षणों इत्यादि का अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उपयोग कर रहे हैं। वाजपेयी सरकार कश्मीर के प्रश्न पर पाकिस्तान के साथ विरोध होने तथा चीन के साथ सीमा विवाद के चलते उनके मकड़ जाल में लगभग फंस ही चुकी है। वित्तीय मामलों में विश्व बैंक के निदेशों का भी भारत पर दबाव डालने के लिये उपयोग किया जाता है ताकि वह अमरीका के सामरिक उद्देश्यों के अनुरूप नीति का अनुसरण करे। तथापि, यह रेखांकित किया जाना होगा कि भारत ने राष्ट्रीय मिसाइल सुरक्षा कार्यक्रम पर अपनी आपत्ति व्यक्त की है।

पश्चिमी एशिया में, फिलिस्तीन तथा इस्राइल के मध्य टकराव युद्ध के बिंदु तक पहुंच चुका है। दोनों पक्षों में प्रतिदिन झड़पें हो रही हैं और इस्राइली सेनाएं दर्जनों लोगों की हत्याएं कर रही हैं। यद्यपि क्लिंटन प्रशासन (तत्कालीन) स्वयं को एक मध्यस्थ के रूप में प्रस्तुत कर रहा है और समस्या का समाधान ढूंढने का दिखावा कर रहा है तथापि यह तथ्य अपने स्थान पर बना हुआ है कि अमरीका की सहायता मिलने के फलस्वरूप ही इस्राइली शासक हठी होते चले जा रहे हैं। अमरीका फिलिस्तीनी जनता के अपनी मातृ भूमि प्राप्त करने के अधिकार को स्पष्ट रूप में मान्यता नहीं दे रहा अपितु उसने स्वयं को इस्राइली नुसखों तक ही सीमित रखा हुआ है।

अमरीका अब भी इराक के विरुद्ध आर्थिक नाकांबदी जारी रखने के लिये हठ कर रहा है यद्यपि युद्ध बहुत समय पूर्व समाप्त हो चुका था। आर्थिक नाकाबंदी के दुष्परिणामस्वरूप इराकी जनता को अकथनीय पीड़ाएं एवं कष्ट झेलने पड़ रहे हैं; उन्हें खाना, दवाएं नहीं मिलतीं तथा जीवन के लिये आवश्यक अन्य सभी मूलभूत सुविधाएं प्राप्त नहीं होतीं। अनेक देश इस अमानवीय आर्थिक नाकाबंदी का विरोध कर रहे हैं और उन्होंने इराक के साथ कारोबार करना शुरू कर दिया है। किन्तु अब भी व्यापक रूप में अमरीका का दबदबा बना हुआ है।

यद्यपि साम्राज्यवादी एकजुट हैं और वे एक साथ मिल कर काम कर रहे हैं तथापि अनेक प्रश्नों पर उनमें पास्परिक विरोध एवं आक्रोश बढ़ रहा है। उनमें से अनेक देश बढ़ती सैनिक शक्ति के साथ विश्व भर में अपना बर्चस्व स्थापित करने की अमरीकी नीति और अंतरिक्ष का सैन्यकरण करने सम्बन्धी अमरीका के प्रयासों जिनके दुष्परिणाम स्वरूप शस्त्रों की दौड़ के लिये मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और मानव विकास धाराशायी हो जाएगा, के कारण उत्पन्न खतरों को अनुभव करने लगे हैं। सबसे बढ़ कर यह राष्ट्रों की सम्प्रभुता, स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र के लिये खतरा है।

जैसा कि पहले ही रेखांकित किया जा चुका है कि विश्व के अनेक देश जिनमें रूस तथा चीन के अतिरिक्त 'नाटो' गठबंधन के देश भी सम्मिलित हैं, और उनके साथ-साथ विश्व भर में लोकतांत्रिक विचारों वाले लोगों की बड़ी श्रेणियां अनेक मामलों में अमरीकी दादागिरी का खुला विरोध करने लगी हैं। इसलिए हमें अपने देश के श्रमिक वर्ग को साम्राज्यवादी हमले की इस प्रकृति के विरुद्ध जागरूक बनाना होगा और उन्हें अमरीकी साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक व्यापक जनवादी आंदोलन चलाने के लिये तैयारियां करनी होंगी। इस मामले में सी आइ टी यू को अग्रणी भूमिका निभानी होगी।

विश्व पूंजीवाद अपना काम कर रहा है: कुछ विचलित कर देने वाले पक्ष

साथियो,

मैं वर्तमान में विश्व पूंजीवाद के समग्र रूप में आर्थिक विकास—अतिशय उत्पादन के कारण उत्पन्न संकट, धीमी प्रगति, असमान व्यापार एवं व्यापार युद्धों इत्यादि का वर्णन करने में समय नष्ट नहीं करूंगा अपितु कुछ विचलित कर देने वाले पक्ष आपके ध्यान में लाने तक ही स्वयं को सीमित रखूंगा।

अंकटाड "विश्व निवेश दृष्टिकोण" अर्थात् वर्ल्ड इन्वेस्टमैंट आउटलुक की ओर से विश्व में विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों के कार्य संचालन अथवा गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी गई है। उसकी रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में 63,000 विदेशी बहुराष्ट्रीय निगम काम कर रहे हैं और उनके साथ सम्बद्ध प्रतिष्ठानों की संख्या 6,90,000 है। उनमें से सबसे बड़े निगम विशेष रूप से लगभग विकसित देशों में स्थापित हैं। वे ही भूमण्डलीय मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों के प्रमुख संचालक अथवा नेता हैं। भूमण्डलीयकरण का काम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विशेष रूप से क्षेत्रीय सीमा पार विलीनीकरणों के द्वारा चल रहा है। 1980 के दशक से विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों की प्रगति अथवा विकास नाटकीय रहा है। भूमण्डलीय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह वर्ष 1999 में 865 अरब डालर रहा था और विश्व व्यापार संगठन को आशा है कि वर्ष 2000 तक यह दस खरब डालर तक पहुंच जाएगा। वर्तमान में, भूमण्डलीय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की वृद्धि विश्व भर में पूंजी के गठन का 14 प्रतिशत भाग बनती है। भूमण्डलीय अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह का रुख अधिकतर विकसित विश्व की ओर होता है। वर्ष 1999 में 865 अरब डालर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ था; उसमें से विकसित देशों का भाग 636 अरब डालर रहा अर्थात् कुल निवेश के तीन चौथाई भाग के लगभग। अकेले अमरीका का भाग लगभग एक तिहाई-276 अरब डालर था। यह प्रमुख रूप से विलीनीकरणों तथा अधिग्रहणों के द्वारा हुआ। अमरीका की विलीनीकरणों एवं अधिग्रहणों की गतिविधियां लगभग 233 अरब डालर की रहीं। 1999 में विदेशी उपक्रमों को खरीदने में उसकी एक चौथाई राशि लगाई गई। जिनका मूल्य 112 अरब डालर था। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार बहुराष्ट्रीय निगम भूमण्डलीयकरण से लाभान्वित होंगे जबकि विकासशील देशों में स्थापित छोटे तथा मंझौले उपक्रमों पर उसका विषम दुष्प्रभाव पड़ रहा है।

इस तथ्य से प्रमाणित हो जाता है कि बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा संचालित विश्व पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था अन्य देशों की अपेक्षा विकसित देशों विशेष रूप से अमरीका के लाभ में अधिक है जैसा कि हम ऊपर रेखांकित कर चुके हैं कि विश्व बैंक-अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष-विश्व व्यापार संगठन की त्रिमूर्ति द्वारा निदेशित भूमण्डलीयकरण, संरचनात्मक सुधारों की विनाशकारी नीतियां और व्यापार एवं निवेश की नीतियां विकसित विश्व विशेष रूप से अमरीका द्वारा तृतीय विश्व के देशों को दासत्व की भट्ठी में झोंकने वाले प्रमुख उपकरण हैं। वित्तीय पूंजी का अत्यंत विशाल भण्डार इजारेदार विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों की सेवा के लिये ही तो है और इस प्रकार प्रतिदिन लाखों डालर की राशि का विनिमय होता है। आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी (आइ टी) भी अपने अंतिम विश्लेषण में, बस इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सहायता करती है। स्वयं विश्व बैंक के विश्लेषण में वर्तमान पूंजीवादी विकास के विनाशकारी प्रभावों पर प्रकाश डाला गया है।

बढ़ती असमानता एवं दरिद्रता

एक अनुमान के अनुसार वर्ष 1999 में उत्पादन तथा सेवाओं के द्वारा उत्पादित कुल सम्पदा 41 खरब डालर की थी जिसमें से 45 प्रतिशत भाग विकसित देशों का था, जिनकी कुल जनसंख्या केवल 14 प्रतिशत है। विश्व के 100 से अधिक देश 15 वर्ष पहले जितने गरीब थे, अब और अधिक गरीब हो चुके हैं। बड़े पूंजीपति जो सम्पदा का एक बहुत बड़ा भाग प्राप्त करते हैं, वे महाकाय विदेशी बहुराष्ट्रीय निगम हैं—ये निगम अधिकतर अमरीका में स्थापित है। विश्व में 358 अरबपतियों की मिलीजुली परिसम्पत्तियां विश्व की कुल जनसंख्या अर्थात् 230 करोड़ लोगों की कुल वार्षिक आय का 45 प्रतिशत भाग हैं। उनमें से तीन अरब पतियों की सम्पत्ति 16 कम विकसित देशों की कुल राष्ट्रीय आय के समान है। क्षति झेलने वाले देश तृतीय विश्व के हैं। इसका सर्वाधिक दुष्प्रभाव अफरीकी तथा लातीनी अमरीकी देशों पर पड़ा है। उनमें से अनेक देशों में अकाल जैसी स्थिति बनी हुई है।

दरिद्रता पर विश्व बैंक रिपोर्ट (2000-2001) में बताया गया है कि विश्व की कुल 600 करोड़ जनसंख्या में से 280 करोड़ अर्थात् लगभग 50 प्रतिशत जनता दो डालर से भी कम दैनिक आय पर गुजर बसर कर रही है और 120 करोड़ लोगों की दैनिक आय एक डालर से भी कम है।

विकसित देशों में कामकाजी स्थलों पर लागू किये गए ''रोजगार विहीन

विकास'' के माडल ने श्रम शक्ति में कमी की है और बेरोजगारी की दर पहले से कहीं अधिक हो गई है। इस सम्बन्ध में उपलब्ध कराए गए सरकारी आंकड़े स्थिति का ठीक प्रस्तुतिकरण नहीं कर रहे हैं। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन अर्थात् ओ ई सी डी देशों में बेरोजगारी की आनुपातिक दर 8 प्रतिशत से ऊपर है। वेतनों तथा कल्याणकारी सुविधाओं में कटौती, ट्रेड यूनियन अधिकारों को कम से कम करना आज एक सामान्य बात बन चुकी है। विकासशील देशों में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है।

यद्यपि अमरीका में आर्थिक विकास अधिक हुआ है किन्तु वह श्रमिकों की आय में प्रतिबिम्बित नहीं होता। पिछले एक दशक में उनके वास्तविक वेतनों में कोई सुधार नहीं हुआ है जबकि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के वेतनों तथा आय में भारी भरकम वृद्धि हुई है, अरब पतियों की आय आसमान छूने लगी है। अमरीका में हाल ही में ''अमरीका में आर्थिक पक्षपात'' विषय पर कराए गए एक अध्ययन में 1990 के दशक में समृद्ध जनों के जीवन में आर्थिक उभार तथा संगठित श्रम शक्ति एवं जनता की बड़ी श्रेणियों की आय एवं मूलभूत नागरिक सुविधाओं में आई गिरावट को दर्शाया गया है। उसमें बताया गया है कि अमरीका ही केवल एक मात्र ऐसा औद्योगिक राष्ट्र है जहां ''स्वास्थ्य सेवा को विशेषाधिकार माना जाता है, मूलभूत अधिकार नहीं।'' रिपोर्ट के अनुसार 4.40 करोड़ अमरीकी नागरिकों को इस समय स्वास्थ्य बीमा की सुविधा प्राप्त नहीं है। बेरोजगारी की दर लगभग 4 प्रतिशत है। जो लोग अभी बूढ़े नहीं हुए और जिन्हें बीमा सुविधा प्राप्त नहीं है, उनकी संख्या में प्रति वर्ष 10 लाख की वृद्धि हो रही है और यह 2005 तक 4.70 करोड़ हो जाएगी—यह 65 वर्ष से कम आयु के नागरिकों की कुल संख्या का पांचवां भाग है। अमरीकी शेयर बाजार का कारोबार बढ़ने से होने वाली आय का 90 प्रतिशत भाग दस परिवारों के पास चला जाता है जबकि श्रमिकों के वास्तविक वेतन 1970 के दशक में राष्ट्रपति रहे रिचर्ड निक्सन के समय से भी कम हैं।

आइ एल ओ द्वारा प्रकाशित विश्व श्रम रिपोर्ट 2000 में विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मार्ग दर्शन में राष्ट्रीय सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही आर्थिक नीतियों पर गम्भीर टीका-टिप्पणी की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व भर में बेरोजगार 15 करोड़ लोगों में से 75 प्रतिशत लोगों को बेरोजगारी के विरुद्ध कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं है। केवल पिछले पांच वर्षों में ही घोर दरिद्रता का जीवन व्यतीत करने वाले लोगों की संख्या में 20 करोड़ की वृद्धि हुई है, 85 करोड़ लोगों को उतना काम नहीं मिलता जितने काम की उन्हें आवश्यकता होती है और वे

जीवित रहने के लिये आवश्यक आय से भी कम आय का अर्जन करते हैं। लगभग सभी ओ ई सी डी देशों में बेरोजगारी लाभ के रूप में दी गई सुरक्षा समाप्त कर दी गई है, उसके कानून कड़े कर दिये गए हैं और उसकी अवधि कम कर दी गई है। 25 करोड़ बच्चों के श्रम बाजार में प्रविष्ट होने का प्रमुख कारण दरिद्रता ही है।

मैं, पूंजीवादी व्यवस्था के कामकाज तथा व्यापक रूप में जन साधारण, विशेष रूप से श्रमिक वर्ग पर उसके दुष्प्रभावों की विस्तृत चर्चा नहीं करूँगा। पूंजीवाद की विनाशकारी व्यवस्था प्रौद्योगिकीय विकास के साथ मानव जीवन विकास एवं उसकी गरिमा को सुनिश्चित बना नहीं सकती।

एक अलग परिदृश्य

लोक चीन गणराज्य में एक भिन्न प्रकार का परिदृश्य देखने को मिलता है। पिछले दो दशकों में चीन में प्रति व्यक्ति आय वास्तविक अर्थों में चार गुणा से अधिक बढ़ी है। वार्षिक विकास दर 10 प्रतिशत से ऊपर रही, जो विश्व के किसी भी अन्य देश से अधिक है। कुछ अमरीकी अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया है कि चीन तीन दशकों के भीतर अमरीका की वर्तमान विकास दर से भी अधिक विकास दर को प्रास कर लेगा अर्थात् वह उससे आगे निकल जाएगा। इस विचार मात्र से ही उन लोगों को झटका लगेगा जो पूंजीवादी व्यवस्था की श्रेष्ठता की शेखी बघारते हैं।

एक और दैदिप्यमान उदाहरण एक नन्हें से देश क्यूबा की है। अमरीका द्वारा क्यूबा के विरुद्ध पैशाचिक आर्थिक नाकाबंदी किये जाने पर भी क्यूबा ने अदम्य उत्साह एवं दृढ़ता के साथ समाजवाद के झण्डे को ऊंचा रखा है। हमारे युग के सबसे ऊँचे एवं महान क्रांतिकारी नेता कामरेड फीदल कास्त्रो अमरीकी नाकेबंदी के विरुद्ध जबरदस्त जनमत बनाने में सफल रहे हैं, अमरीका की जनता भी इसमें सम्मिलित है। जैसा कि मैं रेखांकित कर चुका हूं, अमरीकी साम्राज्यवाद क्यूबा के विरुद्ध निरंतर घृणित कार्रवाईयां कर रहा।

प्रतिरोध बढ़ रहा है...

इस व्यवस्था के विरुद्ध अलग-अलग ढंग से प्रतिरोध सर्वत्र बढ़ रहा है, उसमें श्रमिक वर्ग की भूमिका बढ़ती चली जा रही है। विकसित देशों में सक्रिय अनुदारवादी (या दूसरे शब्दों में रूढ़ीवादी) श्रमिक संघ भी बड़े-बड़े हड़ताली संघर्षों में खिंचे चले आ रहे हैं।

विश्व व्यापार संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक की बैठकों के समय बड़े विरोध प्रदर्शन हुए जिनके कारण उन्हें कार्यसूची पूरी किये बिना ही बैठकें समाप्त करने पर विवश होना पड़ा। 50,000 प्रदर्शनकारियों ने 27 नवम्बर से 3 दिसम्बर 1999 तक अमरीका के शहर सिएटल में आयोजित विश्व व्यापार संगठन की मिनिस्टीरियल (मंत्री स्तरीय) बैठक को ठप्प कर दिया था; ये प्रदर्शनकारी विश्व के अनेक देशों से अपना रोष एवं आक्रोश व्यक्त करने के लिये सिएटल पहुंचे थे। पुलिस की व्यापक सुरक्षा व्यवस्था भी उन प्रदर्शनकारियों को वहां पहुंचने से रोक नहीं सकी थी। अन्ततः कोई गम्भीर काम किये बिना ही बैठक बीच में ही समाप्त कर देनी पड़ी। वाशिंगटन डी सी में 16 तथा 17 अप्रैल 2000 को आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक की बैठक के विरुद्ध 30,000 लोगों ने रोष प्रदर्शन किया था। थाईलैंड, मेलबोर्न तथा प्राग इत्यादि में भी यही कहानी दोहराई गई जहां विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं उनसे सम्बद्ध अन्य संगठनों की बैठकें हुई थीं। इन संगठनों की सम्भावित बैठकों के दृष्टिगत बहुत पहले ही रोष प्रदर्शनों की योजनाएं बना ली गईं थीं। श्रमिक संघों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पर्यावरण विदों, छात्रों तथा बुद्धिजीवियों ने इन रोष प्रदर्शनों में भाग लिया था। इस प्रकार के रोष प्रदर्शनों में भाग लेने वाले श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है। इन रोष प्रदर्शनों ने विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व व्यापार संगठन द्वारा निभाई जा रही विनाशक एवं घृणित भूमिका की ओर पूरे विश्व का ध्यान खींचा है। इन्हें पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध बढ़ते चले जा रहे सामान्य जन आक्रोश एवं असंतोष का परिणाम माना जाता है। ''विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व व्यापार संगठन—मुर्दाबाद'' ऐसे सामान्य नारे थे जो इन बैठकों के समय रोष प्रदर्शनों में लगाए गए।

बोलिविया में सार्वजनिक क्षेत्र की जल आपूर्ति व्यवस्था का निजीकरण किये जाने के विरोध में 13 दिनों तक चली हड़ताल के फलस्वरूप सरकार को निजीकरण रद्द करना पड़ा और अमरीकी तथा ब्रिटिश कम्पनियों को वहां से अपना बिस्तर गोल करना पड़ा था। फ्रांस, ब्रिटेन तथा यूरोप में ट्रक चालकों तथा किसानों की हड़ताल समग्र रूप में बढ़ रहे प्रतिरोध की शानदार उदाहरणें हैं। वे चाहते थे कि सरकार ईंधन पर करों को कम करे ताकि उसके मूल्य नीचे आ सकें। फ्रांस तथा इटली की सरकारों को आंदोलनकारी किसानों तथा ट्रक चालकों की मांगें स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ा था।

अमरीका में ए एफ एल—सी आइ ओ को भी कामबंदियों तथा उद्योगों का

आकार कम किये जाने के प्रयासों के विरुद्ध गम्भीर संघर्षों में भाग लेने के लिये विवश होना पड़ा है। कोरिया में लगभग 10,000 श्रमिकों को विद्युत व्यवस्था के निजीकरण के विरोध में हड़ताल करनी पड़ी। अन्य विभिन्न छोटे तथा बड़े अथवा विकसित तथा विकासशील देशों में श्रमिकों की सुविधाओं में कटौती करने सम्बन्धी कार्रवाईयों के विरुद्ध विरोध एवं हड़ताल की कार्रवाईयां बढ़ रही हैं।

मैं उन सभी कार्रवाईयों का उल्लेख यहां नहीं करूँगा। संक्षेप में, श्रमिकों के रुख में बदलाव आ रहा है, भले ही उसकी गति धीमी है।

विचारधारक हमले

तथापि विश्व में श्रमिक वर्ग की बड़ी संख्या साम्राज्यवादी सत्ता के नेतृत्व वाली आर्थिक नीतियों तथा उनके विनाशक परिणामों के विरुद्ध जागरूक होकर विरोध की कार्रवाईयां नहीं कर रही; यह एक तथ्य है; हमें इसे गम्भीरता से लेना होगा। वे अधिकतर पूंजीवादी विचारधारा से प्रभावित हैं; यह विचारधारा अनेक प्रकार से उन्हें प्रभावित करती है; इसके अतिरिक्त वे अंधविश्वासों से ग्रस्त हैं। अब, वर्तमान पूंजीवाद की अनिवार्यता के बारे में नये-नये सिद्धान्त गढ़े जा रहे हैं विशेष रूप से सोवियत संघ तथा पूर्वी युरोप में समाजवाद को लगे धक्कों के बाद। श्रमिक वर्ग की क्रांतिकारी विचारधारा को नकारा जा रहा है और कहा जा रहा है कि मार्क्सवाद के सिद्धान्त की अब कोई वैधता नहीं रही।

''लेबर मंथली'' के जुलाई-अगस्त 2000 के अंक में प्रकाशित सम्पादक की टिप्पणी को यहां उद्धृत करना चाहूँगा:

''इस धारणा को बिना आलोचना के ही स्वीकार किया जा रहा है कि भूमण्डलीयकरण एक तत्व (अथवा सत्ता) के रूप में एक अन्तर्निहित शक्ति है; ऐसा प्रतीत होता है कि यह सर्वत्र विश्व में बदलाव ला रही है; इस प्रकार का रुझान वामपक्षी विचारों वाले लोगों में भी पाया जाता है। इस विचार अथवा रुझान के अन्तर्गत कुछ विशेष धारणाओं को मान लिया जाता है: (1) ''वर्तमान विश्व अर्थव्यवस्था या दूसरे शब्दों में स्वयं पूंजीवाद का कोई विकल्प नहीं है (पूंजीवाद से यही विभेद किया जाता है); यह अब कोई प्रश्न ही नहीं रहा और समाजवाद अब कोई सम्भावना नहीं रहा है,'' (2) भूमण्डलीय आर्थिक परिदृश्य एक तारामण्डल बन गया है जिसका सृजन मूल रूप से बहुराष्ट्रीय निगमों, अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी तथा विश्व व्यापार संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक जैसे कुछेक अन्तर्राष्ट्रीय

आर्थिक प्रतिष्ठानों द्वारा किया गया है।'' (3) विरोध की केवल एक मात्र वास्तविक शक्ति गैर सरकारी संगठनों का एकत्रीकरण है; यह शक्ति भूमण्डलीय नागरिक (सभ्य) समाज का प्रतिनिधित्व करती है।'' और (4) ''इसका लक्ष्य नव उदारवादी नीति को बदलना और निगमों एवं आधारभूत अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों को अधिक जनतांत्रिक तथा मानवाधिकारों के प्रति जवाबदेह बनाना है।''

इन नुसखों का सोचे समझे ढंग से व्यापक प्रचार किया जा रहा है ताकि वर्ग संघर्ष के द्वारा समाज में परिवर्तन लाने के लिये श्रमिक वर्ग की भूमिका को कमतर तथा समाजवाद के लिये संघर्ष को कमजोर किया जा सके। श्रमिक आंदोलन के अनेक नेता ऐसे विचारों को बढ़ावा दे रहे हैं कि मानो निगम एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान अधिक जनतांत्रिक एवं मानवाधिकारों के प्रति जवाबदेह हों; उन्होंने तो पूंजीवाद के विरुद्ध संघर्ष करने का विचार ही त्याग दिया है। यह बात केवल विदेशी श्रमिक नेताओं पर ही लागू नहीं होती अपितु हमारे देश के अनेक श्रमिक नेताओं के मामले में भी सत्य तो यही है। साम्राज्यवादियों द्वारा प्रोत्साहित इस विचारधारा जो श्रमिक वर्ग को निशस्त्र बनाती है; उसे पथभ्रष्ट करती है; का प्रचार सरकारी धन से चलने वाले गैर-सरकारी संगठनों (एन जी ओज़) तथा अन्यों द्वारा किया जा रहा है। इसलिये इन विचारधारक हमलों के विरुद्ध संघर्ष का महत्व बहुत बढ़ गया है। सी आइ टी यू को इस सम्बन्ध में श्रमिक वर्ग को शिक्षित करने के अपने दायित्व का निर्वहन करना होगा; उसे अपनी पूरी शक्ति के साथ यह काम करना होगा और इसे प्राथमिकता देनी होगी।

हमारे देश में संकट बढ़ रहा है...

उत्तरोत्तर सरकारों द्वारा विश्व बैंक की नीतियों के कार्यान्वयन के समय तथा उसके अंतिम चरण में हमारा अपना अनुभव कैसा रहा, इसका उल्लेख महासचिव की रिपोर्ट में किया गया है। पूरे के पूरे सार्वजनिक क्षेत्र का दूसरी पीढ़ी के सुधारों के एक भाग के रूप में निजीकरण कर देने के लिये उन्मत प्रयास जारी हैं। निजीकरण का लक्ष्य बनने वालों में सामरिक महत्व के उपक्रम, वित्तीय संस्थान, दूर संचार, विद्युत, कोयला तथा तेल पर आधारित ऊर्जा क्षेत्र, मूलभूत इंजीनियरिंग उद्योग, इंडियन एयर लाइन्स, एयर इंडिया, गोदी एवं बंदरगाह, रेलवे इत्यादि भी सम्मिलित हैं। इन्हें मिट्टी के मोल विदेशी तथा भारतीय इजारेदार पूंजी की झोली में डाला जा रहा है। इसे केवल द्रुतगति से भारत का एक बार पुनः औपनिवेशीकरण करना कहा जा सकता है।

औद्योगिक एवं कृषि उत्पादों का बेरोकटोक आयात सामान्य रूप से पूरे उद्योग तथा विशेष रूप से उद्योगों के लघु क्षेत्र पर विनाशकारी दुष्प्रभाव डाल रहा है। बेरोकटोक आयातों के चलते कृषि उत्पादों के मूल्यों में भारी गिरावट आ गई है; इसके फलस्वरूप देश को सबसे बड़े खतरे का सामना करना पड़ रहा है; इसके परिणाम स्वरूप हमारी खाद्य सुरक्षा पूर्णतया समाप्त हो जाएगी और हमारी किसान जनता का दरिद्रीकरण हो जाएगा। इस प्रकार का गम्भीर संकट स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् पहले कभी उत्पन्न नहीं हुआ।

हमारे देश में विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक औद्योगिक कार्रवाईयों के द्वारा इस हमले का सामना करने के लिये एकजुट हो रहे हैं। ये कार्रवाईयां धीमी गति से बढ़ रही हैं किन्तु सतत एवं प्रभावी कार्रवाईयों का अभाव पाया जा रहा है।

किसान जनता देश भर में सरकार की इन नीतियों का विरोध करने के लिये आगे बढ़ रही है। छोटे उद्योगों के उद्योगपति इन नीतियों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिये तत्पर हैं। बेरोजगार युवकों को रोजगार प्राप्त करने के लिये कोई अवसर नहीं मिल रहा और न ही उन्हें अपनी समस्या के समाधान के लिये कोई मार्ग दिखाई दे रहा है; वे भारी निराशा की स्थिति में हैं। अतः देश में एक नयी स्थिति उत्पन्न हो रही है जो भारत सरकार द्वारा अपनाई गई विश्व बैंक निदेशित नीतियों के विरुद्ध एकजुट संघर्ष की दिशा में आगे बढ़ रही है। सी आइ टी यू को इस संघर्ष के लिये जनता की सभी श्रेणियों को एकजुट करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहियें।

साथियो,

मैं इसके महत्व पर बल नहीं देना चाहता क्योंकि आप लोग पहले से ही इस काम में लगे हुए हैं। तथापि, यह कहते हुए मुझे थोड़ी परेशानी होती है कि हमने इस सम्बन्ध में अभी तक जो कुछ भी किया है, वह अपर्याप्त है। हमें सरकार की इन नीतियों को बदलने के लिये इच्छुक जनता की सभी अन्य श्रेणियों के साथ-साथ श्रमिकों एवं किसानों को एकजुट करने के लिये जोरदार प्रयास करने चाहियें।

श्रमिक आंदोलन के सभी नेताओं, भले ही वे किसी भी संगठन के साथ सम्बन्ध क्यों न रखते हों और उसकी नीतियां जो भी हों, को श्रमिक वर्ग तथा समग्र रूप में पूरे राष्ट्र द्वारा झेले जा रहे संकट एवं खतरे से अवश्यमेव अवगत होना होगा। इसके लिए उन्हें अपने सभी पूर्वाग्रहों एवं आपत्तियों की अनदेखी करके एकजुट होना होगा। इसलिये, साथियो हमें अपनी शक्ति जुटाने तथा इस काम को पूरा करने का प्रण करना चाहिए।

साथियो,

अपने भाषण का समापन करने से पूर्व मैं आपका ध्यान उस सबसे बड़े खतरे की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके बादल इस समय पूरे देश पर मंडरा रहे हैं। आक्रमक हिन्दू साम्प्रदायिकता जिसे भाजपा तथा आर एस एस द्वारा आगे बढ़ाया गया था, अब अपने सरकारी प्रभाव का उपयोग करके नया मोड़ काट रही है। प्रधान मंत्री वाजपेयी अब खुल कर अयोध्या के विवादास्पद स्थल पर जहां आठ वर्ष पूर्व बाबरी मस्जिद थी, राम मन्दिर के निर्माण का पक्ष लेने लगे हैं। प्रधान मंत्री ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस में संलिप्त अपने सहयोगी मंत्रियों के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई करने से इन्कार कर दिया है। जबकि इन मंत्रियों के विरुद्ध आरोप पत्र पहले ही जारी हो चुके थे। इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य तथ्यों तथा सी बी आइ एवं अदालतों की जांच के निष्कर्षों के विपरीत है। यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वह अपनी सरकारी प्रतिष्ठा एवं अधिकारों का उपयोग करके राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की कार्यसूची को ही आगे बढ़ा रहे हैं। धार्मिक अल्पसंख्यकों तथा उनके धार्मिक विश्वासों के लिये संविधान द्वारा जो संरक्षण प्रदान किया गया है, उसमें रद्दोबदल किया जा रहा है, जिसके दुष्परिणामस्वरूप भारतवासियों की एकता की जड़ें ही उखड़ जाएंगी। इसलिये देश के श्रमिक वर्ग को आर एस एस की कार्यसूची को कार्यान्वित करने वाली वाजपेयी सरकार की इन खतरनाक नीतियों के विरुद्ध गोलबंद करना होगा।

आईये, मैं पुनः एक बार आपको स्मरण करा दूँ कि सी आइ टी यू का लक्ष्य वर्ग संघर्ष को तेज करने के लिये अपने वर्ग को एकजुट करना है; हमने यह लक्ष्य अभी प्राप्त करना है। इसलिए हमें प्रण करना होगा कि हम अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने वर्ग अर्थात् श्रमिक वर्ग को एकजुट करेंगे तथा यथासम्भव अल्पावधि में सी आइ टी यू को सुदृढ़ बनाएंगे।

धन्यवाद,

ई० बालानन्दन

महासचिव की रिपोर्ट

(सी आइ टी यू के 27-31 दिसम्बर, 2000 को हैदराबाद में सम्पन्न दसवें महाधिवेशन द्वारा पारित)

प्रिय साथियो,

1:1 एर्नाकुलम में (कोच्चि)अप्रैल 1997 को सम्पन्न सी आइ टी यू के नवम महाधिवेशन के पश्चात् राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं; ये घटनाएं श्रमिक वर्ग तथा भारत के जन साधारण के लिए दीर्घकालिक महत्व रखती हैं। अपनी भावी गतिविधियों के लिये दिशा निर्देशों का निर्धारण करने के उद्देश्य से इन घटनाओं की उपयुक्त समीक्षा करना हमारे लिये अनिवार्य हो जाता है।

1:2 इस महाधिवेशन के प्रारम्भ में हमने शहीदों तथा दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि भेंट की थी जिन्होंने सामाजिक प्रगति में अपना योगदान दिया और उनका यह योगदान हमारी गतिविधियों में सदा हमारे लिये प्रेरणादायी बना रहेगा। हमने पहले ही उनके अधूरे कार्यों जिन्हें वे हमारे लिये छोड़ गए थे, को पूर्ण करने का प्रण किया है।

1:3 हमारे अध्यक्ष कामरेड ई० बालानन्दन अपने अध्यक्षीय भाषण में पहले ही अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं पर प्रकाश डाल चुके हैं और मेरे लिये अपनी रिपोर्ट में उन्हें दोहराना आवश्यक नहीं है। मैं, इसलिये, पिछले तीन वर्षों में घटित राष्ट्रीय घटनाओं की चर्चा ही करूंगा ताकि हम अपने सामूहिक अनुभव से लाभान्वित होकर इन घटनाओं पर अपना एक सांझा दृष्टिकोण एवं समझ बना सकें।

2. राष्ट्रीय परिदृश्य

2:1 प्रारम्भ में उल्लेख किया जा चुका है कि सी आइ टी यू के पिछले नवम महाधिवेशन के बाद की अवधि तेजी से बदल रहे राजनीतिक घटनाक्रम की अवधि

रही है। केंद्र में चार बार सरकारें बदली हैं और देश ने लोकसभा चुनाव दो बार होते देखे हैं। देश को कारगिल क्षेत्र में पड़ोसी पाकिस्तान के साथ युद्ध करना पड़ा और तनाव की स्थिति अब भी चल रही है। केंद्र तथा उसके साथ-साथ अनेक राज्यों में सरकारों की अस्थिरता बनी रही। साम्प्रदायिक एवं विभाजक शक्तियों ने देश की अखण्डता तथा जनता की एकता को छिन्न भिन्न करने के लिये अपने कुत्सित प्रयास और तेज कर दिये हैं। देश के श्रमिक वर्ग को अनेक चुनौतीपूर्ण कार्य करने होंगे जो इन परिस्थितियों की देन हैं।

2:2 सीता राम केसरी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने देवेगौड़ा की सरकार को अपना समर्थन वापस ले लिया और कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार बनाने का सपना देखा जाने लगा। जब उसका यह सपना साकार नहीं हुआ तो कांग्रेस अध्यक्ष ने भी अपना स्वर बदल लिया और वह प्रधानमंत्री को बदलने के लिये दुराग्रह करने लगे। संयुक्त मोर्चे के घटकों जो सरकार का भाग थे, के समक्ष कांग्रेस के निदेशों का पालन करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प शेष नहीं रहा तथा उन्हें आइ के गुजराल को प्रधान मंत्री के पद पर आसीन करना पड़ा।

2:3 किन्तु बाद में गुजराल सरकार को भी कांग्रेस द्वारा उलट दिया गया। इस बार उसने (कांग्रेस) डी एम के मंत्रियों को मंत्रिमण्डल से निकाल बाहर करने की मांग रखी और अपने मांग के पक्ष में उसने गम्भीर तर्क दिया कि क्योंकि राजीव गांधी हत्या कांड की जांच कर रहे जैन आयोग ने उन पर उंगली उठाई है, इसलिये उनका मंत्रिमण्डल में बने रहना ठीक नहीं। इस बार संयुक्त मोर्चा के घटकों ने कांग्रेस पार्टी की ब्लैक मेलिंग के आगे न झुकने का निर्णय ले लिया। वैकल्पिक सरकार की स्थापना होने की सम्भावना नहीं होने के कारण देश को 1998 में चुनावी समर में धकेल दिया गया।

2:4 वर्ष 1998 के चुनावों में तीन गठबंधन—संयुक्त मोर्चा, कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन तथा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला गठबंधन जनादेश प्राप्त करने के लिये मैदान में उतरे। दुर्भाग्यवश, संयुक्त मोर्चा के शिविर में पलायन हो गया और परस्पर मुकाबले होने के कारण उसके मतों का विभाजन हो गया, इसके अतिरिक्त संयुक्त मोर्चा सरकार ने भी क्योंकि अपनी पूर्वगामी नरसिम्हा राव सरकार की विनाशकारी आर्थिक नीतियों का ही निरंतर पालन किया था, इसलिये वह लोगों से कट सा गया था।

2:5 भाजपा ने सभी प्रकार के अवसरवादी हथकण्डे तथा संदिग्ध ढंग अपनाए,

पर्दे के पीछे हिन्दुत्व की अपनी कार्यसूची को बनाए रख कर उसने एक बेढंगा-सा गठबंधन बना डाला। बड़ी बुर्जआजी के कुछ भागों तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने चुनावी युद्ध में भाजपा का समर्थन किया। चुनावी प्रतिस्पर्धा को जीवंत बनाने के लिये कांग्रेस अपने मनोबल को भी बनाए नहीं रख सकी किन्तु बाद में वह अपनी सम्भावनाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सोनिया गांधी को आगे ले आई। इसके परिणामस्वरूप चुनावों में भाजपा एक सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और उसने अठारह दलों का एक पचरंगा गठबंधन बना लिया। वाजपेयी ने सरकार बनाई और चन्द्रबाबू नायडु की तेलगू देशम पार्टी द्वारा समर्थन देने के फलस्वरूप वह अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सफल रही।

2:6 यद्यपि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार "सुशासन की राष्ट्रीय कार्यसूची" का बखान करती रही जो उसने अपने गठबंधन की ओर से प्रस्तुत की थी किन्तु वास्तव में भाजपा मंत्रियों ने अपने गुप्त भगवा एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिये वह सब कुछ किया जो वे कर सकते थे। "संघ परिवार" के संगठनों ने अल्पसंख्यकों के विरुद्ध अपने हमले तेज कर दिये और उन्होंने सांस्कृतिक आतंकवाद का सहारा लिया।

2:7 भाजपा सरकार द्वारा पोखरन में विस्फोट करके नाभिकीय दु:साहसवाद का प्रदर्शन किया गया और संकीर्ण राष्ट्रवादी भावनाओं से काम लेते हुए देश का नाभिकीय शस्त्रीकरण करने की घोषणा कर डाली गई। इस प्रकार उसने परमाणु अप्रसार एवं निशस्त्रीकरण की उस पुरानी नीति को ही समाप्त कर दिया जिसका पालन भारत अब तक करता चला आ रहा था। अमरीका तथा उसके सहयोगी देशों से भयभीत होकर भाजपा सरकार पीछे हटने लगी और उनका दिल जीतने के लिये उसने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा राष्ट्रीय हितों के मूल्य पर साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ अनेक समझौते किये।

2:8 सभी प्रकार की चालबाजियों से काम लेने पर भी भाजपा गठबंधन जिस जोरदार ढंग से विनाशकारी आर्थिक नीतियों पर चल रहा है, उसके चलते लोगों का उसके प्रति मोह बड़ी सीमा तक भंग हुआ है। उसी वर्ष भाजपा को चार राज्यों दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा मिजोरम की विधान सभाओं के चुनावों में भारी पराजय का मुंह देखना पड़ा था।

2:9 वाजपेयी सरकार को थोड़े-थोड़े समय के अन्तराल में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन में सम्मिलित सहयोगी दलों में उत्पन्न अशांति एवं खलबली का सामना भी करना पड़ा। ये सभी बातें उस समय प्रकाश में आईं जब गठबंधन में सम्मिलित

दूसरी सबसे बड़ी पार्टी अन्ना द्रमुक ने सरकार को अपना समर्थन वापस ले लिया।

2:10 लोक सभा में विश्वास का मत प्राप्त करने के लिये भाजपा द्वारा बहुतेरे हाथ पांव मारे गए; प्रत्येक अनुचित हथकण्डा अपनाया गया इस पर भी वाजपेयी सरकार का तेरह मास के कुशासन के पश्चात् पतन हो गया।

2:11 वैकल्पिक सरकार नहीं बन सकने के कारण लोक सभा को भंग कर देना पड़ा क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से गठबंधन सरकार चलाने अथवा तीसरे मोर्चे का समर्थन करने जैसे दोनों विकल्पों को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया गया था। इस प्रकार वर्ष 1999 में एक और चुनावी युद्ध अवश्यंभावी हो गया।

2:12 वर्ष 1999 के चुनावों की तैयारियों के समय पाकिस्तान की ओर से कारगिल क्षेत्र में अपनी सेना की सहायता से आतंकवादी घुसपैठियों को भारतीय सीमा के भीतर भेजने का प्रयास किया गया, इसका परिणाम व्यापक स्तर पर प्रस्फुटित टंकराव के रूप में निकला। कारगिल जहां एक ओर शहीदों के रक्त से हमारी सशस्त्र सेनाओं द्वारा शानदार एवं गौरवमयी अध्याय की रचना की गई वहीं इसका दूसरा पक्ष भाजपा सरकार की अकर्मण्यता, उसके अनुत्तरदायी रुख और पूरी स्थिति को सम्हाल पाने में उसकी अक्षमता की बड़ी-बड़ी कहानियां सुनाता है।

2:13 किन्तु भाजपा द्वारा कारगिल में प्राप्त विजयश्री के फलस्वरूप उपजे सुख-बोध को अपने चुनाव अभियान में पूर्णतया भुनाया गया, इसके लिये उसे भारत के बड़े कारोबारी घरानों, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, भूमि पतियों तथा व्यापारी समुदाय की ओर से भारी वित्तीय सहायता दी गई। भाजपा किसी न किसी प्रकार सत्ता में लौटने के लिये द्रमुक, तेलगू देशम तथा नेशनल कान्फ्रेंस जैसे दलों को 24 दलों वाले अपने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एन डी ए) के साथ नत्थी करने में सफल रही।

2:14 चुनाव परिणाम घोषित होने के पश्चात् भाजपा गठबंधन की सत्ता में वापसी तो हो गई किन्तु स्वयं भाजपा भी लोक सभा में अपनी सीटों की संख्या की दृष्टि से कोई बड़ी उपलब्धी प्राप्त नहीं कर सकी। कांग्रेस पार्टी जिसने गठबंधन शासन की ओर से अपना मुंह मोड़ लिया था और जो एक दलीय शासन के रूप में स्वयं सत्ता में अपनी वापसी चाहती थी, को अपनी सीटों की संख्या में भारी कमी झेलनी पड़ी, लोकसभा में उसकी सीटें 140 से कम होकर 112 रह गईं। क्योंकि कांग्रेस वाजपेयी सरकार की आर्थिक नीतियों का पूर्ण समर्थन कर रही थी इसलिये लोगों ने इसे भाजपा के विकल्प के रूप में नहीं देखा। तीसरे मोर्चे की शक्ति क्षीण हो जाने के कारण लोगों के समक्ष कोई जीवनक्षम अथवा जोरदार तीसरा विकल्प भी नहीं

उभरा। वामपक्षी दलों की सदस्य संख्या भी कम हो गई। लोक सभा में उनके सदस्य 48 से कम होकर 43 रह गए।

2:15 भाजपा के नेतृत्व वाली एन डी ए सरकार दिन रात एन डी ए कार्यसूची की बात करती है, उसके नाम पर शपथ लेती है किन्तु वाजपेयी मंत्रिमण्डल में अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग सम्हाले बैठे भाजपाई मंत्रिगण प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अपनी साम्प्रदायिक कार्यसूची पूरी शक्ति के साथ लागू कर रहे हैं। संघ परिवार जहां वाजपेयी सरकार की उपस्थिति के कारण उपजे अनुकूल वातावरण से अधिकाधिक लाभान्वित हो रहा है तथा उसे पूर्णतया भुना रहा है वहीं दूसरी ओर वह साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़का कर अल्पसंख्यकों पर बर्बर हमले कर रहा है।

2:16 आर एस एस सरकार में विराजमान अपने राजनीतिक शस्त्र अर्थात् भाजपा को हाथ में लेकर चूहे-बिल्ली का खेल खेलने की नीति पर चल रहा है। जहां उसके नये अध्यक्ष बंगारू लक्षमण अल्पसंख्यकों तथा दलितों का मन मोह लेने के अपने अभियान के अन्तर्गत आर्केस्ट्रा बजा रहे हैं वहीं आर एस एस इन्हीं श्रेणियों के विरुद्ध अत्यंत विचलित कर देने वाली अपनी भयावह आक्रामकता का प्रदर्शन कर रहा है। आर एस एस के मुखिया सुदर्शन ने ''स्वदेशी'' चर्च का सुझाव दिया है और उन्होंने मुसलमानों से भी अपनी हिन्दू सांस्कृतिक जड़ों को स्वीकार करने तथा उसका आदर करने का अनुरोध करते हुए उन्हें आह्वान किया है कि वे राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मिलित हो जाएं; इन बातों से संघ परिवार द्वारा अंदर ही अंदर खेली जा रही खेल का पता चल जाता है।

2:17 संघ परिवार के मुखौटा अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी अमरीका यात्रा के समय स्टैटन द्वीप में हिन्दुत्व कार्यकर्ताओं के एक समावेश में भाषण देते हुए कहा था कि वह स्वयं सेवक हैं, वह पहले भी स्वयं सेवक थे और आज भी स्वयं सेवक हैं। उन्होंने किसी लाग लपेट से काम न लेते हुए यह भी कहा था कि यदि भविष्य में भाजपा अपने बल पर लोक सभा में दो तिहाई बहुमत प्राप्त कर लेती है तो वह अपने सपनों के भारत अर्थात् हिंदु राष्ट्र का निर्माण करेगी।

2:18 वाजपेयी मंत्रिमण्डल में गृह मंत्री तथा संघ परिवार के विश्वस्त सिपहसालार लाल कृष्ण अडवाणी ने आर एस एस के प्रति भाजपा की निष्ठा की पुष्टि की है। उन्होंने पुनः दोहराया कि सत्तर के दशक के अंतिम भाग में भाजपा तभी अस्तित्व में आई थी जब उसे आर एस एस के साथ अपने सम्बन्ध तोड़ देने के लिये कहा गया था, उस समय वह जनता पार्टी का अंग थी।

2:19 एन डी ए के गैर भाजपाई सहयोगी दल—उनमें से कुछेक इस आशा के साथ गठबंधन में सम्मिलित हुए थे कि भाजपा आर एस एस को सरकार की कार्यसूची पर कोई निदेश देने की अनुमति नहीं देगी, अवश्य ही अप्रसन्नता का अनुभव कर रहे होंगे। किन्तु केंद्र में सत्ता की कुर्सी पर चिपके रहने की उनक़ी लालसा ने उन्हें अंधे बना डाला है और वे भाजपा के वास्तविक रंग को देख नहीं पा रहे हैं।

2:20 भाजपा ने बिहार में धारा 356 लागू कर दी, राष्ट्रपति के परामर्श पर उसे अपने कदम पीछे हटाने पड़े। भाजपा शांति एवं कानून व्यवस्था का बेहूदा तर्क दे कर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की बातें करते कभी नहीं थकी, केवल कांग्रेस द्वारा उसका साथ देने की देर है। उसका यह दृष्टिकोण भारतीय राजतंत्र की संघीय संरचना के प्रतिकूल है। इस पर भी एन डी ए में सम्मिलित क्षेत्रीय दल किसी प्रकार की कोई चिन्ता व्यक्त नहीं कर रहे हैं।

2:21 एन डी ए सरकार ने तीन राज्यों अर्थात् केरल, पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा में शासन चला रही वाम पक्ष के नेतृत्व वाली सरकारों के विरुद्ध हठपूर्वक शत्रुतापूर्ण रुख अपना रखा है। उसने आतंकवादी विद्रोही गतिविधियों से निपटने के लिये सेना तथाा सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टुकड़ियां भेजने सम्बन्धी त्रिपुरा की वाम मोर्चा सरकार द्वारा बार-बार किये गए अनुरोधों को सुनने से भी इन्कार कर दिया है। इसके विपरीत उसने पिछली सरकारों के समय वहां तैनात सशस्त्र बलों की संख्या को भी कम कर दिया है। दुःख का विषय है कि भाजपा सरकार ने अपनी वाम पक्ष विरोधी ईर्ष्या को देश के सुरक्षा हितों से भी अधिक महत्व एवं अधिमान दिया है।

2:22 केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाली एन डी ए सरकार अपने पक्षपाती रुख से इतना अधिक ग्रसित हो चुकी है कि उसने इस वर्ष हाल ही में आई बाढ़ के कारण उत्पन्न आपदा से प्रभावित पश्चिम बंगाल राज्य को राहत एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने से भी इन्कार कर दिया है जिसकी अत्यंत आवश्यकता थी।

2:23 एन डी ए सरकार भारतीय संविधान की समीक्षा सम्बन्धी अपने प्रस्ताव पर कार्रवाई करने की दिशा में भी आगे बढ़ी है—इस प्रकार उसने राष्ट्रपति द्वारा दिये गए उदात्त परामर्श के प्रति असम्मान का प्रदर्शन किया है। भाजपा का नेतृत्व भले ही ऊपर से कुछ भी क्यों न कहें किन्तु भीतर ही भीतर वह हमारे संविधान की मूल संरचना के साथ छेड़छाड़ करने की अपनी इच्छाओं को संजोए बैठा है।

2:24 यद्यपि वाजपेयी सरकार हिन्दुत्ववादी प्रचारकों से अपनी दूरी बनाए रखने का स्वांग भर रही है किन्तु उसके कृत्य उसके वास्तविक मनोरथ की पोल खोल देने

के लिये पर्याप्त हैं। श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट पर महाराष्ट्र की तत्कालीन भाजपा-शिव सेना सरकार के रुख का वाजपेयी सरकार द्वारा किये गए अनुमोदन; गृह मंत्री द्वारा शिव सेना प्रमुख के समक्ष उस समय घुटने टेक देना जब पाकिस्तानी टीम के साथ मैच खेले जाने के विरुद्ध दिल्ली में क्रिकेट पिच को खोद डाला गया था; मिशनरी स्टेन्स तथा उसके पुत्रों की हत्या के मामले में बजरंग दल को क्लीन चिट देना; गिरजाघरों में की गई तोड़फोड़ की घटनाओं की पृष्ठभूमि में वाजपेयी द्वारा गुजरात की यात्रा करने के पश्चात् धर्म परिवर्तन के विषय पर राष्ट्रीय बहस के लिये आह्वान करना केंद्रीय सरकार के अन्तर्गत चलने वाले प्रत्येक संस्थान के भगवाकरण हेतु सतत प्रयास करना —ये सभी घटनाएं एवं कदम देश के धर्मनिर्पेक्ष ढांचे पर किये गए आघातों एवं घावों की ओर ही संकेत करते हैं।

2:25 भाजपा नाभिकीय बम रूपी शेर की सवारी करने की इच्छुक है, इसके साथ ही वह पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों के मामलों में उत्तेजना लाने के लिये आक्रमक बातें कर रही है; संघ परिवार ने जम्मू एवं कश्मीर के तीन भाग करने का सुझाव दे डाला है अर्थात् मुस्लिम कश्मीर, हिन्दु जम्मू तथा बौद्ध लद्दाख; उसने हठधर्मिता से काम लेते हुए कश्मीर तथा उसके साथ-साथ अन्य राज्यों को अधिक स्वायत्ता देने के प्रश्न पर विचार करने से इन्कार कर दिया है—उसकी ये सभी कार्रवाईयां कश्मीर घाटी में शांति की पुनर्स्थापना की सम्भावनाओं को क्षति पहुंचा रही हैं।

2:27 भाजपा के ''दूरदर्शी'' नेताओं द्वारा सीमा पार आतंकवाद के विरुद्ध ''कड़ी कार्रवाईयां'' करने तथा ''क्रियाशील'' रुख अपनाने जैसी वीरतापूर्ण बातें किये जाने पर भी एन डी ए सरकार ने अपने विदेश मंत्री जसवंत सिंह को उस समय अत्यंत लज्जाजनक काम करने के लिये नियुक्त किया जब वह दुर्दांत आतंकवादियों को एक विशेष वायुयान द्वारा कंधार लेकर गए जहां उन्हें उन लोगों को सौंप दिया गया जिन्होंने काठमण्डु से उड़ान भरने वाले इंडियन एयर लाइंस के वायुयान का अपहरण किया था।

2:28 एक और पड़ोसी देश श्रीलंका से सम्बन्धित मामलों में भी एन डी ए सरकार ने तमिलनाडु से सम्बन्ध रखने वाले अपने गठबंधन के सहयोगी दलों जैसे वायको के नेतृत्व वाली एम डी एम के तथा एस रामदास के नेतृत्व वाली पी एम के को लट्टे समर्थक वक्तव्य एवं भाषण देने की अनुमति दे रखी है जिसका हमारे राष्ट्रीय हितों पर गहरा दुष्प्रभाव पड़ा है।

2:29 वाजपेयी सरकार ने अमरीकी साम्राज्यवाद की विनम्र सहयोगी बनने की

अपनी इच्छा व्यक्त की है। अमरीकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की भारत यात्रा तथा उसके प्रत्युत्तर में वाजपेयी की अमरीका यात्रा निःसंदेह साम्राज्यवाद के समक्ष भगवा समर्पण ही थी।

2:30 भाजपा द्वारा छोटे राज्यों के गठन की मांग को सक्रिय संरक्षण दिये जाने के फलस्वरूप वर्तमान राज्यों के विभाजित होने का एक नया चरण शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार तथा मध्य प्रदेश में से तीन नये राज्य उत्तरांचल, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ बना दिये गए हैं। उनके मध्य परस्पर संहारक टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है; नयी राजधानी के स्थान के लिये कलह होने लगी है और कौन सा क्षेत्र किस राज्य में सम्मिलित किया जाए तथा मुख्यमंत्री कौन हो इन प्रश्नों पर भी वे झगड़ने लगे हैं। इसके साथ ही देश भर में विभिन्न क्षेत्रों से इसी प्रकार के और अधिक छोटे राज्यों का गठन करने की मांग एवं शोर शराबे से वातावरण गर्म हो उठा है। नये राज्य अथवा उनके पितृ राज्य आर्थिक रूप से जीवनक्षम अथवा सुदृढ़ हैं भी या नहीं है, इस प्रश्न पर भारत सरकार ने ढंग से विचार नहीं किया। पश्चिम बंगाल का अनुभव इसके पूर्णतया अलग रहा है जहां स्वायत्तशासी क्षेत्रीय परिषद का गठन करके दार्जिलिंग में गोरखा लोगों की आकांक्षाओं को लोकतांत्रिक ढंग से पूरा किया गया था। यदि नये राज्यों के गठन की प्रक्रिया के साथ उनके तीव्र विकास के लिये वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए तो लोगों में निराशा को फैलने से रोका नहीं जा सकेगा और इसके दुष्परिणाम भी निकल सकते हैं।

2:31 संक्षेप में, केन्द्र में सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता के लिए गम्भीर खतरा उत्पन्न कर दिया है और देश की एकता पहले कभी भी इतने गम्भीर खतरे में नहीं थी। श्रमिक वर्ग को इसके प्रति जागरूक होकर इस चुनौती का सामना करना होगा और इस विनाशकारी पथ से देश को बचाने का कार्य अपने हाथ में लेना होगा।

2:32 पिछले महाधिवेशन के बाद की अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर घटित घटनाएँ देश में राजनीतिक शक्तियों के ध्रुवीकरण में यदा कदा होने वाले बदलावों को दर्शाती हैं। ये बदलाव अथवा परिवर्तन गहराते चले जा रहे आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि में हो रहे हैं और जन साधारण पर इनका गहरा दुष्प्रभाव पड़ रहा है; इसकी चर्चा हम इस रिपोर्ट के अगले भाग में करेंगे। इस स्थिति की मांग की है कि श्रमिक वर्ग तथा आर्थिक नीतियों एवं सांप्रदायिक हमलों के विरुद्ध संघर्षरत शक्तियां लोगों के सामने एक जन पक्षीय विकल्प प्रस्तुत करें। इस प्रकार का विकल्प पूंजीवादी आर्थिक नीतियों तथा सांप्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध तीव्रतर होते संघर्षों में से ही उभर

सकता है; किसी और ढंग से नहीं। इसके लिये हमें दृढ़ प्रतिज्ञ होकर प्रयास करने होंगे, इस दोहरे खतरे के विरुद्ध संघर्षों को एक साथ जोड़ना होगा और एक जीवनक्षम अथवा ठोस आर्थिक एवं राजनीतिक विकल्प के लिये लोगों को लामबंद करना होगा।

3. आर्थिक स्थिति

3:1 इस समीक्षा अवधि में हमारा देश पहले संयुक्त मोर्चा और उसके पश्चात् भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन के शासन के अन्तर्गत रहा। जहां संयुक्त मोर्चा सरकार ने उदारीकरण की आर्थिक नीति का पालन किया वहीं दूसरी ओर वह सत्ता में बनी रहने के लिये वाम दलों पर निर्भर करती थी और ऊपर से श्रमिक आंदोलन का हस्तक्षेप होने के कारण वह उन्मत्त प्रयास करने पर भी आर्थिक उदारीकरण की अपनी कार्यसूची पर आगे की कार्रवाई नहीं कर सकी। किन्तु भाजपा के सत्ता में आने के परिणामस्वरूप स्थिति बदल गई। सम्पूर्ण श्रमिक आंदोलन द्वारा विरोध किये जाने पर भी उसने पहले से कहीं अधिक शक्ति के साथ अपनी विनाशकारी नीति पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। इसका परिणाम अर्थ व्यवस्था में चहुंमुखी गिरावट के रूप में निकला जिसमें वि-उद्योगीकरण का प्रसार तथा अर्थ व्यवस्था के अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का आधिपत्य भी सम्मिलित है।

3:2 तथाकथित दूसरी पीढ़ी के सुधार जिसका मंत्रोचारण केन्द्र में सत्तारूढ़ सरकार द्वारा यदा-कदा किया जाता है, त्रिकोणीय योजना पर आधारित हैं अर्थात् वित्तीय क्षेत्र तथा विदेशी व्यापार का पूर्ण विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा इकाईयों का पूर्ण निजीकरण और वर्तमान श्रम कानूनों का पूर्ण विनियमीकरण। संक्षेप में, उपरोक्त त्रिकोणीय योजना भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार तथा अमरीकी लाबी के मध्य सम्पन्न अघोषित सहमति प्रतिवेदन की मूलभूत अन्तर्वस्तु है। यह सहमति भाजपा मंत्रियों तथा अमरीकी प्रशासन के अधिकारियों के मध्य घर तथा बाहर (विदेश) मधुर मिलन जो यदा-कदा होते ही रहते हैं, के फलस्वरूप बनी थी।

बहुराष्ट्रीय निगमों के समक्ष समर्पण

3:3 अत: पूर्ण उदारीकरण करने; मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त करते हुए आयात प्रतिबंधों को पूर्णतया हटा देने और सीमा शुल्कों में जबरदस्त कटौती करने के लिये निर्गम नीति को बारम्बार बदला गया। विदेशी कम्पनियों को ऐसे अनेक उत्पादों

जिन्हें भारतीय कम्पनियों द्वारा भी उत्पादित किया जा सकता था या सकता है, के मामले में विशेष विपणन (मार्किटिंग) अधिकार प्राप्त करने के लिये अनुमति देने और भारत में शोध एवं विकास कार्य के भविष्य को धूमिल बनाने के लिये मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से भारतीय पेटैंट (एकस्व) अधिनियम में संशोधन किया गया। बीमा नियामक प्राधिकरण विधेयक को कानून बनाया गया; बीमा क्षेत्र के किवाड़ भारतीय तथा विदेशी निजी कम्पनियों के लिये खोल दिये गए; बैंकिंग क्षेत्र को धीरे-धीरे निजीकरण करने के लिये लक्ष्य बनाया गया और दूरसंचार एवं ऊर्जा क्षेत्रों को निजी क्षेत्र के बेरोकटोक काम करने के लिये खोल दिया गया जिसमें विदेशी कम्पनियों का शत् प्रतिशत एक्विटी रखना भी सम्मिलित है। विदेशी कम्पनियों को देश की एयर लाइन्स कम्पनियों में उल्लेखनीय भागीदारी करने की अनुमति भी दे दी गई। गोदी एवं बंदरगाह के कार्यों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के अनुप्रवेश हेतु कानून पहले ही बनाया जा चुका है। कोयला खदानों का निजीकरण करने के लिये भी इसी प्रकार की कार्रवाई की जा रही है।

3:4 सार्वजनिक क्षेत्र की लाभ पर चलने वाली इकाईयों को कौड़ियों के भाव बेच देने और उसमें भी पहल विदेशी कम्पनियों की होगी, के लिये शीघ्रता में की जा रही कार्रवाईयां वाशिंगटन में विराजमान अपने विदेशी आकाओं के आगे भाजपा सत्ता के शर्मनाक दासत्व भाव का प्रदर्शन करती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाईयों जिनका आधुनिकीकरण करके तथा थोड़ी-सी पूंजी का निवेश करके पुनरुद्धार किया जा सकता है, को बंद कर देने के निर्णय ने बहुराष्ट्रीय निगमों के उत्पादों के लिये जगह बनाने के लिए वाजपेयी सरकार की व्यग्रता की पोल खोल दी है जबकि अधिकांश मामलों में बीमार इकाईयों को बंद करने पर होने वाला खर्च उनके पुनरुद्धार पर होने वाले खर्च से कहीं अधिक होता है; यह एक तथ्य है।

3:5 सरकार यह तर्क देने का प्रयास करती रही है कि वह ये सभी कार्रवाईयां डब्ल्यू टी ओ समझौते के अन्तर्गत करने के लिये विवश है। मात्रात्मक प्रतिबंध निर्धारित समय से दो वर्ष पूर्व हटा दिये गए जबकि अमरीकी सरकार ने खुली घोषणा की थी कि वह वर्ष 2005 तक इस प्रकार के प्रतिबंधों को जारी रखेगी; वह (अमरीका) स्वयं भी तो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है। यहां तक कि डब्ल्यू टी० ओ० समझौते के मूल ढांचे के भीतर रह कर भी भारतीय पेटैंट (एकस्व) अधिनियम में संशोधन को और अधिक विलम्बित किया जा सकता था और यदि गम्भीरतापूर्वक उसका अनुसरण किया जाता तो उसे भारतीय उद्योग तथा भारतीय जनता के लाभ में टाला जा सकता था तथा/अथवा उसमें बड़ी सीमा तक सुधार

लाया जा सकता था। वाजपेयी मंत्रिमण्डल के एक मंत्री मुससोली मारान के भाषण को उद्धृत करके इस स्थिति का वर्णन अच्छे ढंग से किया जा सकता है; उन्होंने यह भाषण 15 जून, 2000 को काहिरा में आयोजित जी-15 देशों की एक बैठक में दिया था। मारान ने डब्ल्यू टी० ओ० समझौते तथा उसके कार्यान्वयन पर टिप्पणी करते हुए कहा था, ''हम विकासशील देशों की उरुग्वे चक्र में वही दशा हुई क्योंकि हमने घुटने टेक दिये थे...इसका परिणाम यह निकला है कि हम...अब अनुभव करने लगे हैं कि मील का पत्थर हमारे गले में लटका दिया गया है।''

उद्योग तथा आंतरिक संरचना में गिरावट

3:6 पिछले तीन-चार वर्षों में अर्थ व्यवस्था के सभी क्षेत्रों विशेष रूप से आधारभूत क्षेत्रों की वार्षिक विकास दरों से पता चल जाएगा कि देश की अर्थव्यवस्था को पहले ही गिरावट की गहरी खाई में धकेला जा चुका है। औद्योगिक विकास अथवा वृद्धि दर 1995-96 में 11.8 प्रतिशत से नीचे फिसलने लगी और उसकी नीचे ही नीचे फिसलते चले जाने की यात्रा निरंतर जारी रहती है जो वर्ष 1996-97 में नीचे गिर कर 6 प्रतिशत, 1997-98 में 5.9 प्रतिशत तथा 1998-99 में 4 प्रतिशत तक जा पहुंची। वर्ष 1999-2000 में वृद्धि दर लगभग 6.9 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया था (इकनामिक सर्वे, 1999-2000); किन्तु यह आंकड़ा पिछले वर्ष की वृद्धि दर में आई गिरावट के कारण बढ़ा है और वास्तविक अर्थों में यह किसी प्रकार के सुधार का परिचायक नहीं है।

3:7 मूलभूत सामग्रियों के क्षेत्र में विकास दर में तेज गिरावट आई; 1997-98 में यह दर 6.5 प्रतिशत थी जबकि 1998-99 में गिरकर 1.5 प्रतिशत रह गई और उसके पश्चात् 1999-2000 में बढ़ कर लगभग 5 प्रतिशत हो गई। मार्च 2000 के पश्चात् अर्थात् जून 2000 तक अगले चार महीनों में यह गिर कर 1.4 प्रतिशत तक पहुंच गई। पूंजीगत सामग्री के क्षेत्र में गिरावट और तीखी रही। वर्ष 1998-99 की विकास अथवा वृद्धि दर 11.5 प्रतिशत से गिर कर वर्ष 1999-2000 में यह दर 4.76 प्रतिशत तक पहुंच गई। जून 2000 तक अगले चार महीनों में इसमें पूरी गिरावट देखी गई है और यह मार्च 2000 के स्तर से भी नीचे चली गई है अर्थात् इसमें 15.4 प्रतिशत से भी अधिक गिरावट आई है। गैर टिकाऊ अथवा अस्थायी उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में जन साधारण के उपभोग हेतु वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि दर वर्ष 1997-98 के 4.8 प्रतिशत से निरंतर कम होती हुई 1999-2000 में 3.2 प्रतिशत तक पहुंच गई। मार्च-जून 2000 अर्थात् चार महीने की अवधि में इस क्षेत्र में 21.1 प्रतिशत तक पूर्ण गिरावट देखी गई। सकारात्मक वृद्धि दर केवल

स्थायी अथवा टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में देखने को मिली जिनका उत्पादन प्रमुख रूप से समाज के उच्च मध्यम वर्ग के लिये होता है।

3:8 आंतरिक संरचना का क्षेत्र भी सामान्य रूप में धूमिल परिदृश्य को ही प्रतिबिम्बित करता है। खनन एवं उत्खनन में समग्र रूप में वृद्धि दर 1997-98 में 9 प्रतिशत से नीचे सरकती हुई 1998-99 की नकारात्मक वृद्धि की तुलना में 1999-2000 में केवल 0.4 प्रतिशत रह गई थी। कोयले के अप्रतिबंधित आयात और उसके साथ-साथ आयात शुल्क में भारी कटौती किये जाने के फलस्वरूप वर्ष 1998 के पश्चात् पिछले तीन वर्षों की अवधि में से दो वर्ष में कोयले के उत्पादन में पूर्ण गिरावट की स्थिति देखी गई। कच्चे तेल के उत्पादन में भी पिछले तीन वर्षों में निरंतर गिरावट दर्ज की गई है। इस्पात उत्पादन के क्षेत्र में पिछले वर्ष 1998-99 में नकारात्मक वृद्धि और 1997-98 में केवल 1 प्रतिशत वृद्धि के पश्चात् 1999-2000 में वृद्धि दर 11.6 प्रतिशत दर्ज की गई। इस मामले में भी विदेशी इस्पात की निर्बाध डम्पिंग ने खलनायक की भूमिका निभाई है। केवल विद्युत उत्पादन के क्षेत्र ने ही पिछले तीन वर्षों में वृद्धि दर्ज कराई है। किन्तु विद्युत उत्पादन में वृद्धि होने पर भी उद्योग द्वारा बिजली की खपत जो 1990-91 में 44.2 प्रतिशत थी वर्ष 1995 में कम होकर 39 प्रतिशत तथा 1998 में उससे भी कम होकर 35.5 प्रतिशत रह गई (इकनामिक सर्वे) और यह रुझान अब भी जारी है।

3.9 स्वदेशी पूंजी के निर्माण की मंथर गति एक और अशुभ लक्षण है। सकल घरेलू पूंजी के गठन में 1996-1999 के मध्य तीन वर्षों की अवधि में से दो वर्षों में नकारात्मक वृद्धि (स्थिर मूल्यों पर) दर्ज की गई, अंतिम वर्ष अर्थात् 1999 में केवल 0.4 प्रतिशत वृद्धि दर्शाई गई। इससे संकेत मिलता है कि बड़े नैगम घरानों को भारी भरकम छूटें एवं सुविधाएं जो उन्हें अर्थ व्यवस्था में और अधिक पूंजी का निवेश करने के लिए उत्साहित करने के उद्देश्य दी गई थीं, वांछित सकारात्मक परिणाम नहीं निकाल सकीं और सरकार की यह कार्रवाई पूर्णतया विफल रही है।

3:10 औद्योगिक बीमारी भी सामान्यतया अर्थ व्यवस्था के संकट को और अधिक बढ़ा रही है। इसका लघु तथा मंझौले क्षेत्र के अन्य उद्योगों पर भी प्रपाती दुष्प्रभाव पड़ रहा है। कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में निर्यातोन्मुखी छोटी हाई टैक इकाईयां होने पर भी यह उद्योग अपनी व्यापक बीमारी तथा कामबंदी जैसी भयावह स्थिति का प्रदर्शन कर रहा है। क्योंकि यूरोप तथा अमरीका के बाजारों में कपड़े से सम्बन्धित व्यापार के मामले में प्रतिबंधात्मक कार्रवाईयां हो रही हैं, इसलिए अच्छी स्थिति वाली कपड़ा उद्योग की इकाईयों के भी ''स्वस्थ्य लक्षण'' दिखाई नहीं दे रहे।

पिछले डेढ़ वर्ष की अवधि में केवल कपड़ा क्षेत्र में ही 150 से अधिक कपड़ा मिलें बंद हो गईं जिसके दुष्परिणाम स्वरूप 58000 रोजगारों की क्षति हुई। इंजीनियरिंग क्षेत्र भी अपने धूमिल चित्र का प्रदर्शन कर रहा है; इन निजी तथा सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों में औद्योगिक बीमारी की घटनाएं बहुत बढ़ चुकी हैं। जूट जैसे परम्परागत श्रम सघनता वाले उद्योग में व्याप्त संकट गिरावट एवं स्थिति के बिगड़ते चले जाने के रुझान को दर्शाता है।

कृषि उत्पादन में कमी

3.11 कृषि के मोर्चे पर भी गिरावट का रुझान चौंका देने वाली सीमा तक व्याप्त है। वर्ष 1996-97 में वार्षिक वृद्धि दर 9.3 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 1997-98 में कृषि उत्पादन में सब मिला कर 6.1 प्रतिशत तक गिरावट दर्ज की गई थी। पिछले वर्ष की तुलना में 1999-2000 में 2.2 प्रतिशत तक पूर्ण गिरावट एक बार पुनः दर्ज की गई। वर्ष 1999-2000 में खाद्यान्न उत्पादन में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। पिछले तीन वर्षों की अवधि (1997-2000) के दो वर्षों में यह वृद्धि दर वर्ष 1996-97 के उत्पादन स्तर से नीचे बनी रही। यही नहीं, कृषि उत्पादों तथा उपभोक्ता वस्तुओं के बढ़ते आयात के कारण कृषि आधारित उद्योग धंधे संकटपूर्ण स्थिति में फंस गए हैं; तत्पश्चात् आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंधों के समाप्त होने की प्रक्रिया में गैर कृषि ग्रामीण उद्योग धंधों का संकट भी गहरा होता चला जा रहा है; इसका गहरा दुष्प्रभाव समग्र रूप में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है।

विदेश व्यापार के क्षेत्र में गिरावट

3.12 विदेश व्यापार के आंकड़े देखने से पता चलता है कि उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में भी जहां पहले कभी भारत की बर्चस्वकारी स्थिति रही थी, निर्यात के लिये बाजार में देश के भाग का निरंतर क्षरण या दूसरे शब्दों में क्षति होती रही है। उदाहरणार्थ चाय के निर्यात को ही लें, विश्व के कुल निर्यात में भारत का भाग तेजी से कम हुआ है; वर्ष 1990 में यह भाग 22.1 प्रतिशत था जो 1997 में कम होकर 2.4 प्रतिशत रह गया; इसी अवधि में मसालों का निर्यात 7.7 प्रतिशत से कम होकर 2.7 प्रतिशत, चमड़े का 4.8 प्रतिशत से कम होकर 2.7 प्रतिशत, चमड़े के उत्पादों (मैन्युफेक्चर) में 13.4 प्रतिशत से कम होकर 2.5 प्रतिशत रह गया (इकनामिक सर्वे 1999-2000)। एक बार पुनः वर्ष 1998-99 में भारत का निर्यात प्राथमिक उत्पादों में 10.4 प्रतिशत तक, निर्मित (मैन्युफेक्चरड) उत्पादों में 2.8 प्रतिशत तक, इंजीनियरिंग वस्तुओं में 16.3 प्रतिशत तक अयस्कों तथा खनिजों में 15.8 प्रतिशत

तक, सूती धागे में 15 प्रतिशत तक तथा कालीन में 2 प्रतिशत तक कम हो गया (भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, 1998-99)। वर्ष 1999-2000 में भारत के निर्यात की सकारात्मक वृद्धि दर डालर के रूप में 13.2 प्रतिशत तक तथा रुपये के रूप में 16.6 प्रतिशत होने पर भी जो आयात की वृद्धि दर की अपेक्षा अधिक थी, व्यापार संतुलन की स्थिति पूर्वत: खराब रही है (डालर के रूप में 11 प्रतिशत तथा रुपये के रूप में 14.7 प्रतिशत), इसका कारण रुपये के मूल्य में तीखी कमी होना है। वर्ष 1998-99 में यह घाटा 41.5 प्रतिशत अधिक हो गया और इसमें 4.8 प्रतिशत तक और अधिक वृद्धि दर्ज की गई जो 1992-2000 के स्तर से ऊपर थी।

3.13 मार्च 2000 तक भारत का विदेशी मुद्रा का आरक्षित कोष 38 अरब लाख अमरीकी डालर आंका गया था; उसमें से 23 अरब अमरीकी डालर की राशि अप्रवासी भारतीयों द्वारा जमा कराई गई थी और स्वर्ण बांड भारी संख्या में थे; जो भारी भुगतान तथा ब्याज की देनदारियां को ही दर्शाते हैं। मार्च 2000 में बाहरी ऋण बढ़कर 98 अरब अमरीकी डालर हो गया था, बाहरी ऋण-सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात 22 प्रतिशत तक पहुंच गया है। वर्ष-1996-97 के पश्चात् पूंजी के कुल अन्तर्वाह में से ऋणों के कारण होने वाला अन्तर्वाह सदा 55 प्रतिशत से ऊपर रहा है और वर्ष 1999 में वह 62.7 प्रतिशत तक पहुंच गया था जो यह दर्शाता है कि हम ऋणों की दलदल में कितनी गहराई तक धंसे हुए हैं।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मिथक

3:14 वर्ष 1997 के पश्चात् पिछले तीन वर्षों की अवधि भारत सरकार द्वारा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को दी गई भारी भरकम छूटों एवं सुविधाओं का बखान करती है। इतने सारे प्रलोभन दिये जाने पर भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अन्तर्वाह में निरंतर कमी आई है; यह अन्तर्वाह 1997-98 में 3.5 अरब अमरीकी डालर था, वर्ष 1998-99 में कम होकर 2.4 अरब अमरीकी डालर तथा वर्ष 1999-2000 में ओर कम होकर 2.1 अरब अमरीकी डालर रह गया। यह अन्तर्वाह विशेष रूप से पोर्टफोलियो निवेशों के लिये हैं जिसका वास्तविक आर्थिक प्रगति अथवा विकास से अधिक लेना देना नहीं है। उस अन्तर्वाह का 70 प्रतिशत से अधिक भाग वर्तमान भारतीय कम्पनियों का अधिग्रहण करने में ही लगा है। हिन्दुस्तान लीवर (यूनिलीवर) द्वारा टोमको, लैकमे तथा मार्डन फूड का अधिग्रहण; जिलेट द्वारा मल्होत्रा ब्लेड्स; कोका कोला द्वारा पारले; ज़िरोक्स द्वारा मोदी ज़िरोक्स; वर्लपूल द्वारा कैलवीनेटर; होंडा द्वारा श्रीराम होंडा, इत्यादि 256 कम्पनियों का अधिग्रहण/विलीनीकरण किया गया; इसके लिये भारत की धरती पर हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लगभग 70

प्रतिशत धन लगाया गया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गए आंकड़ों से पता चल जाता है कि वे विदेशी कम्पनियां यहां के उत्पादों का जितनी मात्रा में निर्यात करती हैं उससे अधिक मात्रा में अपने उत्पाद स्वदेशी अर्थात् हमारे अपने बाजार में बेचती हैं। वे विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां निर्यातों के द्वारा जो भी विदेशी मुद्रा यहां लाई थीं उससे कहीं अधिक राशि अपने हिस्से-पुर्जों का आयात करके, परामर्श दाता के रूप में अपने शुल्कों की वसूली करके तथा अन्य कई प्रकार के हथकण्डे अपना कर बाहर भेज चुकी हैं। यही नहीं, अधिगृहीत कम्पनियों के लगभग उन सभी मामलों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने देश में नये रोजगार का सर्जन करने में लेषमात्र योगदान भी नहीं दिया; इसके विपरीत वे रोजगार में भारी कमी करने का एकमात्र माध्यम अथवा साधन अवश्य बना है।

औद्योगिक मंदे पर भी बढ़ता लाभ

3:15 द इकनामिक टाइम्स द्वारा 300 बड़ी कम्पनियों के कामकाज पर कराए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि नैगम घरानों तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने अधिक शुद्ध लाभ अर्जित किया जो उनकी शुद्ध बिक्री की अपेक्षा अधिक तेज गति से बढ़ा। पिछले दस वर्षों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अपनी बिक्री में 322 प्रतिशत वृद्धि कर सकी, उनका सकल लाभ 369 प्रतिशत तक रहा, वहीं आबकारी शुल्क की उनकी देनदारी केवल 197 प्रतिशत बढ़ी। दूसरी ओर भारतीय नैगम घराने अपने सकल लाभ में 336 प्रतिशत तक तथा शुद्ध बिक्री में 303 प्रतिशत तक वृद्धि कर सके जबकि आबकारी शुल्क के रूप में उनका भुगतान उस स्तर से कहीं नीचे था। यह स्थिति हमें बताती है कि किस सीमा तक बड़े कारोबारी घरानों तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को करों तथा अन्य मदों में छूटें दी गईं जिनके बल पर वे अपने लाभों में अतिशय वृद्धि करने तथा अपना भाग्य चमकाने में सक्षम हो सके ओर उन पर यह अनुकम्पा उत्पादन तथा बिक्री में गिरावट होने पर भी की गई। इसके साथ ही साथ करों से बचने अथवा उनका भुगतान नहीं करने के मामले मे भी बड़े कारोबारी घराने तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अग्रिम पंक्तियों में रही हैं। इसकी पुष्टि किसी और ने नहीं अपितु केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री ने ही अपने एक वक्तव्य में की थी। उन्होंने बताया था कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां सबसे बड़ी कर चोर हैं। यही नहीं; आय कर, नैगम कर तथा सीमा शुल्क का भुगतान नहीं करने वाले चूककर्ताओं की एक सूची 25 जुलाई 2000 को राज्य सभा में प्रस्तुत की गई थी; वह सूची भी इसी तथ्य की पुष्टि करती है कि पिछले तीन वर्षों में सौ शीर्षस्थ चूककर्ताओं में अनेक बड़े कारोबारी घराने तथा बड़े-बड़े धन्ना सेठ सम्मिलित हैं। वास्तव में भाजपा सरकार

बड़े कारोबारी धन्ना सेठों के द्वारा भारी भरकम अन्यायोचित लाभ के अर्जन की प्रक्रिया को बढ़ावा देती रही है। सीमेंट उद्योग के इजारेदारों ने मनमाने ढंग से सीमेंट के मूल्य 50 रुपये प्रति बोरी तक बढ़ा दिये जो न्यायोचित के मूल्य नहीं है। इससे उनके लाभ में वृद्धि हुई है और भाजपा सरकार इस अन्यायोचित मूल्य वृद्धि के लिये उनका साथ दे रही है।

श्रमिकों के साथ कठोर व्यवहार

3:17 दूसरी ओर जहां आर्थिक मंदे तथा गिरावट की स्थिति होने पर भी कारोबारी लाबी को बड़े-बड़े लाभ मिल रहे हैं वहीं शहरी तथा ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में रहने वाले श्रमिक वर्ग के साथ उनकी उत्पादकता में वृद्धि होने पर भी अत्यंत कठोर व्यवहार किया जा रहा है। वर्ष 1999 में खेतिहर श्रमिकों के वेतन वास्तविक अर्थों में 2 प्रतिशत से अधिक कम हुए हैं और कुछेक राज्यों में तो वास्तविक वेतनों में यह कमी लगभग 10 से 13 प्रतिशत तक है (इकनामिक सर्वे, 1999-2000)। गरीब तथा सीमांतक किसान व्यापक स्तर पर अपनी भूमि खोते चले जा रहे हैं और फसलों की विफलताएं तथा बाजार की विफलताएं उन्हें वंचना की स्थिति में धकेल रही हैं और किसानों में आत्महत्याएं करने की घटनाएं होने लगी हैं। कानूनी रूप में देय न्यूनतम वेतनों में देश के अधिकांश राज्यों में पिछले अनेक वर्षों से संशोधन नहीं किया गया, बढ़ रही मुद्रा स्फीति भी उनकी आर्थिक स्थिति में गिरावट लाने का एक और कारण बन गई है। उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण द्वारा जारी किये गए आंकड़ों और उसके साथ साथ केंद्रीय सांख्यकीय संगठन के आद्यतन (अर्थात् नये) आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1990-99 तक की अवधि में प्रति श्रमिक जोड़े गए वास्तविक मूल्य में 39 प्रतिशत तक वृद्धि हुई जबकि इसके विपरीत श्रमिकों के वास्तविक वेतन में केवल 10 प्रतिशत तक वृद्धि हुई और रोजगार पर लगी कुल श्रम शक्ति में अस्थायी एवं संविदा श्रमिकों के भाग में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है।

असाधारण मूल्य वृद्धि

3:18 हमारे पिछले महाधिवेशन के बाद की अवधि में सभी अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में असाधारण वृद्धि देखी गई और यह सब मुद्रास्फीति की गिरती दर तथा एकल अंक मुद्रास्फीति के गलाफाड़ शोर मचाए जाने पर भी हुआ है। वर्ष 1997-98 तथा 1999-2000 के मध्य थोक मूल्य सूचकांक में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई; उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इसी अवधि में 13.4 प्रतिशत तक उछला। किन्तु यदि हम इस तथ्य को अधिक असंचित अथवा गैर पूर्ण योग

(डिसऐग्रीगेटिड) दृष्टि से देखें तो मूल्य वृद्धि की संवृत्ति हमें कहीं अधिक भयानक दिखाई देगी। वाजपेयी सरकार की पिछली दो अवधियों अर्थात् 1997-1999 के मध्य चावल के मूल्यों में 21 प्रतिशत तक, गेहूं के मूल्यों में 30 प्रतिशत तक तथा दालों के मूल्यों में 21 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। इस प्रकार तथाकथित एकल अंक मुद्रा स्फीति की अवधि में जन साधारण को कोई राहत नहीं दी गई।

3:19 बढ़ते मूल्यों की पृष्ठभूमि में गरीब लोगों को राहत देने के उद्देश्य से बनाई गई जन वितरण प्रणाली (पी डी एस) ने बाजार मूल्यों से भी अधिक अपने मूल्यों में तेज तथा उच्चतर वृद्धि करने के अपने कार्य कौशल का प्रदर्शन किया है। 1997-1999 के मध्य पी डी एस मूल्य चावल के लिये 27 प्रतिशत तक तथा गेहूं के लिये 64 प्रतिशत तक बढ़े। पिछले केंद्रीय बजट में सरकार ने चावल तथा गेहूं दोनों के मूल्यों में और 64 प्रतिशत तथा 46 प्रतिशत की वृद्धि कर दी थी। सरकार की ओर से बाजार मूल्यों की अपेक्षा पी डी एस मूल्यों में तेजी के साथ वृद्धि करने का स्पष्ट उद्देश्य लाभ के भूखे व्यापारियों तथा काला बाजारियों के आदेश पर अन्ततोगत्वा स्वयं जन वितरण प्रणाली को ही भंग कर देना है। सरकार ने स्वयं सत्ता में आने के तत्काल पश्चात् ईंधन के मूल्यों में 40 प्रतिशत की भारी भरकम वृद्धि कर दी थी। तत्पश्चात् पैट्रो-उत्पादों के मूल्य तीन बार जनवरी, मार्च तथा सितम्बर 2000 में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ढंगों से बढ़ाए गए, इसके दुष्परिणामस्वरूप अन्य उपभोक्ता वस्तुओं पर भी मुद्रा स्फीति का दबाव पड़ा था।

3:20 सभ्य एवं मानवोचित जीवन व्यतीत करने के लिये आवश्यक सभी अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में असाधारण वृद्धि देखी गई। शिक्षा तथा शैक्षणिक सामग्री पर होने वाले खर्चे में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। अधिकांश अत्यावश्यक दवाओं के मूल्यों में भी तेज वृद्धि होती देखी गई और कुछेक मामलों में तो यह मूल्य वृद्धि 77 प्रतिशत से लेकर 457 प्रतिशत तक हुई है। इस प्रकार सरकार धीरे-धीरे दवाओं एवं औषधियों के मूल्यों पर से नियंत्रण हटाती चली जा रही है; बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा वाजपेयी सरकार द्वारा एकजुट होकर काम किये जाने के फलस्वरूप अनेक सस्ती दवाएं बाजार से ही अदृश्य हो गई हैं। यहीं नहीं, ऊर्जा क्षेत्र में निजीकरण के अभियान के चलते अनेक राज्यों में राज्य बिजली बोर्डों के बिस्तर गोल होने लगे हैं, उनके साथ ही काउंटर गारंटियां प्राप्त विदेशी ऊर्जा कम्पनियों ने उन सम्बन्धित राज्यों में बिजली की दरों में भारी वृद्धि कर दी है वहीं अधिकांश अन्य राज्य भी विनाश के इसी मार्ग पर चलने के लिये अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में जहां राज्य बिजली बोर्डों का

बिस्तर गोल कर दिया गया है अर्थात् उनका निजीकरण किया गया है; बिजली की दरों में 200 से लेकर 300 प्रतिशत तक वृद्धि हो चुकी है। समग्र रूप में मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने के दावे किये जाने पर भी वाजपेयी सरकार द्वारा उठाया जा रहा प्रत्येक कदम जन साधारण के लिये आवश्यकता की सभी वस्तुओं के मूल्यों की बढ़ती ज्वाला को और भड़का रहा है; दरिद्रता की स्थिति और बिगड़ती चली जा रही है; बाजार और अधिक सिकुड़ रहे हैं तथा इसके दुष्परिणामस्वरूप औद्योगिक गतिविधियों का भविष्य धूमिल हो गया है।

3:21 समग्र रूप में उदारीकरण की नीतियों के अन्धानुकरण ने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बादी एवं विनाश की ओर धकेल दिया है। औद्योगिक अर्थव्यवस्था को उसके मैन्युफेक्चरिंग आधार के साथ जिसका पिछले 50 वर्षों में निर्माण किया गया था, चरणबद्ध ढंग से विदेशी उत्पादों के लिये विपणन एवं सर्विस केंद्र के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। दरिद्रता, बेरोजगारी, औद्योगिक बीमारी तथा कामबंदी की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जा रही है वहीं बड़े कारोबारी घराने तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियां देश को निर्ममता के साथ लूट रही हैं।

3:22 देश में सभी प्रकार की अराजक स्थितियों के लिये भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार को उत्तरदायी करार देते हुए भी हम इस तथ्य की अनदेखी नहीं कर सकते कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष तथा विश्व बैंक द्वारा निदेशित नीतियों के आगे समर्पण करने की प्रक्रिया पी वी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने ही शुरू की थी। आखिर, गैट समझौते पर तो तत्कालीन वाणिज्य मंत्री प्रणव मुखर्जी ने ही हस्ताक्षर किये थे और उन्होंने यह काम करते समय हड़बड़ी से काम लिया था जबकि विकसित पूंजीवादी देशों द्वारा भी उस पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। यह डाक्टर मनमोहन सिंह ही थे जिन्होंने आंखें मूंद कर विदेशी मुद्रा के संकट को दूर करने के उद्देश्य से ऋण प्राप्त करते समय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सभी शर्तों को निर्लज्जतापूर्वक स्वीकार कर लिया था, इसकी स्वीकारोक्ति उन्होंने स्वयं दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर अपनी रिपोर्ट लिखते समय की थी। यह संकट उदारीकृत आयातों की नीतियों के फलस्वरूप भी उत्पन्न हुआ था, ये नीतियां अस्सी के दशक के अंतिम भाग में तत्कालीन राजीव गांधी सरकार द्वारा अपनाई गई थी। संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम पूरे देश पर लाद दिया गया; इसे लागू करने से पूर्व किसी भी स्तर पर विचार विमर्श नहीं किया गया। अर्थ व्यवस्था के विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों के निजीकरण की दिशा में उठाए गए कदम, बहुराष्ट्रीय निगमों को भारी भरकम लाभों की पेशकशें कांग्रेसी सत्ता के समय से ही की जाने

लगी थीं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने तथाकथित सुधारों की गति और तेज करने के नाम पर नीति सम्बन्धी एक पैकेज बनाया है; यह पैकेज कहीं अधिक बदतर है।

4. सार्वजनिक क्षेत्र का विखण्डन

4:1 केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने देश में सार्वजनिक क्षेत्र को समाप्त कर देने का दृढ़ निश्चय किया हुआ है। अपने पहले ही बजट (1998) में स्पष्ट शब्दों में घोषणा कर दी थी कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों को बंद कर दिया जाएगा और सार्वजनिक इकाईयों में सरकार की शेयर होल्डिंग कम करके उसे केवल 26 प्रतिशत रहने दिया जाएगा और 74 प्रतिशत बेच दी जाएगी। पूंजी विनिवेश की दिशा में उठाए जा रहे कदमों में सरकार ने तेजी ला दी है और अपना लक्ष्य भी बढ़ा दिया है। इसी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों के शेयरों की क्रास-होल्डिंग का एक विशिष्ट मार्ग बनाया और लाभ पर चलने वाली सार्वजनिक इकाईयों में से 4,184 करोड़ रुपये की धन राशि निकाल ली जो उसके बहुमूल्य एवं प्रतिष्ठित स्रोत थीं, इस प्रकार उन इकाईयों को वित्तीय संकट में धकेल दिया गया। 31 जनवरी, 2000 तक सार्वजनिक क्षेत्र की 39 इकाईयों के शेयरों का पूंजी विनिवेश किया जा चुका था जिनमें सर्वाधिक लाभ का अर्जन करने वाली ब्लू चिप कम्पनियां भी सम्मिलित हैं। इस प्रक्रिया में कुल 18,394 करोड़ रुपये की राशि इकट्ठी की गई थी। पूंजी विनिवेश आयोग ने स्वयं विचार व्यक्त किया था, "ब्लू चिप कम्पनियों के शेयर सार्वजनिक क्षेत्र को सहगामी लाभ पहुंचाए बिना ही जी डी आर तथा घरेलू बाजारों में बेच दिये गए, इसके परिणामस्वरूप ब्लू चिप कम्पनियों में सरकार की एक्विटी में कमी आ गई और यह काम केवल सरकार के बजट घाटे को पूरा करने के लिये किया गया।"

4:2 स्वयं को सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों की "हत्याएं करने वाली सर्वाधिक योग्य हत्यारिन" सिद्ध करने की ललक में वाजपेयी सरकार ने इसके लिये एक नये मंत्रालय की स्थापना कर दी है—पूंजीविनिवेश विभाग—प्रकट रूप में इसके मंत्रालय का गठन सार्वजनिक क्षेत्र के परिसमापन की गति में तेजी लाने के लिये किया गया है।

4:3 प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1-4-2000 को नयी दिल्ली में सार्वजनिक उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की एक बैठक को सम्बोधित करते हुए निर्लज्जतापूर्वक सार्वजनिक क्षेत्र तथा श्रमिक आंदोलन के विरुद्ध विषवमन

किया था। सार्वजनिक क्षेत्र के विरुद्ध उनके आरोपों की लम्बी सूची में ये आरोप भी सम्मिलित थे: ''तेजी से रोजगार पैदा करने वाले'', ''उत्पादकता तथा लाभ के प्रति लापरवाह'', ''क्षति पर चलने वाली इकाईयां'', ''क्षमताओं का उपयोग 50 प्रतिशत से भी कम होता है और वापसियां (निवेश पर) अभी तक निवेश के साथ अनुरूप नहीं हुईं है,'' ''उत्पादकता में गिरावट तथा गिरते लाभों के रूप में दीर्घावधि प्रभाव'' इत्यादि। प्रधानमंत्री ने इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र पर अपने विषैले वाणों की वर्षा करने में कोई कोर कसर शेष नहीं छोड़ी थी किन्तु आईये, हम सरकारी रिकार्ड का सहारा लेकर कुछ विशेष तथ्यों का अवलोकन करें।

4:4 वर्ष 1991 से शत्रुतापूर्ण नीतिगत सत्ता होने पर भी अधोलिखित संकेतक दर्शाते हैं कि किस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र निरंतर सफलता की नयी नयी ऊँचाईयों को छूता चला जा रहा है। जिस बजट सहायता की दुहाई अधिकाधिक दी जाती है उसका उल्लेख यहां करना उपयोगी होगा; सार्वजनिक क्षेत्र के कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता में निरंतर कमी आई है, वर्ष 1990 में यह 32 प्रतिशत थी किन्तु 1995 में कम होकर 13 प्रतिशत रह गई। अधोलिखित तालिका में देखा जा सकेगा कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों का सरकार के संसाधनों को बढ़ाने में अत्यधिक योगदान रहा है, यह योगदान लाभांशों अर्थात् डिविडेंड, नैगम करों, आबकारी शुल्कों इत्यादि का भुगतान करके दिया गया। इस प्रक्रिया में सार्वजनिक क्षेत्र सरकार की विकास परियोजनाओं में धन लगा कर सहायता करता रहा है। वर्ष 1998-99 में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों ने केंद्रीय राजकोष में 46,925 करोड़ रुपये का योगदान दिया और उसके योगदान में 11 प्रतिशत वृद्धि हुई।

राजकोष के लिये सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान करोड़ रुपये में

वर्ष	सकल लाभ	लाभांश	नैगम कर	आबकारी शुल्क	सीमा शुल्क	अन्य शुल्क
1991-92	13,675	687	1858	8652	7269	1485
1992-93	15,975	792	2160	8200	8008	3289
1993-94	18,556	1028	2348	9861	6999	2752
1994-95	22,630	1436	2720	12256	7003	4057
1995-96	27,587	2205	3998	11916	9785	2974
1996-97	30,915	2836	5280	13895	13246	763
1997-98	37,212	3609	7026	16693	10970	778
1998-99	39,766	4932	8479	18771	9352	2488

4:5 उपरोक्त संकेतकों के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों के कार्य प्रदर्शन में आए महत्वपूर्ण सुधारों को आंकने के और ढंग अथवा विधियां भी हैं। उनमें लगी प्रधान पूंजी पर शुद्ध लाभ जो 1991-92 में दो प्रतिशत था वर्ष 1997-98 में बढ़ कर 6.2 प्रतिशत हो गया। लगाई गई पूंजी पर सकल लाभ वर्ष 1991-92 में 11.6 प्रतिशत से बढ़ कर वर्ष 1997-98 में 16.2 प्रतिशत तक पहुंच गया।

4:6 तेल एवं पेट्रोलियम, ऊर्जा, दूर संचार, रेल, सड़क तथा वायु परिवहन, गोदी एवं बंदरगाह, वायु पत्तन (हवाई अड्डे) और नि:संदेह वित्तीय क्षेत्र इस हमले का प्रमुख लक्ष्य बन चुके हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कुछेक बड़ी इकाईयों जिन्हें हाल ही में इस हमले की मार झेलनी पड़ी है, में सेल, कोल इंडिया, एन टी पी सी, एन एच पी सी, बी एच ई एल, आइ पी सी एल, एन एफ एल, जी ए आइ एल, इंडियन एयर लाइन्स तथा भारतीय वायुपत्तन प्राधिकरण अर्थात् एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया इत्यादि सम्मिलित हैं।

4:7 सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की जिन इकाईयों के किवाड़ बंद कर देने का निर्णय ले लिया है उनमें कोलार गोल्ड फील्डस् तथा एच एस सी एल भी हैं। उनके अतिरिक्त सात अन्यों के सम्बन्ध में पहले ही घोषणा की जा चुकी थी। मार्डन फूड लिमिटेड का पूर्ण निजीकरण हो चुका है; पूर्ण निजीकरण होने वाला इस अवधि का यह पहला मामला है। सरकार द्वारा इंडियन एयर लाइन्स तथा देश के पांच प्रमुख वायु पत्तनों (एयर पोर्टस) का निजीकरण करने के निर्णय की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। इससे भी आगे की कार्रवाई करते हुए केंद्रीय मंत्रिमण्डल ने एयर इंडिया के 60 प्रतिशत शेयर बेच कर उसका निजीकरण करने के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी है; इनमें से 26 प्रतिशत शेयर विदेशी कम्पनियों को बेचे जा रहे हैं।

4:8 तेल तथा प्राकृतिक गैस के क्षेत्र के लिये सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति की ओर से ''हाइड्रो कार्बन वियन 2025'' शीर्षक के अन्तर्गत एक रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में संस्तुति दी गई है कि सार्वजनिक क्षेत्र की सभी तेल इकाईयों में सरकारी एक्विटी वर्ष 2005 तक नीचे लाकर लगभग शून्य तक पहुंचा दी जाए। रिपोर्ट ने स्पष्ट रूप में ''तेल शोध के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को उसके वर्तमान स्तर 49 प्रतिशत से बढ़ा कर 100 प्रतिशत तक कर देने के लिये कहा है। सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र विरोधी तेल नीतियों के दुष्परिणामस्वरूप अम्बानी समूह की रिलायंस पेट्रोलियम कम्पनी एक अग्रणी तेल शोध (रिफाइनिंग) कम्पनी बन गई है जिसका जामनगर में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तेल शोध संयंत्र स्थापित है और जिसकी क्षमता (खुली तथा छिपी दोनों) 35 एम एम टी पी ए है। यह भी

उल्लेखनीय है कि कम्पनी ने पहले ही उन 15 सर्वाधिक उत्पादनशील तेल क्षेत्रों को प्राप्त कर लिया है जिन्हें ओ एन जी सी द्वारा खोजा गया था। एच पी सी एल, बी पी सी एल, एम आर एल, आइ बी पी जैसी प्रमुख तेल कम्पनियां भी निजीकरण की प्रक्रिया में हैं। वास्तव में, सरकार आइ बी पी के निजीकरण हेतु अपनी स्वीकृति दे चुकी है। यही नहीं, उपरोक्त रिपोर्ट में दिये गए निदेशों का पालन करते हुए इन कम्पनियों के उच्चतर बाजार मूल्य प्राप्त करने के उद्देश्य से ''सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों के परस्पर विलीनीकरण तथा उन्हें एक दूसरी के साथ जोड़ कर'' ''तेल क्षेत्र में चरणबद्ध ढंग से पूंजीविनिवेश'' करके सरकार ने एन आर एल तथा सी आर एल को बी पी सी एल, की सबसिडेयरीज़ और एम आर एल तथा बी आर पी एल को आइ ओ सी की सबसिडेयरीज़ (अर्थात् अधीनस्थ कम्पनियां) बना देने के अपने निर्णय की घोषणा कर दी है।

4:9 सम्भावित क्रेताओं के लिये सार्वजनिक उपक्रमों को आकर्षक बनाने के उद्देश्य से तथाकथित गैर जीवन क्षम इकाईयों के किवाड़ बंद कर देने, पूंजी का पुनर्गठन करने, कम्पनियों को दो भागों में विभक्त करने जैसे विभिन्न कदम सरकार द्वारा उठाए गए हैं। इस दिशा में उठाया गया एक और प्रतिगामी कदम कर्मचारियों की संख्या कम करने का है। कर्मचारियों की संख्या कम करने के लिये जहां उन्हें प्रलोभन देने के बदनाम हथकण्डे अपनाए जा रहे हैं वहीं बाहु बल का सहारा भी लिया जा रहा है अर्थात् ''स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति ले लो या फिर छंटनी के लिये तैयार हो जाओ।'' एक संशोधित सेवा निवृत्ति योजना की घोषणा हाल ही में की गई है; इस योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक इकाईयों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है—लाभ पर चलने वाली, व्यावसायिक दृष्टि से कमजोर तथा बीमार इकाईयां।

4:10 कांग्रेस (आइ) सरकार द्वारा गठित ओंकार गोस्वामी समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र की सभी बीमार इकाईयों को बंद कर देने के लिये बीमार कम्पनियों सम्बन्धी अधिनियम सिका—1985 को समाप्त करके कोई द्रुतगामी अर्थात् फास्ट ट्रैक प्रक्रिया शुरू करने की संस्तुति (सिफारिश) दी है। देश में सम्पूर्ण श्रमिक आंदोलन ने बहुत पहले ही इस प्रकार के प्रस्ताव को पूर्णतया ठुकरा दिया था। किन्तु भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने सिका को समाप्त करने के लिये यह खतरनाक कार्रवाई शुरू कर दी है।

5. नयी कपड़ा नीति

5:1 भाजपा सरकार ने अन्ततोगत्वा अपनी नयी कपड़ा नीति की घोषणा कर दी है

जिसके अन्तर्गत भारत के विशाल कपड़ा उद्योग को साम्राज्यवादी भूमण्डलीयकरण के मकड़ जाल में फंसा दिया गया है। यह नीति कुख्यात सत्यम समिति द्वारा दी गई संस्तुतियों (सिफारिशों) पर आधारित है। सत्यम समिति भूमण्डलीयकृत वित्तीय अर्थ व्यवस्था के बारह समर्थकों पर आधारित थी।

5:2 संक्षेप में, नयी नीति में प्रमुख बल इसी बात पर दिया गया है कि कपड़ा उत्पादों की मैन्युफेक्चरिंग प्रमुख रूप से निर्यात के लिये हो, घरेलू उपभोग के लिये नहीं। सरकार आशा करती है कि विश्व व्यापार संगठन की सत्ता के अन्तर्गत वर्ष 2004 के अन्त तक मल्टी-फाइबर समझौता चरणबद्ध ढंग से समाप्त हो जाने के पश्चात् तथाकथित मुक्त व्यापार के युग का सूत्रपात होने पर वह दो वर्षों अथवा उससे अधिक समय के भीतर निर्यात दुगने कर सकती है। जहां एक ओर सरकार को आयातों का उदारीकरण करना होगा वहीं दूसरी ओर साम्राज्यवादी देशों द्वारा डम्पिंग विरोधी कार्रवाईयां करके संरक्षणवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहीं पर बस नहीं, सरकार आयातों पर सभी मात्रात्मक प्रतिबंध हटा रही है और हथकर्घा क्षेत्र के उत्पादन के लिये आरक्षित आइटमों को आरक्षण मुक्त कर रही है।

5:3 इसके अतिरिक्त, संगठित मिलों के मिश्रित (अर्थात् कम्पोजिट) चरित्र को अधिकारिक रूप से अब समाप्त कर दिया जाएगा। इसका परिणाम कताई अनुभागों में कामबंदी तथा हजारों रोजगारों की क्षति के रूप में निकलेगा। केवल यही नहीं हथकर्घा तथा विद्युत कर्घा (पावर लूम) क्षेत्रों के पुनर्गठन के चलते भारी संख्या में छोटी तथा मंझौली हथकर्घा एवं विद्युतकर्घा इकाईयों में कामबंदी भी हो जाएगी। सार्वजनिक क्षेत्र की एन टी सी मिलों के लिए भी सरकार ने आधिकारिक रूप में घोषणा की है कि मिलों की विशाल बहुसंख्या को बंद कर दिया जाएगा। श्रमिकों द्वारा पहले ही 3 दिसम्बर, 2000 को नयी दिल्ली में संयुक्त प्रदर्शन किया जा चुका है। हमारी सभी राज्य समितियां तथा कपड़ा उद्योग में सक्रिय श्रमिक संघ इन सभी तीनों क्षेत्रों में संयुक्त आंदोलनों को और तेज करें तथा सरकार से इस नीति को वापस लेने की मांग करें; सी आइ टी यू की अखिल भारतीय समन्वय समिति तथा सभी श्रमिक संघों पर आधारित संयुक्त संघर्ष समिति को इस सम्बन्ध में आगे की कार्रवाई करनी चाहिए।

6. लोगों की दिल दहला देने वाली स्थितियां

6:1 अर्थ व्यवस्था में सर्वग्रासी गिरावट आने के दुष्परिणामस्वरूप दरिद्रता, व्यापक रोजगार क्षतियों तथा बेरोजगारी की स्थिति और अधिक बिगड़ गई है; लोगों

की आय भारी दबावों में है, इसके चलते हमारी जनता की बहुसंख्या के मानवीय जीवन की गुणवत्ता कम हुई है।

6:2 सरकार के आंकड़ों के अनुसार गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की प्रतिशतता ग्रामीण तथा शहरी भारत में 37.3 तथा 32.4 है और उसका राष्ट्रीय अनुमान 36 प्रतिशत है।

6:3 किन्तु स्थिति इससे भी कहीं अधिक खतरनाक एवं अनिष्ठकारी है। नेशनल कौंसिल आफ एप्लाईड इकनामिक रिसर्च (एन सी ए ई आर) द्वारा कराए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि 58 प्रतिशत ग्रामीण परिवार तथा 37 प्रतिशत शहरी परिवार न्यूनतम पारिवारिक आय समूह में आते हैं अर्थात् उनकी वार्षिक 20,000 रुपये से भी नीचे (1994 के मूल्यों के अनुसार)अथवा 6 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दिन है जिसमें न्यूनतम अर्ध मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करना कदाचित सम्भव नहीं हो सकता। उसी सर्वेक्षण में यह भी बताया गया है कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग (सबसे कम पारिवारिक आय की दृष्टि से) तथा वे लोग जो गरीबी की रेखा से थोड़ा ऊपर हैं, ग्रामीण परिवारों का 88.6 प्रतिशत तथा शहरी परिवारों का 69.8 प्रतिशत भाग हैं। किसी संकट अथवा आपदा की स्थिति जैसे चक्रवाती तूफान तथा सूखा अथवा व्यापक स्तर पर औद्योगिक कामबंदी जो हाल ही में उत्पन्न होती रही है, में जनता की यही श्रेणियां वंचना की मार सबसे अधिक झेलती हैं। विश्व बैंक द्वारा कराए गए अध्ययन से पता चला है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा राजस्थान जैसे अल्प आय वाले राज्यों जहां देश की 40 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या रहती है, में उसी आकार के अन्य भारतीय राज्यों की तुलना में गरीबी की व्याप्ति अथवा प्रभाव क्षेत्र 50 प्रतिशत से भी अधिक है।

6:4 जहां 36 प्रतिशत जन संख्या आय के मानदण्ड के अनुसार आधिकारिक गरीबी की रेखा के नीचे रह रही हैं वहीं ग्रामीण जन संख्या न्यूनतम 2400 कैलोरी से भी कम अर्थात् उसके केवल 70 प्रतिशत का उपभोग कर पाती है। पिछले दस वर्षों में गरीबी की रेखा पर रहने वाले लोगों तथा न्यूनतम मानवीय आवश्यकता से भी कम उपभोग करने वाली जन संख्या के मध्य अंतर बढ़ता ही चला गया है (भारत-मानव विकास रिपोर्ट 1999-2000), अत: सरकार द्वारा गरीबी की रेखा की आय का निर्धारण करना अर्थहीन हो जाता है।

6:5 पिछले तीन वर्षों में स्थिति और खराब हो गई है और लोगों की विशाल संख्या भयावह स्थितियों में जीवन यापन करने के लिये विवश है। आर्थिक सर्वेक्षण

(1999-2000) में स्वीकार करना पड़ा है कि ''पारिवारिक व्यय सम्बन्धी हाल ही में एकत्रित किये गए नमूने...दरिद्रता में कमी लाने की दिशा में कोई सकारात्मक रुझान नहीं दर्शाते हैं।'' मूल्यों का स्तर कई गुणा ऊंचा हो चुका है, पी डी एस मूल्य तो बाजार मूल्यों से तेज गति से बढ़े हैं। कानूनी रूप से देय न्यूनतम वेतनों जो अधिकांश राज्यों में पहले ही गरीबी की रेखा के नीचे वाले थे, में पिछले पांच वर्षों या उससे भी अधिक समय से संशोधन नहीं किया गया है। और 90 प्रतिशत श्रमशक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले विशालकाय असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की बहुसंख्या के लिये कानूनी रूप से देय न्यूनतम वेतनों के प्रावधान को भी पूर्णतया कार्यान्वित नहीं किया जा रहा।

6:6 खेतिहर श्रमिकों के मामले में तो स्थिति और भी अधिक गम्भीर है। आर्थिक सर्वेक्षण, 1999-2000 के अनुसार वर्ष 1998-99 से खेतिहर श्रमिकों के लिये वास्तविक वेतनों में 2.12 प्रतिशत की गिरावट आई है। यहां तक कि भारत की दरिद्रता पर विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित एक दस्तावेज (31 जनवरी, 2000) में रेखांकित किया गया है—ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तविक दैनिक मजदूरी में वृद्धि जो ''कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा दरिद्रता में कमी के मध्य एक आधारभूत सम्पर्क है'' 1990 के दशक में कम होती चली गई है।''

6:7 यही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि रोजगार पूर्वत: निश्चल बना हुआ है, यह स्थिति खराब होते चले जाने का एक संकेत है। विश्व बैंक की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 1990 के दशक में गैर कृषि रोजगार की वृद्धि की स्थिति निश्चल/गिरावट वाली होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि रोजगार पर निर्भरता वास्तव में बढ़ी है। आयातों का पूर्ण उदारीकरण किये जाने के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगारहीनता बढ़ी है, यह एक तथ्य है और जिस ढंग से मात्रात्मक प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं, उसका दुष्प्रभाव कृषि आधारित उद्योगों तथा ग्रामीण व्यवसायों पर व्यापक स्तर पर पड़ रहा है। फसल—विफलता देश के अनेक भागों में निरंतर बने रहने वाली संवृत्ति बन चुकी है इसके चलते छोटे किसानों के परिवारों में आत्महत्याएं होने लगी हैं, भूमिहीन खेतिहर श्रमिकों की तो बात ही जाने दीजिए।

6:8 दरिद्रता कम करने तथा अन्य विकास कार्यक्रमों में वास्तविक अर्थों में किये जा रहे व्यय में जबरदस्त कटौती के दुष्परिणामस्वरूप स्थिति और अधिक खराब हो गई है। वर्ष 1996-97 के बाद के वर्षों में ग्रामीण विकास, रोजगार सर्जन तथा गरीबी कम करने से सम्बन्धित केंद्रीय योजनागत व्यय किसी उल्लेखनीय वृद्धि को

नहीं दर्शाते और प्रत्येक वर्ष आबंटिन बजट राशि से भी वास्तविक व्यय 500 करोड़ रुपये से लेकर 1000 करोड़ रुपये कम हुआ है। वर्ष 1998-99 से तो इन शीर्षकों के अन्तर्गत बजट राशि का आबंटन पूर्णतया गिरावट की ओर अग्रसर हुआ है। इसके फलस्वरूप न केवल गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग प्रभावित हुए हैं और वे वंचना की स्थिति में पहुंच गए हैं अपितु गरीबी की रेखा के थोड़ा ऊपर रहने वाले लोगों का एक बड़ा भाग गरीबी की रेखा के नीचे धकेला जा चुका है तथा उसकी स्थिति और अधिक खराब हो रही है।

6:9 यहीं पर बस नहीं, हाल ही के वर्षों में औद्योगिक बीमारी में असाधारण वृद्धि हुई है, तथा कामबंदी की घटनाएं उत्तरोत्तर बढ़ती चली जा रही हैं, इनकी संख्या पहले ही लगभग छह लाख तक पहुंच चुकी है। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में उद्योगों की अघोषित कामबंदियों/किवाड़ बंद होने/बिस्तर गोल होने की घटनाओं में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है वहीं उनमें कार्यरत श्रमिक समझौते के अन्तर्गत देय अपने वेतनों एवं अन्य लाभों जिनमें कानूनी रूप से देय वेतन भी सम्मिलित हैं, से वंचित किये जा रहे हैं। एच एस सी एल, एन पी सी सी, आई डी पी एल जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों में कार्यरत हजारों श्रमिकों को पिछले तीन वर्षों की अवधि में एक वर्ष से भी अधिक समय से उनके वेतन् नहीं मिल रहे। निजी क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की स्थिति तो इससे भी अधिक खतरनाक हो चुकी है, उनके अधिकांश मामलों के तो समाचार ही नहीं मिलते हैं। इसी संदर्भ में, निर्यात प्रसंस्करण अंचलों में कार्यरत श्रमिकों की स्थिति सबसे अधिक खराब है, उन्हें अत्यंत भयावह अर्थात् अमानवीय स्थितियों में काम करना पड़ता है, वे नियमित नहीं होते तथा गैर कानूनी ढंग से उनकी छंटनी कर दी जाती है, इकाईयों में कामबंदी तथा किसी दूसरे नाम पर उसी इकाई के दोबारा खुल जाने जिसमें श्रमिक भी नये होते हैं, जैसी घटनाएं सामान्य बन चुकी हैं। सरकार की नीति का लाभ उठाकर वे (ई पी जैड) व्यवहारिक रूप में उन अंचलों में कोई भी श्रम कानून लागू नहीं होने देते और वहां श्रमिक संघों को भी काम नहीं करने दिया जाता, देश भर में स्थापित इस प्रकार के दस निर्यात प्रसंस्करण अंचलों (ई पी जैड) में व्यावहारिक रूप में जंगल राज चल रहा है।

6:10 कारोबारी अथवा औद्योगिक इकाईयों विशेष रूप से निजी क्षेत्र में, का पुनर्गठन करने के नाम पर क्या चल रहा है? वहां श्रम शक्ति का आकार कम करने के बहाने श्रमिकों की व्यापक छंर्टनियां की जाती हैं और इस काम में उन्हें सरकार की पूरी सहायता प्राप्त होती है। केवल यही नहीं, स्थायी श्रमिकों की छंटनी करने

के पश्चात् उनके स्थान पर वही काम करने के लिये संविदा श्रमिकों को भर्ती कर लिया जाता है। कुछेक मामलों में छंटनी किये गए श्रमिकों को उसी औद्योगिक इकाई में संविदा श्रमिकों के रूप में रखा गया है और उन्हें आधा अथवा उससे भी कम वेतन दिया जा रहा है। यही नहीं, अनेक मामलों में यह प्रक्रिया प्रवर्तन (एनफोर्समैंट) अधिकारियों की मिलीभगत से चलती है, श्रमिकों का यूनियनकरण रोकने के लिये एक औद्योगिक इकाई को तीन/चार अलग अलग कम्पनियों के रूप में दिखाया जाता है जहां दस से कम श्रमिक काम करते हैं, प्राय: ये इकाईयां हाई टैक स्तर पर चलती हैं और वे नियमित रोजगार का रजिस्टर भी नहीं रखतीं। इस प्रकार श्रमिकों के सिरों पर छंटनी की तलवार सदा लटकती रहती है और काम के समय दुर्घटना एवं अंग भंग हो जाने की स्थिति में भी उन्हें कानूनी रूप से देय सभी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती।

6:11 समग्र रूप में रोजगार के मोर्चे पर यद्यपि वाजपेयी सरकार प्रत्येक वर्ष एक करोड़ अतिरिक्त रोजगारों का सृजन करने के लिये प्रतिबद्ध है किन्तु वास्तविक स्थिति इसके ठीक विपरीत है। आर्थिक सर्वेक्षण 1999-2000 के अनुसार उद्योगों में रोजगार का सृजन मात्र 0.46 प्रतिशत रहा था किन्तु इसमें तथाकथित स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति तथा छंटनी, अघोषित कामबंदी इत्यादि के माध्यम से सार्वजनिक तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों में लाखों श्रमिकों की होने वाली क्षतियों को सम्मिलित नहीं किया गया। यही पर बस नहीं, जिन रोजगारों का सृजन हुआ भी है, वे रोजगार की गुणवत्ता के गंभीर निम्नीकरण को दर्शाते हैं, दक्ष श्रमिकों द्वारा किये जाने वाले काम कम गुणवत्ता वाले, कम वेतन वाले अदस श्रमिकों अथवा स्वरोजगार पर लगे लोगों से कराए जा रहे हैं और वह भी सीमित क्षेत्रों में। यही नहीं, शहरों में रोजगार का गम्भीर अभाव होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र के रोजगार पर गम्भीर दबाव पड़ रहा है और गरीबी तथा उसके कारण उपजे जन असंतोष की स्थिति सर्वत्र तीव्र से तीव्रतर होती चली जा रही है।

6:12 इसके परिणामस्वरूप भाजपा शासन के अन्तर्गत ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में रहने वाले श्रमिकों को धीरे-धीरे वंचना तथा अर्ध मानवीय जीवन स्थिति की ओर धकेला जा रहा है। जैसा कि एन सी ए ई आर द्वारा ऊपर बताया जा चुका है - गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों में भी प्रत्येक 100 परिवारों अथवा घरों में से 63 परिवार दैनिक वेतनों पर काम करते हैं और वे वस्तुत: वंचना की स्थिति में है। उन्हें वर्ष में कठिनाई से 153 दिनों का काम मिलता है और वे जीवित रहने के लिये भिक्षावृति करने अथवा बंधुआ श्रमिक बन जाने पर विवश हैं। उनके बच्चे

पाठशालाओं में जाने का सपना तक नहीं देख सकते। वे निकृष्टतम एवं भयानक बीमारियों से पीड़ित होते हैं और असमय काल का ग्रास बन जाते हैं, इस प्रकार के अधिकांश मामलों अर्थात् इन श्रमिकों की असमय मृत्यु एवं आशक्तता के समाचार भी दिये नहीं जाते और वे तथाकथित सरकारी सर्वेक्षणों का ध्यान भी अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर पाते।

7. बेरोजगारी की बिगड़ती स्थिति

7:1 पिछले दशक में श्रम शक्ति की वृद्धि तथा रोजगार वृद्धि के बीच का अंतर निरंतर बढ़ता चला गया है और बेरोजगारी का जटिल प्रश्न अथवा स्थिति और अधिक भयावह हो गई है। योजना आयोग ने अपने प्रस्तुतिकरण में कहा था कि 2000 तक की अवधि में रोजगार में लगभग 2.6 से 2.8 प्रतिशत आनुपातिक वार्षिक दर से वृद्धि होनी चाहिये। तथापि इस दशक में 1994 से पूर्व श्रम शक्ति की वास्तविक वार्षिक वृद्धि 2.5 प्रतिशत की तुलना में रोजगार वृद्धि की दर केवल 2 प्रतिशत थी। किन्तु स्थिति के बिगड़ने का रुझान यहीं पर नहीं रुका। वर्ष 1991-96 के मध्य श्रम शक्ति में आनुपातिक वृद्धि वार्षिक दर 2.38 प्रतिशत थी जबकि रोजगार 1.9 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा। यह विचलित कर देने वाला अन्तर अनिवार्य रूप से और अधिक बढ़ जाएगा क्योंकि सत्ताधारी श्रेणियों ने विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के समक्ष निर्लज्जतापूर्वक आत्मसमर्पण कर दिया है। जो ''रोजगारविहीन'' विकास की खतरनाक खेल की खिलाड़ी हैं।

7:2 केंद्रीय श्रम मंत्रालय की 1999-2000 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार में 0.7 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि हुई। वास्तव में नयी आर्थिक नीति लागू होने के समय से ही सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों में कार्यरत कर्मचारियों को लाखों की संख्या में रोजगारों से निकाल बाहर किया गया है। वर्ष 1991-92 में सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों में नियमित कर्मचारियों की संख्या 21.79 लाख थी जबकि 1998-99 में यह कम होकर 19.00 लाख रह गई। यदि सेल, बी एच ई एल, सी आइ एल जैसे विशालकाय सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा घोषित छंटनी की योजना को कार्यान्वित किया जाता है और अनेक सार्वजनिक उपक्रमों को बंद करने के निर्णय को सरकार द्वारा लागू किया जाता है तो उस स्थिति में लाखों कर्मचारी अपने-अपने रोजगारों से हाथ धो बैठेंगे और वे देश में बेरोजगारों की सेना के विशाल समुद्र में विलीन हो जाएंगे।

7:3 निजी क्षेत्र की स्थिति भी इससे अधिक अच्छी नहीं है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जितने नये रोजगारों का सृजन करता है उससे भी कहीं अधिक संख्या में पुराने रोजगारों की हत्या कर देता है। इसका प्रमुख कारण यही है कि वास्तव में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 70 प्रतिशत से अधिक भाग अधिग्रहण/विलीनीकरण के लिये ही होता है। हमारे देश में वर्ष 1993-94 से लेकर 1999-2000 तक इस प्रकार के विलीनीकरणों/अधिग्रहणों की संख्या 256 तक पहुंच गई है तथा अनेक अन्य उपक्रम इस नाली से बह जाने के लिये तैयार खड़े हैं।

7:4 वाजपेयी सरकार ने के०पी० गीताकृष्णन की अध्यक्षता में एक पांच सदस्यीय आयोग का गठन किया था जिसे "व्यय सुधार आयोग" कहा गया। इस आयोग ने विभिन्न मंत्रालयों के भारी संख्या में सरकारी विभागों का बिस्तर गोल करने, रोजगारों का निजीकरण करने तथा कर्मचारियों की छंटनी करने की संस्तुति (सिफारिश) दी थी। उदाहरणार्थ उसने सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के दस विभागों का बोझ हलका करने (दूसरे शब्दों में उन्हें बंद कर देने) तथा कर्मचारियों की वर्तमान संख्या 7,779 से कम करके 2,176 कर देने की संस्तुति दी थी। समिति की संस्तुतियों का सार रूप इस प्रकार है:

(क) कर्मचारियों की संख्या जो 1-1-2000 को थी में वर्ष 2004-2005 तक 10 प्रतिशत कटौती करना।

(ख) दो वर्षों के लिये नये पदों के सृजन पर पूर्ण प्रतिबंध।

(ग) जिन्होंने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना का विकल्प नहीं लिया उन्हें सेवाओं से मुक्त कर दिया जाए।

7:5 बैंकिंग क्षेत्र में विलीनीकरण, कामबंदी तथा पुनर्गठन के कारण हजारों कर्मचारी छंटनी के गम्भीर खतरे का सामना कर रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के तीन "कमजोर" बैंकों के लिये वर्मा पैनल के पुनर्गठन नुसखें वास्तव में बैंकों की शाखाओं में कामबंदी, कर्मचारियों की छंटनी तथा वेतन जाम लागू करना ही है। पैनल द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार अकेले इन तीन बैंकों में कार्यरत 20,000 से अधिक कर्मचारियों को उनके रोजगार से निकाल बाहर कर दिया जाएगा। एक बार पुन: भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में एक लाख कर्मचारियों को सेवा मुक्त कर देने की घोषणा की है।

7:6 चौंका देने वाली सीमा तक बढ़ चुकी बेरोजगारी की स्थिति से उत्पन्न अशांति एक निर्णायक उग्र रूप धारण कर रही है और इसके फलस्वरूप गंभीर

सामाजिक तनाव उत्पन्न हो सकता है जिससे आइ एल ओ तथा संयुक्त राष्ट्र सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन चिंतित हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक जुआन सोमाविया ने तथाकथित बाजार अर्थव्यवस्था के परिणामों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा था "वित्तीय नीतियों को साथ ही साथ उत्पादक निवेश की दिशा में गतिशील बनाया जाना चाहिये ताकि वे जुआ घर अर्थात् कैसिनों अर्थ व्यवस्था को बनाए रखने की अपेक्षा शानदार रोजगारों का सृजन कर सकें।" संयुक्त राष्ट्र के भूतपूर्व प्रमुख महासचिव बुतरस घाली ने अपने एक भाषण में कहा था, "यदि आप बेरोजगारी, सामाजिक ढांचे के विखण्डन तथा भूमण्डलीयकृत दरिद्रता जैसी समस्याओं का कोई समाधान नहीं कर सकते तब आपको नयी क्रांतियों का मुंह देखना पड़ जाएगा और विश्व व्यवस्था अत्यंत गंभीर अस्थिरता का शिकार हो जाएगी।"

7:7 "काम का अधिकार" के विषय पर 2-3 अप्रैल 1990 को दुर्गापुर में एक अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सी आइ टी यू द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इस सम्बन्ध में यह उसकी ओर से ठीक दिशा में एक सार्थक पहलकदमी की गई थी। बेरोजगारी की प्रस्फुटित समस्या जिसमें रोजगार खोने वाले भी व्यापक स्तर पर अपना योगदान दे रहे हैं, के दृष्टिगत श्रमिक आंदोलन के लिये इसे अपना एक प्राथमिक कार्य बनाना अनिवार्य हो गया है। तथापि, हम इस प्रश्न पर नियमित अनुवर्ती कार्रवाई करने तथा अर्थ व्यवस्था में अधिक रोजगारों का सृजन करने के लिये बेरोजगार युवकों के एक शक्तिशाली आंदोलन को विकसित करने में विफल रहे हैं। इसीलिये सी आइ टी यू ने इस महाधिवेशन में एक कमिशन के माध्यम से इस प्रश्न पर विस्तृत बहस कराने का निर्णय लिया था। हमें इस प्रश्न पर कार्रवाई की कोई योजना बनानी चाहिये ताकि राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रश्न को ठीक ढंग से उठाया जा सके। इस आंदोलन को व्यापक बनाने के उद्देश्य से हमें अपने भ्रातृ जन संगठनों के साथ सहयोग करके काम करना होगा।

7:8 देश में बेरोजगार युवकों की विशाल बहुसंख्या वंचनाओं से भरा जीवन व्यतीत कर रही है; वे नशीली खाओं के धंधों एवं तस्करी की गतिविधियों के कुचक्र में फंस जाते हैं और यहां तक कि उग्रवादी नारों से भी प्रभावित हो जाते हैं। महिलाओं की बेरोजगारी उन्हें दरिद्रता की दलदल में फंसा रही है; वे अत्यन्त शर्मनाक जीवन व्यतीत करने के लिये बाध्य होती हैं जबकि बच्चों को अस्वस्थ्यकर तथा खतरनाक काम करने के लिये विवश होना पड़ता है। रोजगार के बाजार में प्रविष्ट होने वाले नये लोगों को रोजगार के अवसर सुलभ नहीं हो रहे जबकि अर्थ

व्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में श्रम शक्ति का आकार कम किये जाने के दुष्परिणामस्वरूप बेरोजगारी पूरे देश में तेजी के साथ बढ़ रही है। हाल ही की आयात-निर्यात नीति स्थिति को बद से बदतर बना देगी। छोटी औद्योगिक इकाईयों में कामबंदी होने के कारण रोजगारहीनता की स्थिति और बिगड़ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में आत्महत्याओं की घटनाएं बढ़ रही हैं; इन घटनाओं की दर बढ़ रही है; यह एक संवृत्ति है। इन सब के परिणामस्वरूप सामाजिक तनाव उत्पन्न हो रहा है तथा देश अस्थिरता की ओर आगे बढ़ रहा है।

7:9 इन सभी संवृत्तियों या दूसरे शब्दों में घटनाओं का दुष्प्रभाव उन श्रमिकों पर भी पड़ेगा जो अभी रोजगार में हैं और इससे श्रमिक आंदोलन पर भी दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसलिये, श्रमिक संगठनों को इस स्थिति में हस्तक्षेप करना होगा और बेरोजगार युवकों को रोजगार सृजन तथा उद्योगों में रोजगार पैदा करने के संघर्ष में सम्मिलित करना होगा। रोजगार सृजन हेतु बेरोजगारों के संघर्ष की विशाल संभावनाओं को देखते हुए सी आइ टी यू को भूमण्डलीयकरण विरोधी संघर्ष में बेरोजगार युवकों को अधिक प्रभावी ढंग से सम्मिलित करने के प्रश्न की ओर अधिक ध्यान देना होगा।

8. संघर्षों में तेजी

8:1 पिछले तीन वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तथा उसके साथ-साथ हमारे अपने देश के भीतर श्रमिक वर्ग के आंदोलनों में तेजी आई है। इस संबंध में हमें एक विशिष्ट अन्तर देखने को मिलेगा, अब संघर्ष का केंद्रीय बिंदु परम्परागत विषयों पर आधारित नहीं रह कर भूमण्डलीयकरण के खतरों के विरुद्ध अपने अस्तित्व की रक्षा के लिये लड़ा जा रहा युद्ध बन गया है। सिएटल की विफलता जहां विश्व व्यापार संगठन के अधिवेशन को भूमण्डलीयकरण के विरुद्ध घोर आंतरिक प्रतिरोध के चलते बीच में ही समाप्त कर देना पड़ा था, ने स्वयं अमरीका में ही हलचल उत्पन्न कर दी थी, यह घटना मील का एक पत्थर सिद्ध हुई जिसने विश्व भर में सर्वत्र इस प्रकार के आंदोलनों को गति प्रदान की थी। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के विरुद्ध प्रदर्शनों का होना एक सामान्य सी बात बन गई है, चाहे जिनेवा हो अथवा डावोस, लियोन, प्राग, बैंकाक, मैलबोर्न अथवा तोक्यो सभी स्थानों पर स्थिति एक समान है।

8:2 हमारे देश में भी भूमण्डलीयकरण, निजीकरण तथा उदारीकरण के विरुद्ध

संघर्षों ने स्थानीय अथवा उद्योग विशेष के अन्य मामलों के लिये होने वाले संघर्षों से अधिक महत्व प्राप्त कर लिया है। संघर्ष के केंद्रीय बिंदु का बदलना भारत सरकार की उन्हीं नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम है जिनके अन्तर्गत वह निजीकरण के लिये घोर निर्लज्जता एवं तत्परता के साथ अभियान चला रही है और देश की परिसंपत्तियों को बेच रही है बहुराष्ट्रीय निगमों को हमारे वित्तीय बीमा तथा बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देने संबंधी अति उत्साही कार्रवाई के चलते श्रम जीवी जनता में उत्पन्न तीव्र प्रतिक्रियाओं की एक लहर सी चल रही है और यह लहर श्रमिक संघों तथा संगठनों में कार्रवाई की एकता का निर्माण करने में हमारी सहायता कर रही है। इस प्रकार की स्थिति पहले कभी नहीं बनी थी।

8:3 मार्च 1998 में भाजपा के नेतृत्व वाली दूसरी सरकार के सत्ता में आने के पश्चात् उन्होंने और अधिक तेज गति के साथ तथाकथित आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने के अपने निश्चय की घोषणा कर दी थी। अप्रैल 1998 में श्रमिक संघों की प्रायोजन (अथवा अभियान) समिति ने वाजपेयी सरकार द्वारा दी गई चुनौतियों का सामना करने के लिये राष्ट्रीय जन संगठन मंच को पुन: सक्रिय करने का निर्णय लिया था। इंटक, सी आइ टी यू, एटक, एच एम एस तथा बी एम एस इत्यादि पांच केंद्रीय श्रमिक संगठनों की बैठक भी हुई जिसमें स्थिति की समीक्षा करने के साथ-साथ संयुक्त आंदोलनों को सुदृढ़ बनाने की संभावनाओं पर भी विचार किया गया था।

8:4 राष्ट्रीय जन संगठन मंच द्वारा दो देशव्यापी हड़तालों का आयोजन किया गया एक हड़ताल 11 दिसम्बर, 1998 को तथा दूसरी हड़ताल 11 मई, 2000 को की गई जिन्होंने स्वतंत्र भारत में एक नये इतिहास का निर्माण किया। देश भर में इन दोनों हड़तालों को जबरदस्त प्रत्युत्तर मिला। विशेष रूप से इसलिये क्योंकि हड़ताल का आह्वान जनसंगठनों द्वारा किया गया था। इन देशव्यापी हड़तालों का अत्याधिक महत्व है क्योंकि इनके प्रमुख मुद्दे निजीकरण, पूंजी विनिवेश, विदेशी बहु राष्ट्रीय कम्पनियों के आगे सरकार के आत्म-समर्पण, स्वदेशी उद्योग तथा कृषि के मूल्य पर आयातों का उदारीकरण और उसके साथ-साथ बेरोजगारी जैसी समस्याएं इत्यादि थे; दूसरे शब्दों में ये हड़तालें आर्थिक नीतियों के विरोध में की गईं थीं।

8:5 इन देश व्यापी हड़तालों के लिये पैम्फलट तथा दस्तावेजों को वितरित करके, राज्यवार एवं क्षेत्रवार प्रदर्शनों, धरनों, जन सभाओं जैसी जन कार्रवाईयां करके सघन देशव्यापी प्रचार अभियान चलाया गया। इस प्रचार अभियान का प्रभाव ही था कि चौदह राजनीतिक दलों द्वारा हड़ताल को अपना समर्थन दिया गया; देश के आठ राज्यों में बंद जैसी स्थिति रही जबकि अनेक अन्य राज्यों में आंशिक बंद रहा था।

11 दिसम्बर 1998 की देशव्यापी हड़ताल का एक उल्लेखनीय शानदार पक्ष यह रहा कि राज्य सरकारों के 60 लाख कर्मचारियों, प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों, गोदी एवं बंदरगाह श्रमिकों तथा केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के एक बड़े भाग ने उसमें भाग लिया था। इंटक तथा बी एम एस के साथ सम्बद्ध श्रमिक संघों की एक बड़ी संख्या ने भी हड़ताल की कार्रवाई में भाग लिया। इंटक की पश्चिम बंगाल राज्य इकाई ने अपने अखिल भारतीय नेतृत्व के निदेशों की खुली अवहेलना करके हड़ताल में भाग लिया था।

8:6 11 मई, 2000 की देशव्यापी हड़ताल में कृषि तथा औद्योगिक श्रमिकों, कर्मचारियों और दूसरे व्यवसायों में कार्यरत लोगों जैसे वकीलों, लघु उद्योगपतियों, बागों के मालिकों इत्यादि सभी श्रेणियों की भागीदारी पहली हड़ताल से भी अधिक व्यापक तथा उच्चतर रही। कुछ प्रतिष्ठानों, प्रबंधकीय स्टाफ ने यद्यपि मौन रूप से ही सही, हड़ताल की कार्रवाई में भाग लिया। इन कार्रवाईयों के द्वारा लोगों ने एन डी ए सरकार की आर्थिक नीतियों के विरुद्ध जहां अपने आक्रोश को व्यक्त किया वहीं उनकी जमकर भर्त्सना की थी। इन कार्रवाईयों के फलस्वरूप राष्ट्रीय जन संगठन मंच सरकार की नीतियों का विरोध करने वाली सभी शक्तियों के एकजुट होने का एक शक्तिशाली केंद्र बन गया। मंच की पंक्तियों में नयी शक्तियां, आर्थिक नीतियों से पीड़ित लोग दिन प्रतिदिन सम्मिलित हो रहे हैं।

8:7 अक्टूबर 1999 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन अर्थात् एन डी ए सत्ता में वापस आया। दोबारा सत्तारूढ़ होते ही उसके द्वारा दूसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधारों के नाम पर सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों, बीमा तथा बैंकिंग संस्थानों के विखण्डन के अभियान को और तेज कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों तथा कर्मचारियों के संघर्ष ने जुझारू ऊंचाईयों को छुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय श्रमिक संघों की संयुक्त समिति (सी पी एस टी यू) के आह्वान पर सार्वजनिक उपक्रमों के श्रमिकों द्वारा 2 फरवरी, 2000 को की गई हड़ताल अपनी व्यापकता तथा सघनता की दृष्टि से सर्वाधिक सफल हड़तालों में से एक हड़ताल रही; उसमें श्रमिकों ने अपनी-अपनी सांगठनिक सम्बद्धताओं से ऊपर उठकर भाग लिया था। बैंक तथा बीमा कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा निजीकरण तथा विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों के अनुप्रवेश के विरोध में बार-बार हड़ताल करना वित्तीय क्षेत्र में राष्ट्रीय सम्प्रभुता के लिये संघर्ष की एक अत्यंत शानदार उदाहरण है। भारत के राष्ट्रपति को भेंट की गई याचिका के लिये बीमा कर्मचारियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा चलाए गए हस्ताक्षर अभियान ने लोगों के मध्य भारी जागरूकता

उत्पन्न की है, इसके फलस्वरूप लोगों को उनके द्वारा निभाई जा रही अग्रणी भूमिका तथा क्षमताओं की जानकारी मिली।

8:8 इस अवधि में जनता की अन्य श्रेणियों द्वारा अपने-अपने विशिष्ट स्थानों में कामबंदी, निजीकरण तथा पूंजी विनिवेश के विरुद्ध अनेकानेक एकजुटता संघर्ष किये गए। इस सम्बन्ध में इस्को, विजाग, सलेम, दुर्गापुर, राउरकेला जैसे इस्पात संयंत्रों के आस पास और एम ए एम सी, बी ओ जी एल, टी ए एफ सी ओ, आइ डी पी एल, उर्वरक संयंत्रों, कपड़ा मिलों, कोयला क्षेत्रों, कोलार में सोने की खदानों, पेट्रोकेमिकल इकाईयों, सीमेंट इकाईयों इत्यादि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों के आसपास चलाए गए कुछेक आंदोलनों के नाम उल्लेखनीय हैं। सत्ताधारी श्रेणियों द्वारा सार्वजनिक उद्यमों तथा उनके कर्मचारियों के विरुद्ध झूठा एवं कुत्सा अभियान का जो थोड़ा बहुत प्रभाव लोगों के मन मस्तिष्क पर पड़ा था, वह निजीकरण के उद्देश्य तथा उसके वास्तविक मनोरथ को देखते हुए कम होता चला जा रहा है। किन्तु इस सम्बन्ध में अभी और भी बहुत कुछ किये जाने की आवश्यकता है।

8:9 निजी क्षेत्र की इकाईयों में जारी संघर्ष भी अपनी अभूतपूर्व ऊचाईयों को छू चुके हैं, इन संघर्षों के द्वारा श्रमिक वर्ग ने अपना यह जुझारू निश्चय व्यक्त किया है कि वह मालिकों अर्थात् सेवा योजकों के आगे नहीं झुकेगा। उन राज्यों में भी जहां जनवादी आंदोलन अपेक्षाकृत दुर्बल है, श्रमिक वर्ग के संघर्षों ने उल्लेखनीय सीमा तक लोगों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है।

- हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाखड़ी ऊर्जा परियोजना में कार्यरत श्रमिकों की तीन मास लम्बी हड़ताल जिसमें उन्होंने बड़ी वीरता का परिचय देते हुए प्रशासन के बर्बर दमन चक्र का सामना किया, मालाना जल विद्युत परियोजना में परियोजना के श्रमिकों की हड़ताल तथा हिमाचल प्रदेश में ही बिरला टैक्सटाइल श्रमिकों की निरंतर चलने वाली हड़ताल इस प्रकार के जुझारू संघर्षों की उदाहरणें हैं। भोपाल तथा उसके आस पास के क्षेत्रों में औद्योगिक श्रमिकों का संघर्ष, स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर सेवा योजकों द्वारा व्यापक छंटनी के लिये किये जा रहे प्रयासों तथा स्थायी श्रमिकों के स्थान पर संविदा श्रमिकों का काम पर लगाए जाने के विरुद्ध मिल श्रमिकों द्वारा चलाए गए संघर्ष का व्यापक स्तर पर स्थानीय जनता की ओर से समर्थन किया गया। सी आइ टी यू के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के दैनिक वेतन कर्मचारियों द्वारा विशाल स्तर पर होने वाली छंटनियों के विरुद्ध संघर्ष चलाया गया जो इस समय भी जारी है।

- कानपुर में पेप्सिको के श्रमिक अपने एम एन सी सेवायोजक द्वारा फैक्टरी की अघोषित तालाबंदी तथा उसके (सेवायोजक) द्वारा वहां सक्रिय सी आइ टी यू यूनियन को कुचलने के लिये किये जा रहे प्रयासों के विरोध में एकजुट होकर संघर्ष कर रहे हैं। कानपुर के कपड़ा श्रमिकों ने भी सड़कों-गलियों में निकलकर अनेक लड़ाईयां लड़ी हैं। मुम्बई से लेकर कवाराती तक कोस्टल शिपिंग श्रमिकों ने वेतन वृद्धि तथा एफ एस यू आइ की मान्यता के लिये संघर्ष के अनेक कार्यक्रम चलाए हैं।

- मारूति उद्योग के श्रमिक भी एकजुट होकर बहुराष्ट्रीय सेवा योजक द्वारा की गई फैक्टरी की अघोषित तालाबंदी तथा वहां सक्रिय सी आइ टी यू यूनियन को कुचलने के प्रयासों के विरोध में संघर्ष कर रहे हैं।

- पानीपत में कपड़ा श्रमिकों ने सी आइ टी यू के नेतृत्व में अपनी फैक्टरी के मालिकों को श्रमिकों के रजिस्टर रखने, पहचान पत्र जारी करने तथा वेतनों में वृद्धि के लिये विवश करने के उद्देश्य से अनेक दिनों तक एकजुट होकर हड़ताल की। हरियाणा में भट्ठा श्रमिकों ने सी आइ टी यू के नेतृत्व में अनेक प्रकार से राज्यव्यापी आंदोलन चलाया; उन्होंने वीरता के साथ गिरफ्तारियां दीं और दमन को झेला और अन्ततोगत्वा वे अपने वेतनों में पर्याप्त वृद्धि कराने में सफल रहे। वायुपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों ने भी अपनी दीर्घावधि से लम्बित मांगों को मनवाने तथा गुप्त मतदान के द्वारा चुनी हुई अपनी यूनियन को मान्यता दिलाने के लिये अनेक संघर्ष किये हैं।

- देश के दक्षिण भाग में, तमिलनाडु में बागवानी क्षेत्र के श्रमिकों में संघर्ष की लहर देखी गई और छोटे बागों के श्रमिक चाय के पत्तों के अप्रतिबंधित आयात के विरोध में अपने रोष का प्रदर्शन कर रहे हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा केरल के औद्योगिक क्षेत्रों में इसी अवधि में अनेकानेक संघर्षों की उद्योग आधारित कार्रवाईयां होते देखी गईं। बंगाल, तमिलनाडु, केरल, दिल्ली, मध्य प्रदेश तथा देश के अन्य क्षेत्रों में सेवा-योजकों के दमन के विरुद्ध समय-समय पर संघर्ष की बड़ी बड़ी लहरें देखी गई। फेडरेशन आफ मेडिकल एण्ड सेल्स रियर्जेटेटिव्स एसोसिएशन्स ने अगली जनवरी से निजीकरण तथा ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं के विरुद्ध चल रही प्रतिशोध की कार्रवाईयों के विरोध में 6 दिन की हड़ताल करने की योजना बनाई है।

8:10 पिछले दो वर्षों में राज्य सरकारी कर्मचारियों, डाक तार कर्मचारियों, नर्सों,

तथा अन्य पैरा मेडिकल स्टाफ, की ओर से वेतनों तथा सेवा स्थितियों के प्रश्न पर हड़तालों की अनेक कार्रवाईयां की गई, कुछेक हड़तालें महीनों तक चलीं। बिजली कर्मचारियों द्वारा देशभर में की गई हड़ताल का विशेष उल्लेख करना होगा। उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में विशेष रूप से श्रमिकों ने वीरतापूर्वक ऊर्जा उद्योग के निजीकरण के विरोध में संघर्ष किया। गोदी एवं बंदरगाह श्रमिकों की ओर से भी असाधारण एकता का परिचय देते हुए वीरतापूर्वक संघर्ष किये गए और उनकी हड़ताल के कारण सम्पूर्ण गोदी एवं बंदरगाह सेवाएं पांच दिनों के लिये ठप्प हो गई थीं।

8:11 नैगमकरण के विरुद्ध दूरसंचार कर्मचारियों का संघर्ष, उद्योग का पुनरुद्धार करने के लिये एन टी सी तथा आइ डी पी एल श्रमिकों द्वारा किये गए संघर्ष इत्यादि इस अवधि में चलाए गए कुछेक उल्लेखनीय संघर्ष हैं। और सबसे बढ़कर कोयला श्रमिकों द्वारा 20-23 नवम्बर 2000 को देश भर में हड़ताल की गई; इस हड़ताल में छह लाख कोयला श्रमिकों ने अन्य सभी प्रमुख श्रमिक संगठनों द्वारा जोरदार विरोध किये जाने पर भी भाग लिया; यह हड़ताल सी आइ टी यू द्वारा अकेले अपने ही बल पर कराई गई थी। यह हड़ताल सभी सांगठनिक प्रतिबद्धताओं वाले श्रमिकों एवं कार्यकर्ताओं में श्रमिक विरोधी विनाशक समझौते के कारण उत्पन्न आक्रोश को प्रतिबिम्बित करती थी।

8:12 इस अवधि में चलाए गए संघर्षों का विशेष लक्षण यह था कि उन क्षेत्रों में भी जहां श्रमिक आंदोलन अपेक्षाकृत कमजोर है, संगठित तथा असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों ने सरकार-सेवा योजकों के गठबंधन के बढ़ते हमलों तथा सभी श्रम कानूनों के उन्मत्त उल्लंघन के विरुद्ध अपने आक्रोश को व्यक्त किया। दिल्ली में लघु क्षेत्र की औद्योगिक इकाईयों के श्रमिकों तथा उनके साथ-साथ उनके मालिकों में सहज स्वाभाविक लहर उठी; उन्होंने एकजुट होकर नवम्बर 2000 को कुछ दिनों के लिये दिल्ली में चक्का जाम कर दिया; उन्होंने यह कार्रवाई दिल्ली में उन औद्योगिक इकाईयों के उत्पादन कार्य को प्रतिबंधित करने के विरोध में की थी; इस प्रकार उन्होंने सरकार की श्रमिक विरोधी कार्रवाईयों के विरुद्ध अपने भीतर सुलग रहे क्रोध को व्यक्त किया; इस कार्रवाई में वे लोग भी सम्मिलित हुए थे जिनका अभी तक यूनियनकरण नहीं हो पाया। सरकार तथा सेवा योजकों द्वारा कठोर दमनकारी कार्रवाईयां किये जाने पर भी श्रमिकों की बहुत बड़ी संख्या ने अनेकानेक सहज स्वाभाविक कार्रवाईयां करके इसी प्रकार के आक्रोश की अभिव्यक्ति समय-समय पर की है; ये कार्रवाईयां श्रमिक वर्ग के कहीं बड़े जुझारू देशव्यापी संघर्षों की

बढ़ती चली जा रही सम्भावनाओं की ओर संकेत करती हैं; इसके लिये श्रमिक आंदोलन को श्रमिकों तक पहुंचने तथा योजनाबद्ध ढंग से उन्हें संगठित करने के लिये पहलकदमी करनी होगी।

8.13 इस समय अखिल भारतीय तथा स्थानीय संघर्ष एक बड़ा मोड़ काट रहे हैं और जन साधारण में असंतोष दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है। किन्तु एक बात को रेखांकित करना ही होगा कि राष्ट्रीय जन संगठन मंच, सी पी एस टी यू तथा राष्ट्रीय जन संगठन मंच द्वारा इस दिशा में सराहनीय प्रयास किये जाने पर भी हम इन सभी आंदोलनों को समन्वित करके उन्हें जन कार्रवाईयों की एक ऐसी शक्तिशाली शक्ति जो सरकार की नीतियों को प्रभावशाली ढंग से चुनौती दे सके तथा उन्हें बदल सके, बना देने के मामले में अब भी पीछे हैं।

8:14 सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो ये आंदोलन एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं रहे और छिटपुट बने रहे हैं। कुछेक मामलों में अनुवर्ती कार्रवाईयां नहीं की गईं और यदि की गई हैं तो उनकी धार कुंद रही है। कुछ स्थानों में स्थिति चिन्ताजनक है, संघर्षों को आगे बढ़ाने की इच्छा ठण्डी पड़ती जा रही है। साथियो, इसलिए आईये, हम इस स्थिति पर विचार करें कि हम किस प्रकार एक शक्तिशाली जन आंदोलन का निर्माण कर सकते हैं जो हमारे देश के वि-उद्योगीकरण तथा श्रमजीवी जनता के जीवन के निम्नीकरण को रोक सके और इसके लिये पर्याप्त शक्ति एवं सामर्थ्य रखता हो।

9. ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमले

9:1 भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने केंद्र में सत्तासीन होने के तत्काल पश्चात् श्रम कानूनों में भारी परिवर्तन लाने के अपने निश्चय की घोषणा की थी। वास्तव में 11 दिसम्बर 1998 को तत्कालीन श्रम सचिव ने भारतीय उद्योगों के परिसंघ (सी सी आइ) द्वारा नयी दिल्ली में आयोजित एक बैठक को सम्बोधित करते समय वर्तमान श्रम कानूनों को ''पुराने एवं अप्रचलित'' करार दिया था और उन्होंने बाजार की तथाकथित ''अलोचनीयता'' को दूर करने सम्बन्धी सरकार के निश्चय को व्यक्त किया था।

9:2 ट्रेड यूनियन अधिनियम में अनर्थकारी संशोधनों का वास्तविक मनोरथ प्रत्येक दृष्टि से श्रमिकों के ट्रेड यूनियन अधिकारों पर कड़े प्रतिबंध लगाना है। श्रम मंत्री सत्यनारायण जतिया ने कहा था कि भाजपा सरकार यह पता लगाने के लिये

पहलकदमी कर रही है कि ''कहां श्रमिकों को जब चाहे काम पर रखने तथा जब चाहे निकाल करने'' की नीति अपनाई जा सकती है और ''कहां इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।'' इसका संदेश स्पष्ट है, सरकार औद्योगिक सम्बन्धों के मामले में निश्चत रूप से ''जंगल राज'' जैसी स्थिति की ओर अग्रसर है। सरकार की ट्रेड यूनियन विरोधी कार्रवाई से प्रेरित होकर निजी क्षेत्र के सेवा योजकों विशेष रूप से विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने पहले ही श्रमिक आंदोलन के विरुद्ध विषैला प्रचार अभियान शुरू कर दिया है; उन्होंने तो नये पैचाशिक कानूनों के बनने तक भी प्रतीक्षा करना उचित नहीं समझा। इस सम्बन्ध में कानपुर के पेप्सी कोला तथा गुड़गांव (हरियाणा) के मारुति उद्योग एवं पंचकूला (हरियाणा) के इंडिया एंटरप्राईज़ इत्यादि की उदाहरणें देखी जा सकती हैं।

9.3 उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम विभाग में सम्पन्न समझौता कार्रवाईयों के फलस्वरूप निष्पादित त्रिपक्षीय समझौते का पालन करने से इन्कार करके पेप्सी कोला की कानपुर इकाई के प्रबंधन ने गैर कानूनी तालाबंदी घोषित कर दी, श्रमिक नेताओं को निलम्बित कर दिया गया और श्रमिकों को काम पर वापस लेने से पूर्व यह गैर कानूनी शर्त रख दी कि वे पहले अपने ''सद् व्यवहार'' के बांड पर हस्ताक्षर करके प्रबंधन को दें। मारूति उद्योग में सरकार का शेयर 50 प्रतिशत से कम होने पर श्रमिक नेताओं के विरुद्ध निकृष्टतम प्रतिशोध की कार्रवाइयां की गईं और मारूति उद्योग के सुजुकी प्रबंधन ने एक प्रकार से श्रमिक संघ को अपने यहां प्रतिबंधित कर दिया है। यहां पर भी उत्पादकता में अभूतपूर्व वृद्धि होने के फलस्वरूप श्रमिकों की ओर से प्रोत्साहन योजना में संशोधन करने के लिये की गई न्यायोचित मांग का प्रतिकार करने के उद्देश्य से प्रबंधन ने फैक्टरी का द्वार ही बंद कर दिया और 12-10-2000 से श्रमिकों को उस समय तक फैक्टरी में प्रवेश करने से रोक दिया गया जब तक वे यह लिख कर नहीं देते कि वे ''अनुशासन का पालन'' करेंगे तथा प्रबंधन के विरुद्ध चलने वाले किसी आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। दोनों ही स्थानों पर श्रमिकों की बहुसंख्या ने प्रबंधन की इन शर्तों को ठुकरा दिया और उनका संघर्ष अब भी जारी है। और इस प्रकार के सभी मामलों में श्रम विभाग तथा स्थानीय प्रशासन खुले रूप में सेवा योजकों के घोर गैर कानूनी कृत्यों का समर्थन कर रहा है।

9:4 इस खतरे की गहराई को समझने के लिये यहां रेखांकित किया जाना आवश्यक है कि यह श्रम के विरुद्ध संकटग्रस्त पूंजी का भूमण्डलीय घातक हमला है। वर्ष 1999 के लिये वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसे आइ सी एफ टी यू ने प्रकाशित

किया था, में 113 देशों में ट्रेड यूनियन अधिकारों के उल्लंघन से सम्बन्धित दर्ज सूचनाएं दु:खद हैं। रिपोर्ट का कहना है : ''कम से कम 140 ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई...क्योंकि उन्होंने श्रमिकों के अधिकारों के लिये संघर्ष करने का दु:साहस किया था...लगभग 3000 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 15,00 से अधिक घायल हुए, पीटे गए अथवा उन्हें यंत्रणाएं दी गई और कम से कम 5,800 लोगों को प्रताड़ित किया गया क्योंकि वे न्यायोचित एवं कानून सम्मत ट्रेड यूनियन गतिविधियां चला रहे थे। और 700 ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं की हत्या कर देने की धमकियां दी गई हैं। लगभग 12,000 श्रमिकों को उनकी सेवाओं से अन्यायपूर्ण ढंग से निकाल दिया गया है।''

10. त्रिपक्षवाद के लोकाचार में गिरावट

10:1 देश में सभी केन्द्रीय श्रमिक संगठनों ने त्रिपक्षवाद के लोकाचार अथवा प्रकृति में तेजी के साथ आ रही गिरावट पर अपनी गहरी व्यक्त की है। सरकार ने देश के शीर्षस्थ त्रिपक्षी मंच भारतीय श्रम सम्मेलन (आइ एल सी) पर नित्य प्रतिदिन के मामले के रूप में त्रिपक्षवाद के लिये अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी। आइ एल सी तथा स्थायी श्रम समिति (एस एल सी) के प्रत्येक सत्र में प्रस्तुत कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्टों में वर्णित धूमिल स्थिति से इस प्रकार की ''प्रतिबद्धता'' के छिछोरेपन की पोल पूर्णतया खुल चुकी है।

10:2 स्थायी श्रम समिति का 36वां सत्र 9 फरवरी, 2000 को सम्पन्न हुआ था। भारतीय श्रम समिति का 36वां सत्र 14 तथा 15 अप्रैल 2000 को सम्पन्न हुआ था। प्रधानमंत्री पद सम्हालने के पश्चात् पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी ने 14 अगस्त को सत्र का उद्घाटन करते समय आइ एल सी के इस सर्वोच्च मंच को सम्बोधित किया था। प्रधानमंत्री द्वारा इस सत्र में दिया गया भाषण भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के श्रमिक विरोधी तथा पूंजी समर्थक पक्षपातपूर्ण भावनाओं का नग्न प्रदर्शन ही था। एकाधिकारवादी अर्थात् इजारेदार पूंजी द्वारा नियंत्रित बुर्जुआजी प्रेस ने प्रधानमंत्री के इस भाषण की भूरि भूरि प्रशंसा की थी; उसके शीर्षक थे : ''प्रधानमंत्री श्रमिकों के साथ सख्ती से पेश आए'' इत्यादि। वाजपेयी ने यह कहकर अपनी बगुलाभगती अथवा ढोंग का प्रदर्शन किया, ''हमें अपनी श्रम शक्ति को शक्ति के स्रोत के रूप में देखना चाहिए—बोझ के रूप में कदापि नहीं।'' तथापि उन्होंने अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन देने में देरी नहीं की। उन्होंने ''बाजार की बदलती स्थितियों में श्रम मोर्चे पर अलोचनीयता'' के लिये श्रमिकों पर अवांछित दोषारोपण

किये। प्रधानमंत्री निरंतर जोरदार शब्दों में इसी बात पर बल देते रहे आर्थिक सुधारों के पूरे लाभ प्राप्त करने के लिये हमें अपने श्रम कानूनों में ''परिवर्तन, आवश्यक परिवर्तन और आमूल परिवर्तन लाना होगा।''

10:3 एस एल सी तथा आइ एल सी के सत्र वाद-विवाद प्रतियोगिता के स्थल मात्र बनकर रह गए हैं। वहां केवल विषयों पर बहस की जाता है और श्रमिक वर्ग के हित में उससे कोई सकारात्मक परिणाम निकाले नहीं जाते। अंततः सरकार ने बहस वाले विषयों पर श्रमिकों के पक्ष के विचारों एवं टिप्पणियों को जोड़े बिना ही अपने एकपक्षीय निष्कर्ष निकालने की कार्यविधि अपना ली है। अतः यह पूरी कार्रवाई एक पाखंड एवं धोखा बन कर रह गई है। यह बात निंदनीय है कि भारत सरकार ने इन त्रिपक्षीय मंचों के सर्वसम्मत निष्कर्षों/संस्तुतियों पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। इसके साथ ही वह श्रमिकों तथा श्रमिक संघों के जनवादी अधिकारों पर अंकुश लगाने या दूसरे शब्दों में उन्हें नियंत्रित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है।

10:4 श्रम मंत्रालय के अन्तर्गत भारतीय श्रम सम्मेलन (आइ एल सी) तथा स्थायी समिति (एस एल सी) सहित 36 विधायी/परामर्शदात्री समितियां काम करती हैं। सरकार ने इनमें से अधिकांश समितियों को निष्प्रभावी तथा मृत प्रायः बना डाला है। जहां इन समितियों की बैठकें नियमित रूप से बुलाई नहीं जातीं वहीं ऐसी अनेक समितियां भी हैं जिनकी बैठक कदाचित होती ही नहीं। इसके दुष्परिणामस्वरूप श्रमिकों के महत्वपूर्ण प्रश्न अथवा मुद्दे पूर्वतः अनसुलझे रह जाते हैं जबकि इन समितियों से उनका समाधान करने की अपेक्षा की जाती है। यद्यपि आइ एल सी का सत्र वर्ष में एक बार होना चाहिए किन्तु वर्ष 1942 तथा मई 2000 के मध्य आइ एल सी की बैठकें केवल 36 बार हुई हैं। इनमें से 23 बैठकें 1942 तथा 1968 के मध्य हुईं थीं। और शेष 13 बैठकें उसके बाद के 32 वर्षों में हुई हैं। अनेक औद्योगिक त्रिपक्षीय समितियों के काम करने की स्थिति तो और भी अधिक शोचनीय है; क्योंकि उनमें से अनेक समितियों की एक बैठक भी नहीं हुई अथवा वे अपने गठन के पश्चात् केवल एक बार बैठक कर सकी हैं। इस प्रकार की स्थिति स्वयंमेव उत्पन्न नहीं हुई है। सरकार द्वारा नयी आर्थिक नीति के नाम पर ''बाजार की शक्तियों'' के आगे आत्म-समर्पण कर दिये जाने के दुष्परिणामस्वरूप सेवा योजकों की लाबी सरकार के साथ सहयोग करके सुनियोजित ढंग से श्रम कानूनों के विरुद्ध निंदा अभियान चला रही है।

11. द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग

11:1 वाजपेयी सरकार ने द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया है; यह आयोग उन कुछेक लोगों पर आधारित है जिनका दृष्टिकोण सेवा योजकों एवं संघ परिवार के समान है या दूसरे शब्दों में वे सेवा योजकों अथवा संघ परिवार के समर्थक हैं। आयोग के विचारार्थ विषयों का केवल एक ही लक्ष्य है—वर्तमान श्रम कानूनों का सेवा योजकों तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की आवश्यकताओं के साथ सामंजस्य स्थापित करना, उन्हें उदारीकरण तथा भूमण्डलीयकरण की नीतियों के अनुकूल बनाना।

11:2 द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग के विचारार्थ विषय सरकार द्वारा 15 अक्टूबर, 1999 को अर्थात् वाजपेयी सरकार के शपथ ग्रहण करने के दूसरे दिन ही अधिसूचित कर दिये गए थे। ज्ञातव्य है कि केन्द्रीय श्रमिक संगठनों की बहुसंख्या द्वारा किये जा रहे विरोध की अनदेखी करके इस आयोग का गठन तथा विचारार्थ विषयों का निर्धारण किया गया था।

11:3 आयोग के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं : (क) संगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों से सम्बन्धित वर्तमान कानूनों को युक्ति युक्त बनाने के लिये सुझाव देना और (ख) असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को न्यूनतम स्तर तक संरक्षण सुनिश्चित बनाने के लिए ''छाता'' कानून का सुझाव देना। उसमें कुछ निरंकुश दिशा निदेश भी दिये गए हैं। विचारार्थ विषयों के अतिरिक्त आयोग से वाजपेयी द्वारा गठित कार्य दल (टास्क फोर्स) जिसमें के एम बिरला, नुसली वाडिया, पी के मित्तल तथा रतन टाटा जैसे उद्योग के अग्रणी महारथी सम्मिलित किये गए हैं, द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों अथवा सुझावों के आधार पर अपनी संस्तुतियां देने के लिये कहा गया है, यह एक गहरी चिन्ता का विषय है। इन प्रस्तावों में औद्योगिक विवाद अधिनियम में परिवर्तन लाकर श्रमिकों को जब चाहे काम पर रखने तथा जब चाहे निकाल बाहर करने (अर्थात् हायर एण्ड फायर) का प्रावधान करना; इच्छानुसार कामबंदी, कामकाजी घण्टों पर कोई प्रतिबंधन न होना तथा ''कामकाजी समय की लोचनीय'' व्यवस्था, कारखाना अधिनियम, वेतन भुगतान अधिनियम, ई एस आइ अधिनियम, ई पी एफ और अधिनियम में व्यापक परिवर्तन लाना और कारखानों में इंस्पेक्टरों के निरीक्षण की व्यवस्था की समाप्ति इत्यादि सम्मिलित हैं।

11:4 आयोग के विचारार्थ विषयों तथा उसे दिये गये दिशा निदेशों की सावधानीपूर्वक जांच करने से पता चल जाएगा कि इस कार्रवाई का पूरा उद्देश्य श्रम बाजार में

लोचनीयता लाकर सेवा योजकों अथवा मालिकों की श्रेणी के निरंकुश श्रमिक विरोधी हथकंडों को कानूनी रूप देना है। यह बात स्पष्ट रूप से समझ ली जानी चाहिए कि ''लोचनीयता'' का बखान करके सेवा योजकों की श्रेणी वास्तव में यही चाहती है कि श्रम सम्बन्धी मामलों पर उनका अधिकार क्षेत्र अति विशाल हो। वे चाहते हैं कि उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार श्रमिकों के साथ निपटने के अधिकार दिये जाएं और इस सम्बन्ध में स्वयं वे ही एकमात्र अधिकारी अथवा प्राधिकरण हों, और वे पूर्णतया लाभ के मनोरथ से काम करें और उसी से निदेशित हों। वे नहीं चाहते कि औद्योगिक सम्बन्धों के नियमन के मामले में सरकार के पास कोई विधायी अथवा कानूनी अधिकार रहे और इसके साथ ही श्रमिक संघों को निष्प्रभावी बना दिया जाए। संक्षेप में, श्रम कानूनों में सुधार का वास्तविक उद्देश्य श्रमिक आंदोलन द्वारा दीर्घावधि तक किये गए संघर्षों के फलस्वरूप प्राप्त थोड़े बहुत कानूनी संरक्षण को भी समाप्त कर देना है। यहीं पर बस नहीं, उनका उद्देश्य स्थायी श्रमिकों से काम कराने की लम्बे समय से बनी अवधारणा तथा व्यवहार को समाप्त कर देना और रोजगार का व्यापक स्तर-पर अस्थायीकरण करना तथा इस प्रकार ''श्रमिकों को जब चाहे काम पर रखने तथा जब चाहे निकाल बाहर करने'' का खतरनाक अधिकार प्रदान करके सेवा योजकों अथवा मालिकों को अधिकार सम्पन्न बनाना है।

11:5 श्रमिक आंदोलन के विरुद्ध भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के हमलों का प्रत्युत्तर देने एवं कार्रवाईयों को बदलने का एकमात्र मार्ग श्रमिक वर्ग का देशव्यापी संयुक्त आंदोलन चलाना ही है। इस प्रकार की एकता अत्यंत विशाल होनी चाहिए, ऐसी एकता जो पहले देश में कभी देखी न गई हो। यह एकता स्थापित करने के लिये श्रमिक आंदोलन के आगे मुंह बांए खड़े अभूतपूर्व खतरे की सूचना एवं संदेश को देश के ओर छोर में पहुंचा देना होगा। सी आइ टी यू के साथ सम्बद्ध श्रमिक संघ आने वाले दिनों में इसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं अत्यावश्यक कार्य मान कर काम करें और इस दिशा में उचित पहलकदमियां करें।

12. सामाजिक सुरक्षा पर हमले

12:1 पिछले तीन वर्षों में सरकार तथा सेवा योजकों ने श्रमिक वर्ग को उपलब्ध कराई गई सामाजिक सुरक्षा के लाभों पर गम्भीर हमले किये हैं, यद्यपि वर्तमान में उपलब्ध कराई गई सामाजिक सुरक्षा का स्तर बहुत ही निम्न है।

12:2 और अधिक उपक्रमों तथा श्रमिकों को कर्मचारी भविष्य निधि योजना की परिधि में लाने सम्बन्धी सरकार द्वारा दावे किये जाने पर भी 1995-96 तथा 1998-99 के मध्य 60.84 लाख श्रमिकों (सदस्यों) की भविष्य निधि योजना की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। ये श्रमिक दोनों प्रकार के प्रतिष्ठानों अर्थात् उन प्रतिष्ठानों जिन्हें छूट प्राप्त हुई है तथा वे प्रतिष्ठान जिन्हें इससे छूट प्राप्त नहीं हुई, में काम करते थे। छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों की सदस्य संख्या में पिछले चार वर्षों में 4.39 लाख की कमी आई है। सामान्यतया संगठित क्षेत्र की श्रेणी में आने वाले छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों में कार्यरत भविष्य निधि योजना के सदस्यों की सदस्य संख्या में आई कमी देश में रोजगार के अस्थायीकरण के बढ़ते रुझान का संकेत है।

12.3 भविष्य निधि की संचित पिछली बकाया राशि सेवा योजकों द्वारा जमा नहीं कराए जाने के कारण पिछले कई वर्षों से बढ़ रही है। वर्ष 1998-99 के अंत तक पिछली बकाया राशियों का आंकड़ा 570 करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच गया था। इन बकाया राशियों में से 77.54 प्रतिशत राशियां उन प्रतिष्ठानों की हैं जिन्हें भविष्य निधि योजना से छूट प्राप्त नहीं हुई और 98.74 प्रतिशत छूट प्राप्त क्षेत्र के हैं; इन चूककर्ता प्रतिष्ठानों को अविश्वसनीय प्रतिष्ठानों की श्रेणी में रखा गया है।

12.4 भारत सरकार ने और अधिक श्रमिकों को ई पी एफ की परिधि में लाने के लिये कोई कदम नहीं उठाया है। श्रमिक संघ अधिनियम की उस अनुसूची को समाप्त कर देने की मांग करते रहे हैं जिसमें उद्योगों/उपक्रमों की श्रेणी का उल्लेख किया गया है ताकि सभी उद्योगों तथा उपक्रमों को इस अधिनियम के अन्तर्गत लाया जा सके। श्रमिक संघ यह मांग भी करते रहे हैं कि श्रमिकों को इस अधिनियम के अंतर्गत लाने के उद्देश्य से श्रमिकों की निर्धारित संख्या 20 से कम करके 10 कर दी जाए। उन्होंने पी एफ अधिनियम में 5000 रुपये की वेतन सीमा को भी समाप्त करने की मांग की है किन्तु सेवा योजकों (मालिकों) की लाबी के दबाव में आकर सरकार इन मांगों को अनसुना कर रही है।

12:5 दूसरी ओर सरकार ने भविष्य निधि पर ब्याज की दर 12 प्रतिशत से कम करके 11 प्रतिशित कर दी है। यह कार्रवाई भी उद्योग को प्रसन्न करने के लिये की गई जो ब्याज की कम दरों की व्यवस्था चाहता है ताकि उसे ब्याज की सस्ती दरों पर बैंक ऋण प्राप्त हो सके।

12:6 कर्मचारी पेन्शन योजना 1995 के पिछले पांच वर्षों के कार्यान्वयन को देखते हुए वे जो सी आइ टी यू द्वारा उसके सम्बन्ध में व्यक्त किये गए थे।

12:7 जहां कर्मचारी भविष्य निधि योजना के लिये वर्ष 1995-96 तथा 1998-99 के मध्य अपनी सदस्यता छोड़ देने वाले ग्राहकों (अथवा सदस्यों) की संख्या 60.84 लाख से अधिक थी वहीं (ई पी एस-95) पेंशन लाभ प्राप्त करने वालों की संख्या 31-3-1999 तक की अवधि तक केवल 3,03,030 तक अटकी हुई थी। इनमें से बहुसंख्य कर्मचारी परिवार पेंशन योजना के सदस्य थे। सी आइ टी यू तथा अन्यों द्वारा दायर मामला अब भी उच्चतम न्यायालय में चल रहा है। हम पूरी शक्ति के साथ यह मुकद्दमा लड़ रहे हैं।

12:8 योजना के अन्तर्गत किये गए दो वार्षिक मूल्यांकनों का परिणाम केवल यही निकल सका है कि कर्मचारियों को 15-11-96 तथा 31-3-1998 के मध्य 5.5 प्रतिशत का अत्यंत अल्प लाभ प्राप्त हुआ है। यद्यपि चौथा मूल्यांकन अभी होना है और पांचवां मूल्यांकन 31-3-2001 तक होगा। अब भी तीसरे मूल्यांकन को प्रकाश में नहीं लाया गया। पेंशन को निर्वाह व्यय सूचकांक के साथ जोड़ना अब भी स्वप्न बना हुआ है।

12:9 भारत सरकार ने अपने सार्वजनिक खाते में पिछली परिवार पेन्शन निधि की 15000 करोड़ रुपये की राशि रखी हुई है और वह उस पर केवल 8.5 प्रतिशत ब्याज दे रही है। त्रिपक्षीय भारतीय श्रम सम्मेलन तथा अन्य मंचों द्वारा सर्वसम्मति से ब्याज दर बढ़ा कर 12 प्रतिशत करने की मांग की गई थी किन्तु सरकार उसे स्वीकार नहीं किया गया। इसके विपरीत सरकार ने पेन्शन निधि में 1.16 प्रतिशत का अपना अंशदान वापस लेने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया था।

12:10 अन्य बातों की भांति सामाजिक सुरक्षा के मामले में भी विश्व बैंक हमारे देश में अपना शासन चला रहा है। विश्व बैंक द्वारा 1994 में "वृद्धावस्था संकट को टालना" (अर्थात् अवर्टिंग ओल्ड एज़ क्राइसिस) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित अपने एक प्रकाशन में सामाजिक बीमा तथा सामाजिक सहायता योजनाओं को समाप्त करने और उनके स्थान पर ऐसी योजनाएं चलाने का सुझाव दिया था जो व्यक्ति की अपनी जमा बचतों ब्याज/वापसी पर आधारित हों। भारत सरकार बड़ी चालाकी के साथ विश्व बैंक के इस नुस्खे को काम में लाने के लिये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से प्रयास कर रही है; यहां तक कि इसके लिये श्रम कानूनों की अवहेलना भी की जा रही है।

12:11 विशेषज्ञ (दवे) समिति द्वारा चलाई जा रही ओएसिस (वृद्धावस्था सामाजिक एवं आय सुरक्षा) परियोजना ने वर्तमान सामाजिक सुरक्षा लाभों में कटौती करने के

लिये अपनी कठोर संस्तुतियां दी थीं। कर्मचारी भविष्य निधि न्यासियों के त्रिपक्षीय बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से दवे समिति की रिपोर्ट रद्द किये जाने पर भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अब भी उसकी संस्तुतियों का पालन कर रहा है। सेवा योजकों के संगठन ''पेंशन निधि उद्योग का विकास'' के विषय पर कार्यशालाओं तथा संगोष्ठियों का आयोजन करने में व्यस्त हैं; उनका उद्देश्य भविष्य निधि तथा पेंशन निधि में संचित विशाल धन राशियों को विकास कार्यों से हटा कर पूंजी बाजार में नयी शक्ति का संचार करने के लिये लगाना तथा सट्टा बाजार के उद्देश्य के लिए शेयर बाजार में उनका उपयोग करना है। यह विशाल धन राशि 70,000 करोड़ रुपये से अधिक है।

12:12 कर्मचारी राज्य बीमा योजना के मामले में व्याप्त स्थिति भी इससे बहुत भिन्न नहीं है। अप्रैल 1998 में चेन्नई में आयोजित सी आइ टी यू महा परिषद (जनरल कौंसिल) की बैठक में ई एस आइ योजना की कमियों अथवा अपर्याप्तताओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया था तथा उन क्षेत्रों को रेखांकित किया गया था जहां सुधार लाने की आवश्यकता है। ई एस आइ योजना में सुधार लाने की मांग के लिये ई एस आइ कार्यालयों के समक्ष देशव्यापी रोष प्रदर्शन किये गए।

12:13 किन्तु भारत सरकार ने ई एस आई योजना में सुधार लाने के लिये कोई कदम नहीं उठाया है। ई एस आइ अंशदानों की बकाया राशि 31-3-1999 को 452 करोड़ रुपये से अधिक थी। जिसे सेवा योजकों द्वारा जमा नहीं कराया गया इस बकाया राशि में से 237.21 करोड़ रुपये अर्थात् 52.45 प्रतिशत राशि ''बट्टेखाते'' की श्रेणी में है। तथापि, सरकार ने ई एस आइ योजना का उपयोग विशाल कोष जुटाने के एक स्रोत के रूप में किया है।

12:14 भारत सरकार की ओर एक बार पुनः सत्यम समिति का गठन किया गया, उसने अनेक विषम संस्तुतियां दी थी जैसे ई एस आइ का उद्देश्य पूर्ण चिकित्सकीय देखभाल प्रदान करना नहीं होना चाहिये तथा ई एस आइ अस्पतालों का निजीकरण इत्यादि ।

12:15 अतः देखना होगा कि जहां श्रमिकों के रोजगार निरंतर खतरे में पड़े हुए हैं वहीं सरकार सेवा योजकों के स्वर में स्वर मिलाकर काम कर रही है और वर्तमान में लागू सामाजिक सुरक्षा लाभों को दांव पर लगा रही हैं। जहां असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की शोचनीय स्थिति पर नकली आंसू बहाए जा रहे हैं वहीं सरकार उन्हें सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्रदान करने की दिशा में कोई काम नहीं कर रही। दूसरी

ओर श्रमिक वर्ग के छोटे से भाग के लिये जारी योजनाओं के साथ भी छेड़छाड़ की जा रही है।

13. संविधान संशोधन

13. अर्थ व्यवस्था के निजीकरण के फलस्वरूप स्वाभाविक रूप से वे आधार ही ध्वस्त हो रहे हैं जिन पर देश का लोकतंत्र टिका हुआ है। भारत के संविधान की समीक्षा करने तर्क देकर भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने अमरीकी माडल के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन करने की अपनी इच्छा व्यक्त कर रही है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा भारतीय जनता पार्टी देश में राजनीतिक स्थिरता लाने के नाम पर राष्ट्रपति प्रणाली के शासन तथा अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था लाना चाहते हैं। वे हिन्दु राष्ट्र के अपने स्वप्न को साकार बनाने के लिये भारतीय राज्य की धर्म प्रकृति को भी तिलांजलि दे देने के लिये तत्पर हैं जिसके दुष्परिणामस्वरूप अन्ततोगत्वा अल्पसंख्यकों के हितों पर कुठाराघात होगा तथा राष्ट्र की अखण्डता खतरे में पड़ जाएगी। जनता की व्यापक श्रेणियों द्वारा इस क्षतिकर प्रस्ताव एवं कार्रवाई को ठुकरा दिये जाने पर भी भाजपा संविधान में संशोधन लाने के अपने मनोरथों को पूरा करने दिशा में आगे की कार्रवाई करने पर तुली हुई है जिसके फलस्वरूप राष्ट्र का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा।

13:2 पिछले कुछ समय से जनवादी अधिकारों तथा श्रम सम्बन्धी मामलों में न्याय पालिका का हस्तक्षेप बढ़ा है। राजनीतिक बंदों पर केरल उच्च न्यायालय का निर्णयादेश तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के उस आदेश की पुष्टि करना बताता है कि किस प्रकार न्याय पालिका न्यायोचित जनवादी आंदोलनों में हस्तक्षेप कर रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली के 4000 से अधिक कारखानों को हटाने अथवा बंद करने का आदेश दिया गया; उसका तर्क था कि ये कारखाने शहर के वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं; उसने आदेश जारी करते समय लाखों औद्योगिक श्रमिकों की आजीविका की चिन्ता भी नहीं की; इससे पता चलता है कि न्याय़पालिका को साधारण श्रमिकों की समस्याओं की कितनी चिन्ता है। उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के अनेक निर्णयादेश श्रमिकों के अधिकारों तथा हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। उदारीकरण की नीतियों से प्रभावित होकर ये संस्थान वर्तमान स्थिति में क्षतिकर भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं।

14. हमारी सांगठनिक दुर्बलताएं

14:1 हमने विनाशकारी आर्थिक नीतियों तथा साम्प्रदायिकता के विरुद्ध जारी देश व्यापी संघर्षों तथा उनके साथ-साथ श्रमिक वर्ग के क्षेत्रवार एवं दैनंदिन संघर्षों में भी निरंतर प्रमुख भूमिका निभाई है, इसमें संदेह नहीं। किन्तु हमारी सांगठनिक दुर्बलताएं हमारे लिये पूर्वत: गम्भीर चिन्ता का विषय बनी हुई हैं। इन दुर्बलताओं को यथाशीघ्र दूर करना होगा और सी आइ टी यू को एक व्यापक आधार वाले मजबूत संगठन के रूप में उभरना होगा। अन्यथा साम्राज्यवादी शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त शोषक श्रेणियों तथा उनकी सरकार के हमलों की उग्रता तथा चुनौतियों का सामना करने के लिये संघर्ष को आगे बढ़ाना हमारे लिये कठिन बना रहेगा और ये कठिनाईयां बढ़ती रहेंगी।

14:2 नवम महाधिवेशन के लिये अपनी रिपोर्ट में मैंने आत्म-आलोचनात्मक ढंग से रेखांकित किया था कि यद्यपि संगठन पर भुबनेश्वर दस्तावेज चार वर्ष पुराना (उस समय) हो चुका है तथापि इस स्थिति की पूरी गम्भीरता के साथ समीक्षा अभी की जानी है। रिपोर्ट में भुबनेश्वर दस्तावेज में निर्धारित किये गए प्रमुख कार्यों विशेष रूप से सी आइ टी यू केंद्र की कमियों पर बल देते हुए, को सभी स्तरों पर कार्यान्वित करने में हमारी विफलता को रेखांकित किया गया था।

14:3 नवम महाधिवेशन के पश्चात् वर्ष 1998 में शिमला में आयोजित कार्य समिति की बैठक में दस्तावेज के कार्यान्वयन की पूर्णरूपेण समीक्षा करने के लिये एक गम्भीर प्रयास किया गया था। बैठक में पूरे आधे दिन का सत्र केंद्र द्वारा तैयार की गई समीक्षा रिपोर्ट पर विचार करने के लिये लगाया गया था। तथापि लगता है कि इस कार्रवाई का सी आइ टी यू के संगठन तथा कार्य पद्धति पर केवल आंशिक प्रभाव ही पड़ा था। इसी पृष्ठभूमि में सी आइ टी यू की महा परिषद (जनरल कौंसिल) के गाज़ियाबाद सत्र में भुबनेश्वर दस्तावेज के कार्यान्वयन की समस्याओं पर एक कार्यशाला का आयोजन करने का निर्णय लिया गया था जिसमें राज्य समितियों तथा उद्योगवार महासंघों के अध्यक्षों तथा सचिवों को भाग लेने के लिये कहा गया था।

14:4 यह कार्यशाला 13-15 मार्च, 2000 को सम्पन्न हुई थी। भुबनेश्वर दस्तावेज के कार्यान्वयन के दुर्बल पक्षों पर काबू पाने की विधियों तथा साधनों का पता लगाने की दृष्टि से किया गया यह एक गम्भीर प्रयास था, इसमें संदेह नहीं। कार्यशाला से सम्बन्धित सभी आलेख सी आइ टी यू महा परिषद (जनरल कौंसिल) के कोज़ीकोडे

सत्र में प्रस्तुत किये गए। इन आलेखों पर बहस का एक चक्र चलाने के पश्चात् महा परिषद (जनरल कौंसिल) ने कार्यशाला द्वारा निकाले गए निष्कर्षों की पुष्टि कर दी, जनरल कौंसिल ने अपना योगदान देकर उन आलेखों को समृद्ध बनाया और सी आइ टी यू केंद्र को अंतिम दस्तावेज तैयार करने का अधिकार प्रदान किया ताकि उसका प्रचार एवं प्रसार किया जा सके। सी आइ टी यू के सचिव मण्डल ने कार्यशाला की सामग्री का विस्तृत अध्ययन एवं अनुशीलन किया और तत्पश्चात् उसके कार्यान्वयन के लिये तत्काल किये जाने वाले कार्यों की एक संक्षिप्त सूची बनाने का निर्णय लिया। ''भुबनेश्वर दस्तावेज का पूरी गम्भीरता के साथ कार्यान्वयन'' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित एक दस्तावेज इसी महाधिवेशन में वितरित किया जा रहा है।

14:5 संगठन की वर्तमान में व्याप्त स्थिति, विभिन्न स्तरों पर हमारे कार्यों और संगठन के प्रमुख पक्षों पर कार्यशाला में सम्पन्न बहस के फलस्वरूप निर्धारित कार्यों को वर्तमान दस्तावेज़ में सूचीबद्ध किया गया है। दस्तावेज में आलेखों के विशिष्ट बिन्दु भी जोड़े गए हैं जो कार्यशाला के लिये उपलब्ध कराई गई सामग्री में दिये गए थे और उनके साथ बहस के समय उभरे कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु भी दिये गए हैं, इन्हें तात्कालिक कार्यों की भूमिका के रूप में दिया गया है।

14:6 क्योंकि संगठन की स्थिति पर कार्यों सम्बन्धी दस्तावेज में विचार किया गया है और इस पर इसी महाधिवेशन में भी विचार किया जाएगा, इसलिये मैं इसे यहां दोहराना नहीं चाहूंगा। संक्षेप में संगठन की स्थिति जिसकी रिपोर्ट नवम महाधिवेशन में दी गई थी, को केंद्र, राज्यों तथा महासंघों के मामले में कार्याशाला के समय भी कुछ छोटे मोटे सुधारों के साथ न्यूनाधिक वैसी ही पाया गया था। खेद का विषय है कि कार्यशाला में तीन दिनों तक किये गए कड़े परिश्रम के पश्चात् भी कोई सार्थक प्रभाव पड़ा दिखाई नहीं देता।

14:7 संगठन पर कार्यशाला में विशेष रूप से अपनी गतिविधियों एवं आंदोलन को सामान्य रूप में ज्ञात प्रभामण्डल में सीमित रखने तथा उससे बाहर जाने में संकोच करने के रुझान की ओर संकेत किया गया था। यह रुझान न केवल संगठन के विकास अपितु आंदोलन की सम्भावनाओं को भी गम्भीर रूप से प्रभावित कर रहा है। यह रुझान सी आइ टी यू महा परिषद (जनरल कौंसिल) की कोझीकोडे में (अप्रैल 2000) आयोजित बैठक में पारित देशव्यापी स्वतंत्र अभियान कार्यक्रम के कार्यान्वयन तथा संगठन के खराब कार्य प्रदर्शन के रूप में भी प्रतिबिम्बित हुआ है। जन हस्ताक्षर अभियान तथा उसके साथ-साथ सी आइ टी यू प्रकाशनों की बिक्री के मामले में हमारे कार्य प्रदर्शन से स्पष्ट पता चल जाता है कि अनेक राज्यों में हम

अपने अभियान को अपनी सम्पूर्ण सदस्य संख्या के मध्य भी नहीं चला सके, श्रमिकों तथा जनसाधारण की व्यापक श्रेणियों तक पहुंचने की तो बात ही जाने दीजिये।

14:8 संगठन में सुधार लाने की प्रक्रिया का विकास अधिकतर केंद्र की सुधरी कार्य प्रणाली पर निर्भर करता है, यह बात बार-बार दोहराई जा चुकी है। तथापि यह एक कटु वास्तविकता है कि केंद्र अभी तक भुबनेश्वर दस्तावेज के अनुसार अपने कार्यों एवं कार्य पद्धति को नया स्वरूप देने में सक्षम नहीं हुआ। इससे राज्य समितियां तथा महासंघ अपने-अपने दायित्व बोझ से मुक्त नहीं हो जाते। दस्तावेज में उनके लिये कुछ विशेष कार्यों का निर्धारण किया है जिनका कार्यान्वयन उन्हें स्वतंत्र रूप से करना है।

14:9 तथापि, केंद्र का यह सर्वोपरि कर्तव्य है कि वह "सी आइ टी यू संगठन में समग्र रूप में भुबनेश्वर दस्तावेज के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में केंद्र के दायित्व पर पूर्ण बहस कराए।" केन्द्र में होने वाली इस बहस को इस तथ्य की ओर भी ध्यान देना होगा कि विभिन्न मंचों पर बार-बार बहस होने पर भी स्थिति मूलरूप से अपरिवर्तित बनी हुई है और इन कार्यों को कार्यरूप देने में केंद्र की विफलता का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिये जबकि केन्द्र स्वयं कार्य समिति में अथवा महा परिषद (जनरल कौंसिल) में अथवा कार्यशाला के मंच पर बार-बार बहसों का आयोजन करता रहा है। एक बार पुनः कहेंगे कि अनेक राज्य समितियों ने इस दस्तावेज को पूर्ण गम्भीरता के साथ कार्यान्वित करने के लिये प्राथमिक कदम उठाए हैं। उनके कार्य प्रदर्शनों में कुछ आंशिक सुधार देखा गया है किन्तु इस दिशा में सतत प्रयासों का अभाव पाया जा रहा है।

14:10 हमारी विफलताओं के मूल कारणों तथा उनके निदान हेतु कार्रवाई करने का मुख्य दायित्व प्रमुख रूप से केंद्र का है। किन्तु सभी स्तरों के अनुभवों को आत्मसात किये बिना यह कार्य करना कदापि सम्भव नहीं हो सकता। इस महाधिवेशन में जिस नये सचिवमण्डल का चुनाव किया जाएगा, उसे राज्य एवं जिला समितियों तथा उद्योगवार महासंघों के साथ मिल कर इस कार्य को करना होगा तथा इसे प्राथमिकता देनी होगी।

15. कामकाजी महिलाओं में हमारी गतिविधियां

15:1 पिछले महाधिवेशन के पश्चात् कामकाजी महिलाओं में हमारी गतिविधियों में सुधार लाने की दिशा में कुछ प्रयास किये गए हैं। कामकाजी महिलाओं के पांचवें

अखिल भारतीय सम्मेलन में दिये गए सुझाव के अनुसार कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति के अखिल भारतीय केंद्र को सुदृढ़ बनाया गया है। सी आइ टी यू सचिव मण्डल तथा महा परिषद (जनरल कौंसिल) ने ''कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति की दो दशकों की गतिविधियों की समीक्षा रिपोर्ट'' पर विचार किया था और उसके लिये आवश्यक कदम उठाने का निर्णय लिया था। प्रमुख विचार विमर्श पूर्ण कालिक कार्यकर्ताओं के आबंटन के प्रश्न पर हुआ था। महिला कार्यकर्ताओं का विकास करने तथा उन्हें प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से सी आइ टी यू द्वारा कामकाजी महिला कार्यकर्ताओं के लिये ट्रेड यूनियन कक्षाओं का आयोजन किया गया। ये कक्षाएं हिन्दी भाषी राज्यों में कार्यरत महिला कार्यकर्ताओं के लिये, दक्षिण भारत में बागवानी श्रमिकों के लिये, हिन्दी भाषी राज्यों में आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिये और दक्षिण भारत में कामकाजी महिला कार्यकर्ताओं के लिये लगाई गई थीं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी सी आइ टी यू की राज्य समितियों की ओर से कामकाजी महिलाओं के लिये विशेष कक्षाओं/ कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है।-

15:2 जयपुर में सम्पन्न सी आइ टी यू कार्य समिति की बैठक ने अखिल भारतीय खेतिहर श्रमिक यूनियन तथा अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के साथ मिल कर कामकाजी महिलाओं की प्रमुख समस्याओं पर एक संयुक्त अखिल भारतीय अभियान चलाने का निर्णय लिया था। इस महाधिवेशन के पश्चात् हमें इसकी योजना बनानी होगी और उस पर कार्यान्वयन करना होगा।

15:3 पहली बार कामकाजी महिलाओं के छटे अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन सी आइ टी यू महाधिवेशन से अलग 16-17 सितम्बर 2000 को हल्दिया में किया गया था। उस सम्मेलन में 15 राज्यों तथा 25 उद्योगों/क्षेत्रों के 295 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सम्मेलन में एक 61 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन किया गया। सम्मेलन में पारित रिपोर्ट यह सभी प्रतिनिधियों में वितरित की जा रही है। कामकाजी महिलाओं का सम्मेलन घरेलू उद्योग धंधों में कार्यरत श्रमिकों को संगठित करने के प्रश्न पर विचार विमर्श नहीं कर सका था क्योंकि गहराई में विचार करने के लिये उसे पर्याप्त समय नहीं मिला था। क्योंकि पिछले कुछ समय से विशेष रूप से उदारीकरण की नीतियां लागू होने के पश्चात् घरेलू उद्योग धंधों का काम कई गुणा बढ़ चुका है इसलिये आवश्यक हो जाता है कि सी आइ टी यू इनमें काम करने वाले श्रमिकों जिनमें कामकाजी महिलाओं की बहुसंख्या है, को संगठित करने की ओर विशेष ध्यान दे।

15:4 अंग्रेजी पत्रिका ''द वायस आफ द वर्किंग विमन'' की प्रसार संख्या इस समय 3600 के आस पास है। इस पत्रिका की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा इसे आत्मनिर्भर बनाने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। हमें इसकी प्रसार संख्या बढ़ा कर 5000 करने के लिये प्रयास करने चाहियें।

15:5 एक हिन्दी बुलेटिन ''पत्रिका'' शुरू किया गया है। इसे 3-4 मास में एक बार प्रकाशित किया जाता है और इसे मुख्य रूप से आंगनवाड़ी कर्मचारियों में भेजा जाता है।

सी आइ टी यू में महिलाएं

15:6 सी आइ टी यू की सदस्य संख्या में महिलाओं के अनुपात में आंशिक सुधार हुआ है, वर्ष 1997 में यह संख्या बढ़ कर 16.44 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। हमारी इच्छा थी कि इस महाधिवेशन में 15 प्रतिशत स्थानों (अथवा प्रतिनिधियों) का आबंटन कामकाजी महिलाओं के लिये करके हम उनकी सदस्य संख्या को प्रतिबिम्बित करें। अधिकांश राज्य सम्मेलनों में महिलाएं सी आइ टी यू राज्य समिति की पदाधिकारी चुनी गई हैं। कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समिति को इन नव निर्वाचित महिला पदाधिकारियों का समुचित मार्ग दर्शन करना चाहिये ताकि वे प्रभावी ढंग से काम कर सकें और अधिक से अधिक कामकाजी महिलाओं को श्रमिक आंदोलन एवं संघर्षों में ला सकें। राज्य समितियों तथा जिला समितियों में कामकाजी महिलाओं के अनुपात में रिकार्ड सुधार हुआ है। कामकाजी महिलाओं के लिये राज्य स्तरीय कक्षाओं का आयोजन करने में केंद्र को और अधिक प्रभावशाली भूमिका का निर्वहन करना चाहिये ताकि उन्हें यूनियन तथा सी आइ टी यू में अन्य स्तरों पर नेतृत्वकारी पदों के लिये पदोन्नत किया जा सके।

15:7 तथापि, इस बात को रेखांकित किया जाना चाहिए कि हम अपनी दुर्बलताओं के चलते उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके जिसे हम प्राप्त करना चाहते थे। इस महाधिवेशन में महिला प्रतिनिधियों की संख्या प्रतिनिधियों की कुल संख्या का लगभग 11 प्रतिशत है। यद्यपि कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश तथा कुछ अन्य राज्यों का इस सम्बन्ध में अच्छा प्रदर्शन रहा है। कुछ राज्यों ने एक भी महिला प्रतिनिधि को इस महाधिवेशन में नहीं भेजा। हम सबको अपनी कार्य प्रणाली की इस दुर्बलता को गम्भीरता के साथ लेना होगा ताकि हम अपनी सभी गतिविधियों में कामकाजी महिलाओं की सहभागिता को सुनिश्चित बनाने की ओर उपयुक्त ध्यान दे सकें।

15:8 हमारा आंगनवाड़ी महासंघ अपनी गतिविधियों का प्रसार करने के लिये प्रयत्नशील है। अधिकांश राज्य समितियां आंगनवाड़ी कर्मचारियों की स्थानीय समस्याओं का समाधान कराने के लिये सक्रिय हैं। हमने 28 अप्रैल 2000 को दिल्ली में आयोजित संयुक्त संघर्ष समिति की संयुक्त रैली के लिये लगभग 5,000 आंगनवाड़ी कर्मचारियों को लामबंद किया था। किन्तु भाजपा के नेतृत्व वाली एन डी ए सरकार उनकी किसी भी मांग को स्वीकार करने के लिये इच्छुक नहीं हैं। महासंघ के 16 राज्यों में सदस्य हैं किन्तु उसके लगभग एक लाख सदस्यों/सदस्याओं का 70 प्रतिशत भाग केवल तीन राज्यों का है। सी आइ टी यू केंद्र ने राज्य समितियों को एक विस्तृत नोट भेज कर उनका ध्यान इस महासंघ में हमारी सांगठनिक स्थिति में सुधार लाने की जबरदस्त सम्भावनाओं की ओर दिलाया गया था। दुर्भाग्यवश अधिकांश राज्य समितियों ने इसका प्रत्युत्तर नहीं दिया। आंगनवाड़ी कर्मचारियों को संगठित करने के महत्व को देखते हुए सी आइ टी यू की सभी राज्य समितियों को इस कार्य की ओर समुचित ध्यान देना चाहिये।

16. असंगठित क्षेत्र

16:1 हम पिछले अनेक वर्षों विशेष रूप से वर्ष 1991 में असंगठित क्षेत्र में अखिल भारतीय समन्वय समिति का गठन होने के बाद से असंगठित क्षेत्र के सम्बन्ध में विचार विमर्श करते रहे हैं। यह सत्य है कि हमने इस क्षेत्र में लम्बी छलांगें लगाई हैं और सी आइ टी यू की लगभग 50 प्रतिशत सदस्य संख्या इसी क्षेत्र के साथ सम्बन्ध रखती है। किन्तु इस क्षेत्र की व्यापकता तथा इसके इधर उधर बिखरे होने एवं विजातीय प्रकृति के दृष्टिगत हमें स्वीकार करना होगा कि हम अब तक इस क्षेत्र के श्रमिकों के एक बहुत ही छोटे भाग तक पहुंचने में सफल हो सके हैं।

16:2 इससे पहले कि हम इस क्षेत्र में अपनी गतिविधियों तथा कार्यों पर विचार करें, हमारे लिये बदलती स्थिति को देखना और समझना अत्यावश्यक है, यह स्थिति हमसे अधिक सुनियोजित एवं श्रम साध्य कार्य करने की मांग करती है।

16:3 पहले पूंजीवादी विकास की समर नीति (या कार्यनीति) अधिकतर बड़े उद्योगों की ओर उन्मुख होती थी जिन्हें प्राय: औपचारिक अथवा संगठित क्षेत्र कहा जाता था या कहा जाता है। अनौपचारिक अथवा असंगठित क्षेत्र जैसा कि इसे भारत

में कहा जाता है, छोटी एवं लघु इकाईयों की बड़ी संख्या, कुटीर उद्योगों, परम्परागत सहायक उद्योगों इत्यादि पर आधारित है और इसका अस्तित्व अपने अविभावक अर्थात् हृष्ट-पुष्ट (हट्टे-कट्टे) संगठित क्षेत्र का सीमावर्ती (आस पास) रहा है। पूंजीवादी व्यवस्था का संकट गहरा होने के साथ पूंजीवादी योजनाबंदी तथा शोषणकारी विधियां भी पूंजीवाद के अस्तित्व को बनाए रखने के लिये साम्राज्यवादी बुर्जुआजी की आवश्यकताओं के अनुसार अब बदल रही हैं। उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमण्डलीकरण के दर्शन के अनुरूप विदेशी बहुराष्ट्रीय भूमण्डलीय अर्थव्यवस्था के साथ उत्पादन केंद्रों में भी आमूल परिवर्तन आ रहा है।

16:4 संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम शुरू होने के फलस्वरूप संगठित क्षेत्र के आकार को सिकोड़ा अथवा उसका विखण्डन किया जा रहा है, उसके उत्पादों का बोझ मैन्युफेक्चरिंग के लिये अनौपचारिक क्षेत्र के कंधों पर डाला जा रहा है। बड़े कारोबारी घराने भारी भरकम लाभ का अर्जन करने के लिये इससे लाभान्वित हो रहे हैं क्योंकि यहां उन्हें ऊपर के खर्चे कम पड़ते हैं; कम कामकाजी पूंजी की आवश्यकता होती है; उन्हें सस्ती मजदूरी मिलती है और वे सभी श्रम कानूनों, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा इत्यादि के नियमों की खुल कर धज्जियां उड़ा सकते हैं।

16:5 अनौपचारिक क्षेत्र का प्रचुरोद्भवन (विशाल संख्या में उद्भव होना या उभरना) अब भूमण्डलीय संवृत्ति बन चुका है। यह एक उदारीकृत तथा भूमण्डलीय अर्थव्यवस्था का सुनियोजित परिणाम है। तृतीय विश्व का एक देश होने के कारण भारत में इस क्षेत्र की स्थिति अत्यंत शोचनीय है। विश्व (अर्थात् बृहत) अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से अनौपचारिक क्षेत्र एक अवशिष्ट (अथवा बची खुची) अवधारणा है अर्थात् जो सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में संगठित मैन्युफेक्चरिंग तथा सेवा क्षेत्र का बचा खुचा (या तुच्छ समझ कर छोड़ा गया) भाग है। किन्तु जो भी बचा खुचा भाग है, वह वास्तव में नाना प्रकार की अत्यंत अलग प्रकार की विशाल एवं बहुसंख्य गतिविधियों का क्षेत्र है, इस क्षेत्र की व्यापकता छोटी एवं लघु इकाईयों; बीड़ी, हथकर्घा, विद्युतकर्घा (पावरलूम), टैनरीज, छोटी रसायनिक इकाईयों, भट्ठों, खनन, पटाखे बनाने वाली इकाईयों, माचिस उद्योग, स्लेट पैंसिल, वस्त्र, काजू, कॉयर (नारियल जटा), कालीन, चूड़ी, शीशे का काम, मिट्टी के बर्तन, हीरो की कटाई जैसे अनेक अव्यवस्थित मैन्युफेक्चरिंग उद्योगों से लेकर आकस्मिक एवं संविदा श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों, स्व:रोजगार पर लगे लोगों, घरेलू उद्योग धंधों के श्रमिकों तक व्याप्त है। राष्ट्रीय श्रम आयोग (1969) के अनुसार यह सूची अनंत है, और

भूमण्डलीय अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत यह सूची और बड़ी होती चली जा रही है।

16:6 भारत की श्रम शक्ति की विशाल बहुसंख्या लगभग 92 प्रतिशत कृषि सहित इन असंगठित क्षेत्रों में काम करती है। जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है, असंगठित क्षेत्र के उद्योगों ने वर्ष 1980-81 में 28,060 करोड़ रुपये के मूल्य की वस्तुओं से लेकर 1995-96 में 3,56,213 करोड़ रुपये मूल्य की वस्तुओं का उत्पादन किया अर्थात् उसके उत्पादन में 12 गुना से अधिक का उछाल आया था। निर्यात् के मोर्चे पर इस छोटे क्षेत्र की इकाईयों ने 1980-81 में 1643 करोड़ रुपये की वस्तुओं से लेकर 1995-96 में 36,470 करोड़ रुपये के मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया—उसके निर्यात में 22 गुना से अधिक वृद्धि हुई। कुल निर्यातों के एक भाग के रूप में यह इस अवधि में यह 24.5 प्रतिशत से बढ़ कर लगभग 36 प्रतिशत तक पहुंच गया है। इसलिये यदि साम्राज्यवादी देशों तथा उनके सहयोगियों अर्थात् भारतीय इजारेदारों ने मिल कर भारत में अनौपचारिक क्षेत्र को अपने हमलों का लक्ष्य बनाया है तो इसमें आश्चर्य चकित होने की कोई बात नहीं।

16:7 वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति का मूल ढांचा विश्व बैंक की रिपोर्ट (1989)—''भारत: एक औद्योगिकृत अर्थव्यवस्था संक्रमण काल में'' पर आधारित था। उसने व्यावहारिक रूप में 1956 की औद्योगिक नीति को पलट दिया; छोटे तथा लघु क्षेत्रों में उत्पादन के लिये उत्पादों के आरक्षण की नीति वापस ले ली गई; निवेश सीमा 500 गुणा से अधिक बढ़ा दी गई; बहुराष्ट्रीय निगमों तथा बड़े इजारेदार घरानों को अनौपचारिक क्षेत्र में पदार्पण करने की अनुमति दी गई; यह काम प्रतिस्पर्धा के पूंजीवादी आदर्श वाक्य अर्थात् माटो के साथ इस क्षेत्र के ''विकास'' तथा उसे ''बढ़ावा'' देने के नाम पर किया गया। इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में छोटी इकाईयां बंद हो गईं और रोजगारहीनता की स्थिति उत्पन्न हुई।

16:8 भाजपा सरकार इस प्रक्रिया को अब तेज कर रही है। सी आइ टी यू के सम्पूर्ण संगठन, और राज्यों से लेकर केंद्र तक उसके नेताओं को राजनीतिक दृष्टि से इस बदलती एवं गम्भीर स्थिति का अवलोकन करना होगा। यदि असंगठित क्षेत्र की इस विशाल श्रम शक्ति का यूनियनकरण किया जा सके और उन्हें श्रमिक आंदोलन की परिधि में खींच लाया जाए जहां वे संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के साथ मिल कर काम करें तब उस स्थिति में सी आइ टी यू आंदोलन द्रुतगति से आगे बढ़ने लगेगा, वह ऊंचाईयों के नये आयामों को छूने लगेगा।

16:9 उपरोक्त पृष्ठभूमि में आईये, हम आत्म आलोचनात्मक ढंग से असंगठित

क्षेत्र में सी आइ टी यू की सांगठनिक गतिविधियों का विश्लेषण करें। चेन्नई में अप्रैल 1998 में आयोजित जनरल कौंसिल बैठक ने रेखांकित किया था कि समन्वय समिति के कुल 43 सदस्य है, यें 16 राज्यों से संबंधित हैं, समिति की बैठक वर्ष में दो बार होती है, किन्तु उसमें कभी भी 9-10 राज्यों के 20 से अधिक सदस्यों ने भाग नहीं लिया। नियमित रूप से बैठक में भाग लेने वाले राज्यों में पश्चिम बंगाल, बिहार, दिल्ली, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान सम्मिलित हैं जबकि केरल, महाराष्ट्र तथा त्रिपुरा यदा कदा बैठक में भाग लेते हैँ किन्तु पिछले अनेक वर्षों से पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा तथा हिमाचल प्रदेश ने किसी बैठक में भाग नहीं लिया। मध्यप्रदेश में असंगठित क्षेत्र में हमारी गतिविधियों का विकास हुआ है, किन्तु उसे अभी तक अखिल भारतीय समन्वय समिति में सम्मिलित नहीं किया गया। असम को भी अभी तक समन्वय समिति में नहीं लिया गया।

16:10 बार-बार निर्णय लिये जाने पर भी राज्य अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट संयोजक अथवा केन्द्र को नहीं भेजते हैं। अनेक राज्यों में समन्वय समितियों का गठन करने के लिये आवश्यक कदम नहीं उठाये गए हैं। वर्तमान में केवल पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में राज्यस्तरीय समन्वय समितियों का गठन किया गया है। शेष राज्यों में इस प्रकार की राज्य स्तरीय समितियों का गठन करने के लिये कदम नहीं उठाये गये हैं। चेन्नई की महा परिषद (जनरल कौंसिल) बैठक में सभी राज्य समितियों को निदेश दिया गया था कि वे छह मास के भीतर इस प्रकार की समितियों का गठन करें किन्तु ये राज्य इस निदेश का कार्यरूप देने में विफल रहे हैं।

16:11 अन्य सुझाव जिन्हें चेन्नई में सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिया गया था, इस प्रकार थे :

- ''असंगठित क्षेत्र की व्यापकता को देखते हुए राज्य समितियां इस क्षेत्र को अपनी नियमित कार्यसूची में रखें और प्राथमिकता के आधार पर विशेष मैन्यूफेक्चरिंग उद्योगों अथवा अन्य क्षेत्रों की पहचान करें और राज्य स्तरीय समन्वय समितियों की गतिविधियों को मानीटर करने के लिये उप समितियों का गठन करें। इन दोनों समितियों की बैठक नियमित रूप से हो और उसकी रिपोर्ट राज्य समितियों को भेजी जाए। राज्य समितियां बदले में ये रिपोर्ट केन्द्र को महीने में एक बार भेजा करें। इसके अतिरिक्त असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामकाजी महिलाओं की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए और

महिला नेत्रियों को राज्य तथा अखिल भारतीय समन्वय समिति में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

- केन्द्रीय स्तर पर भी इसी प्रकार सी आइ टी यू सचिव मंडल को राज्य समितियों की गतिविधियों को मानीटर करने के लिए एक उप समिति का गठन करना होगा। इस उप समिति में कुछ राज्यों से एक-एक नेता को तथा केंद्र में कार्यरत एक अथवा दो पदाधिकारियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। इस अखिल भारतीय उप समिति की बैठक अखिल भारतीय समन्वय समितियों की दो बैठकों के मध्य होनी चाहिए। सी आइ टी यू के सचिव मण्डल जिसमें पूरा सचिव मण्डल भी सम्मिलित है, को अपनी बैठकों में असंगठित क्षेत्र पर भी विचार करना चाहिए। राज्यों तथा केन्द्र दोनों की ओर से ट्रेड यूनियन कक्षाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में हिन्दी भाषी क्षेत्र तथा कमजोर राज्यों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया था कि इस प्रकार की सांगठनिक गतिविधियों तथा अखिल भारतीय आंदोलन को चलाने के लिये अलग से एक केन्द्रीय कोष को बनाना आवश्यक होगा जिसके लिये केन्द्र को निर्णय लेने का अधिकार दिया गया था।''

16:12 तथापि राज्य स्तरीय समितियों का गठन नहीं होने के चलते चेन्नई में लिये गए निर्णय को अधिकतर कार्यान्वित नहीं किया गया। इसका परिणाम असंगठित क्षेत्र में हमारी गतिविधियों को सुदृढ़ बनाने के लिये राज्य स्तरीय तथा अखिल भारतीय आंदोलन का निर्माण करने में हमारी विफलता के रूप में निकला है।

16:13 साथियो, इस महाधिवेशन को इन पक्षों पर भी आत्म आलोचनात्मक ढंग से विचार करना होगा और एक समयबद्ध कार्यक्रम बना कर चेन्नई की महा परिषद (जनरल कौंसिल) बैठक में लिये गए निर्णयों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित बनाना होगा।

17. अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

17:1 सी आइ टी यू ने नवम महाधिवेशन के पश्चात् अपने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का विकास करने की दिशा में लम्बी छलांगें लगाई हैं। एक प्रमुख ट्रेड यूनियन केन्द्र के रूप में उसने हाल ही के वर्षो में भूमण्डलीयकरण तथा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा श्रमिक वर्ग के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध

किये जाने वाले हमलों के विरोध में आयोजित लगभग सभी प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संगोष्ठियों तथा बैठकों में भाग लिया है। उसने पिछले तीन वर्षों में एशिया, अफ्रीका, लातिनी अमरीका तथा यूरोप में अनेक देशों के ट्रेड यूनियन केंद्रों के साथ श्रमजीवी जनता के हितों से सम्बन्धित मामलों पर विचार विमर्श करने और विभिन्न देशों के श्रमिक संगठनों के मध्य भ्रातृ सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से अनेक यात्राओं का आदान-प्रदान किया है। इन गतिविधियों के फलस्वरूप हमारे साथियों को विश्व के श्रमिक आंदोलन के सम्बन्ध में प्राथमिक जानकारी प्राप्त करने और विभिन्न देशों में श्रमिक वर्ग को संगठित करने के काम में लगे अपने भ्रातृ सहयोगियों के साथ विचार विनिमय करने के अच्छे अवसर मिले हैं।

17:2 स्थानाभाव के कारण मैं अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के मामले में अपनी गतिविधियों का विस्तृत विवरण देने में असमर्थ हूं। अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों तथा सम्मेलनों में सी आइ टी यू के भाग लेने से सम्बन्धित रिपोर्ट अपनी पत्रिकाओं ''द वर्किंग क्लास'' तथा ''सीटू मजदूर'' में समय समय पर हम प्रकाशित करते रहे हैं। कार्य समिति तथा महा परिषद की बैठकों में भी अधिकांश सम्मेलनों एवं संगोष्ठियों की रिपोर्टों का प्रस्तुतिकरण किया जाता रहा है। इसलिये उन्हें यहां दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

17:3 तथापि, मैं यहां हमारे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के बढ़ते महत्व पर कुछ शब्द अवश्य कहना चाहूंगा। भारत का श्रमिक आंदोलन श्रमिक वर्ग के अन्तर्राष्ट्रीय आंदोलन का एक अभिन्न अंग है; यह बात आप भली भांति जानते हैं। जब तक हम विदेशों में अपने भ्रातृ संगठनों के साथ निकट सम्पर्क स्थापित नहीं करेंगे, उनके साथ विचार विनिमय नहीं करेंगे और उनके अनुभवों से सीखने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक हम स्वयं अपने ही देश में श्रमिक आंदोलन को आगे बढ़ाने में कदापि सफल नहीं हो सकते। इसलिये सी आइ टी यू सांगठनिक सम्बद्धताओं से ऊपर उठ कर विश्व के सभी प्रमुख श्रमिक संगठनों के साथ अपने द्विपक्षीय सम्बन्धों को बढ़ावा देने की ओर अधिक ध्यान देता है। भूमण्डलीयकरण के हमलों के विरुद्ध विश्व के श्रमिक आंदोलन में धीरे-धीरे बनते जा रहे अन्तर्सम्बन्धों की पृष्ठभूमि में हमने डब्ल्यू एफ टी यू तथा आइ सी एफ टी यू दोनों के साथ सम्बन्ध स्थापित किये हैं।

17:4 दुर्भाग्यवश, वर्तमान में अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक आंदोलन विभाजित है। श्रमिक वर्ग के हितों पर साम्राज्यवादी हमलों का प्रभावशाली ढंग से प्रतिकार करने के लिये

उसकी पंक्तियों में एकता लाना इस समय की सबसे बड़ी मांग है। इसका अनुभव करते हुए आइ सी एफ टी यू के साथ संबंध रखने वाले कुछ श्रमिक संघ खुले रूप में भूमण्डलीयकरण का विरोध करने लगे हैं और उन्होंने भूमण्डलीयकरण तथा उदारीकरण के विरुद्ध एकजुटता की कार्रवाईयों में भाग लेने की इच्छाएं व्यक्त की हैं। यद्यपि निकट भविष्य में श्रमिक आंदोलन की विश्व व्यापी एकता सम्भव नहीं है तथापि सभी स्तरों पर संघर्ष चलाए जा सकते हैं। सी आइ टी यू इन सभी संयुक्त कार्रवाईयों में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना चाहता है। इसलिये, हमें भूमण्डलीयकरण तथा उदारीकरण के साम्राज्यवादी हमलों का प्रतिकार करने के लिये अन्य देशों के श्रमिक वर्ग के साथ एकजुटता व्यक्त करने की दिशा में अपनी गतिविधियों में मजबूती लानी होगी।

17:5 साथियो, बढ़ते अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के साथ विदेशी यात्राओं पर बढ़ते खर्चे भी जुड़े हुए हैं और इसके लिये हमारे पास पर्याप्त संसाधनों का होना आवश्यक है, तथापि, जहां कहीं भी हमारे श्रमिक संघों ने हमारे प्रमुख साथियों की अन्तर्राष्ट्रीय यात्राओं के लिये कोष का संग्रह करने के लिए अभियान चलाया वहां श्रमिकों द्वारा उसके लिये सकारात्मक प्रत्युत्तर दिया गया। हमें श्रमिक वर्ग की अन्तर्राष्ट्रीय एकजुटता की आवश्यकता तथा महत्व के सम्बन्ध में श्रमिकों को शिक्षित करना चाहिए ताकि हम दूसरे देशों के भ्रातृ श्रमिक संघों के साथ एकता तथा मित्रता सम्बन्ध स्थापित करने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने में सक्षम हो सकें। हमें यह बात समझ लेनी चाहिए कि श्रमिक वर्ग के प्रभावी तथा एकजुट अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष के बिना अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी के भूमण्डलीय हमलों को परास्त नहीं किया जा सकता।

18. वाम मोर्चा सरकारों की भूमिका

18:1 पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा में वाम मोर्चा सरकारें और केरल में वाम जनतांत्रिक मोर्चा सरकार केन्द्रीय सरकार की नीतियों के विरुद्ध निरंतर संघर्ष करती रही है और देश के लिये जनपक्षीय वैकल्पिक नीतियां लागू करने पर बल देती रही है। उन्होंने संविधान की सीमाओं के भीतर रह कर काम करते हुए भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एन डी ए) सरकार की विभिन्न जन विरोधी तथा प्रतिगामी नीतियों को लागू करने से इन्कार कर दिया है या इन्कार करती रहीं हैं। ये सरकारें देश में उदारीकरण विरोधी संघर्ष की महत्वपूर्ण चौकियां हैं।

18:2 क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था स्वयं ही एक गहरे संकट में है, इसलिये ये तीनों राज्य भी इस संकट से प्रभावित हुए हैं। बढ़ती औद्योगिक बीमारी, बढ़ती बेरोजगारी, तीव्र आर्थिक विकास के लिये आवश्यक राज्यों के संसाधनों का अभाव और केन्द्रीय सरकार की नीति के परिणामस्वरूप सार्वजनिक वितरण प्रणाली का भंग हो जाना जैसी समस्याएं इन राज्यों की अर्थ व्यवस्थाओं पर भी अपना दुष्प्रभाव डाल रही हैं। तथापि, ये जन पक्षीय सरकारें केन्द्र द्वारा घोर पक्षपात किये जाने पर भी इन राज्यों की जनता द्वारा झेली जा रही कठिनाईयों को कम करने के लिये सतत प्रयास करती रही हैं। और इसके साथ ही साथ उन्होंने शासन की जन पक्षीय वैकल्पिक नीतियों का प्रस्तुतिकरण भी किया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में अभूतपूर्व बाढ़ के कारण हुई बर्बादी एवं विनाश पर काबू पाने के लिये राज्य सरकार को सहायता देने से इन्कार कर दिया गया; यह वाम पक्ष के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के विरुद्ध लज्जानक पक्षपात की एक जीती जागती स्पष्ट उदाहरण है। त्रिपुरा में बाहर से चलाई जा रही आतंकवादी गतिविधियों में बढ़ोत्तरी होने पर भी केन्द्रीय सरकार ने गैर जिम्मेदारी से काम लेते हुए अर्ध सैन्य बलों को वापस बुला लिया; इस प्रकार के पक्षपात की यह एक और उदाहरण है और केन्द्रीय सरकार द्वारा जनसाधारण की सुरक्षा एवं जीवन के मूल्य पर भी वाम मोर्चे के नेतृत्व वाली वाम पक्षीय सरकार को बदनाम करने के लिये जानबूझ कर यह घृणित खेल खेली जा रही है। इस पर भी राज्य सरकार ने लोगों के जीवन तथा आजीविका की रक्षा करने के लिये भरसक प्रयास किये हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जिन अनाजों की आपूर्ति की होती है, उनके मूल्यों में वृद्धि होने के फलस्वरूप केरल तथा अन्य राज्यों में इस प्रणाली पर प्रतिकूल दुष्प्रभाव पड़ा है किन्तु वाम पक्ष के नेतृत्व वाली सरकार ने जहां तक सम्भव हो सके, इस प्रणाली को जारी रखने का निर्णय लिया है।

18:3 केन्द्रीय सरकार की सहायता से प्रतिक्रियावादी शक्तियों के हमलों एवं षड्यंत्रों से इन तीनों प्रगतिशील राज्य सरकारों की रक्षा करना भारत में श्रमिक आंदोलना का एक महत्वपूर्ण काम है। प्रतिगामी शक्तियां अवसरवादी गठबंधन बना कर अथवा चुनावों के समय अन्य हथकण्डे अपना कर इन तीनों सरकारों को सत्ता से निकाल बाहर करने अथवा उन्हें उलट देने के लिये प्रत्येक कार्रवाई कर रही हैं। इसलिये श्रमिक वर्ग का कर्त्तव्य बन जाता है कि वह वाम पक्ष के नेतृत्व वाली इन राज्य सरकारों की सहायता के लिये आगे आए ताकि प्रतिक्रियावादी शक्तियों की इस कुत्सित खेल को विफल बनाया जा सके।

19. ट्रेड यूनियन एकता की समस्याएं

19:1 वर्तमान में हमारे द्वारा भारत सरकार की आर्थिक नीतियों के विरुद्ध और साम्प्रदायिक एवं विभाजक शक्तियों के विरोध में चलाए जा रहे संघर्षों के लिये भारत भर में श्रमिकों की ओर से अधिकाधिक प्रत्युत्तर दिया जा रहा है। प्रारम्भिक चरण में यह प्रत्युत्तर प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा तथा कुछ अन्य राज्यों तक ही सीमित था। तथापि समय व्यतीत होने के साथ-साथ इन संघर्षों की प्रकृति भी अखिल भारतीय हो गई है।

19:2 यह भी देखा गया है कि अन्य संगठनों के साथ सम्बद्ध श्रमिक जो पहले संयुक्त आंदोलन में नहीं थे, इन संघर्षों में भाग लेने के लिये आगे आ रहे हैं। तीव्रतर होते आर्थिक संकट ने श्रमिकों की नयी-नयी श्रेणियों को संघर्षों के मैदान में उतरने के लिये विवश कर दिया है; उन्होंने इन संघर्षों को राष्ट्रीय प्रकृति के संघर्ष बना दिया है।

19:3 श्रमिक संघों की प्रायोजन (अथवा अभियान) समिति की लोकप्रियता श्रमिकों में बढ़ी है और सभी सम्बद्धाताओं वाले श्रमिक अधिकाधिक संख्या में उसके आह्वानों के लिए प्रत्युत्तर दे रहे हैं।

19:4 सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय श्रमिक संघों की समिति (सी पी एस टी यू) अनेकानेक स्वतंत्र श्रमिक संघों को एकजुट करने में सक्षम हुई है। कुछ प्रश्नों पर श्रमिकों की व्यापक कार्रवाईयां करने में दुर्बलताएं रहने पर भी वह भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के 20 लाख श्रमिकों के हितों के लिये संघर्ष करने वाला एकमात्र पुरोधा मंच है।

19:5 राष्ट्रीय जन संगठन मंच श्रमिक संगठनों, खेतिहर श्रमिकों के संगठनों, किसान सभाओं और महिलाओं, छात्रों एवं युवाओं के संगठनों को एकताबद्ध करके जनवादी संघर्ष को आगे बढ़ाने का उपकरण बन चुका है।

19:6 राष्ट्रीय जन संगठन मंच ने जन संगठनों की सभी श्रेणियों के संयुक्त एवं सांझे आंदोलनों का सूत्रपात किया है। इसके साथ ही उसने क्षेत्रवार आंदोलनों को भी प्रोत्साहित किया है। उसने एन पी एम ओ के विभिन्न घटकों की समस्याओं को प्रकाश में लाने का काम किया है। छात्रों तथा युवाओं द्वारा 27 नवम्बर को, किसानों एवं खेतिहर श्रमिकों द्वारा 30 नवम्बर को रैली का आयोजन किया गया; महिला संगठनों द्वारा अनेक रैलियां निकाली गईं; प्रायोजन समिति द्वारा ट्रेड यूनियन रैलियां

निकाली गईं; ये सभी रैलियां विकसित हो रहे इन सांझे आंदोलन की ओर संकेत करती हैं। यद्यपि भारत सरकार के लिये इन संघर्षों की अनदेखी करना कठिन है तथापि यह बात स्वीकार करनी होगी कि ये संघर्ष, सार रूप में रक्षात्मक प्रकृति के हैं। ये आंदोलन हमारे उन लाभों को बनाए रखने के लिये चलाए जा रहे हैं जो हमने अतीत में चलाए गए आंदोलनों के फलस्वरूप प्राप्त किये थे।

19:7 ये संघर्ष भारत सरकार की आर्थिक नीतियों जिन्हें वह जनता पर लाद रही है, को बदलने में अभी तक सफल नहीं हो सके हैं। यद्यपि समय-समय पर हम आर्थिक सुधारों की गति को मंद करने में सफल रहे हैं तथापि हम इन नीतियों को बदल नहीं सके हैं और न ही उन्हें पूरी शक्ति से रोक सके हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक तथा विश्व व्यापार संगठन का सरकार पर दबाव हमारे आंदोलन से कहीं अधिक शक्तिशाली है। वाजपेयी सरकार की आर्थिक नीतियों का विरोध बढ़ रहा है किन्तु इस पर भी वह उन नीतियों को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है और आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को और तेज करने की बातें कर रही है। हमारे आंदोलन की कुछ विशेष दुर्बलताओं को यहां रेखांकित किया गया है ताकि हम स्थिति में सुधार लाने के लिए कार्रवाई कर सकें:

क) हम अभी तक श्रमिक वर्ग की सम्पूर्ण एकता स्थापित करने में सक्षम नहीं हो सके हैं। कुछेक श्रमिक संघ भूमण्डलीयकरण की नीतियों के विरुद्ध बातें तो करते हैं किन्तु आंदोलन को सुदृढ़ बनाने के सम्बन्ध में उनकी अपनी कोई स्पष्ट अवधारणा नहीं है। इसलिये वे श्रमिक वर्ग के संयुक्त आंदोलनों से अपने प्रभावों वाले लोगों को दूर रखने का प्रयास करते हैं।

ख) निजीकरण, भूमण्डलीयकरण तथा उदारीकरण के प्रश्नों पर पूंजीवादी प्रचार तंत्र श्रमिक वर्ग तथा ट्रेड यूनियन नेतृत्व की एक श्रेणी में भ्रांतियां उत्पन्न कर रहा है। वे पूंजीपति वर्ग के साथ समझौता करने का प्रयास करते हैं और भूमण्डलीयकरण की नीतियों का विरोध करने के लिए संघर्ष में सम्मिलित नहीं होते।

(ग) प्रिंट एवं इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से बुर्जुआ प्रचार तंत्र लोगों में ये गलत धारणाएं उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है कि भूमण्डलीयकरण की नीतियों का कोई विकल्प (टिना) नहीं है। भूमण्डलीयकरण की नीतियों के विरुद्ध वैकल्पिक नीतियों के लिये हमारा प्रचार अभी तक जन साधारण की विशाल श्रेणियों तक नहीं पहुंचा। इसके लिये और अधिक शक्तिशाली एवं

प्रभावी अभियान चलाने की आवश्यकता है ताकि इन श्रेणियों को यह बात समझाई जा सके कि भूमण्डलीयकरण की नीतियों का एक ठोस एवं जीवंत विकल्प है और केवल भूमण्डलीयकरण के विरुद्ध संघर्ष करके ही देश आर्थिक दृष्टि से प्रगति कर सकता है और दरिद्रता का उन्मूलन किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल, केरल तथा त्रिपुरा की सरकारों ने अनेक अवसरों पर केन्द्रीय सरकार के समक्ष वैकल्पिक नीतियां प्रस्तुत की हैं। हमने लोगों में इन वैकल्पिक नीतियों को लोकप्रिय बनाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किये हैं।

(घ) यद्यपि असंगठित श्रमिक अधिकाधिक संख्या में हमारे आंदोलनों में भाग ले रहे हैं तथापि इस क्षेत्र के अभूतपूर्व प्रसार की तुलना में अब भी इन श्रमिकों की आंदोलनों में भागीदारी प्रतीकात्मक बनी हुई है। इस वर्ग का एक बहुत बड़ा भाग भूमण्डलीयकरण की नीतियों से सर्वाधिक पीड़ित हुआ है, वह विशाल स्तर पर आंदोलनों में सम्मिलित होने के लिये आगे नहीं आ रहा। उनमें से अधिकांश श्रमिकों का अभी तक यूनियनकरण नहीं हुआ और वे हमारे प्रचार से अछूते रहे हैं। इस पक्ष की ओर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। यदि श्रमिक वर्ग की इस विशाल श्रेणी को हम आंदोलन में खींच लाते हैं तो हमारे संयुक्त आंदोलन का प्रभाव कई गुणा बढ़ जाएगा।

(ङ) यह देखा एवं अनुभव किया गया है कि आंदोलन में हमारे साथ चलने वाले नेतृत्व का एक भाग संयुक्त आंदोलन द्वारा लिये गए निर्णयों को पूर्णतया कार्यान्वित नहीं करता। कुछ महत्वपूर्ण भाग हमारी राष्ट्रव्यापी कार्रवाईयों से पूर्वत: बाहर रहते हैं जिससे हमारे आंदोलन को और तीव्र करने के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न होती हैं।

(च) हम श्रमिक वर्ग को इस स्थिति की गम्भीरता समझाने एवं इसकी अनुभूति कराने में सफल नहीं हो सके हैं। इसके लिये श्रमिकों की सभी श्रेणियों को भारत सरकार की आर्थिक नीतियों के खतरनाक परिणामों से अवगत कराने तथा उन्हें जागरूक बनाने के लिये एक शक्तिशाली राष्ट्रव्यापी शिक्षा अभियान चलाने की नितान्त आवश्यकता है। तथापि, जहां कहीं भी हमारे श्रमिक संघों ने श्रमिकों की विशाल संख्या में प्रभावशाली अभियान चलाया है, वहां अन्य श्रमिक संघों से सम्बन्धित श्रमिक भी संघर्ष में सम्मिलित हुए हैं और उसकी प्रकृति व्यापक बनी है। हम पहले ही देख चुके हैं कि अखिल भारतीय हड़ताल के हमारे आह्वानों पर अन्य सांगठनिक सम्बद्धताओं वाले

श्रमिकों ने भी भारी संख्या में और भारी उत्साह के साथ भाग लिया है।

(छ) हमने किसानों, खेतिहर श्रमिकों, महिलाओं, छात्रों, तथा युवाओं के संगठन के साथ अपने सम्बन्धों का प्रगाढ़ किया है ताकि श्रमिक वर्ग के संघर्षों को हमारे समाज की इन श्रेणियों के संघर्षों के तुल्य बनाया जा सके। यदि सभी जन संगठन इन लाखों-करोड़ों श्रमजीवी लोगों को हमारे संघर्षों की विशाल कार्रवाईयों में खींच लाने के लिए प्रभावशाली ढंग से काम करते हैं तो उसका प्रभाव उससे कहीं अधिक पड़ेगा जो वर्तमान में पड़ रहा है।

19:8 संयुक्त संघर्षों के एक शस्त्र के रूप में श्रमिक संगठनों के परिसंघ का निर्माण करने सम्बन्धी हमारे प्रयासों को अभी तक अधिक सफलता नहीं मिली है। यद्यपि अन्य संगठनों के विरोध के चलते परिसंघ के गठन का विचार मंद पड़ता जा रहा है। हमने श्रमिक वर्ग की सांगठनिक एकता को सुदृढ़ बनाने की दिशा में अधिक प्रगति नहीं की है।

19:9 कुछ केन्द्रीय श्रमिक संगठनों ने परस्पर विलीनीकरण के लिये प्रयास किये थे, किन्तु वे प्रयास सफल नहीं हो सके। तथापि, इसके चलते श्रमिक संगठनों के तत्कालिक विलीनीकरण की कठिनाईयां उभर कर सामने आ गई हैं। यदि कुछ संगठन अखिल भारतीय स्तर पर अपने संगठनों को सुदृढ़ बनाए बिना परस्पर विलीन हो भी जाते हैं तो इस प्रकार का विलीनीकरण/एकीकरण लम्बे समय तक चल नहीं सकता।

19:10 हमने श्रमिक संगठनों (संघों) की एकता को सुदृढ़ बनाने के लिए कदम उठाने सम्बन्धी सामान्य सहमति बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रव्यापी बहस का आयोजन करने हेतु पहलकदमी की है। जब तक सभी श्रमिक संगठनों के मध्य इस प्रकार के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में सामान्य सहमति नहीं बनाई जाती तब तक इस विचार को कोई ठोस स्वरूप प्रदान नहीं किया जा सकता।

19:11 हमें भूमण्डलीयकरण विरोधी संघर्ष में जहां एक ओर श्रमिक वर्ग की एकता को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से अन्य श्रमिक संगठनों के साथ द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ताएं करनी होंगी वहीं दूसरी ओर श्रमिक वर्ग के भीतर स्वतंत्र रूप से राष्ट्रव्यापी अभियान चला कर उसे समझाना होगा कि केवल मात्र परिसंघ जैसा निकाय ही श्रमिक वर्ग की एकता को सुदृढ़ बना सकता है।

19:12 हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि परिसंघ की अवधारणा एक

अंतरिम सांगठनिक मंच है जो अन्ततोगत्वा देश में एकमात्र राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन केन्द्र का गठन करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। संक्रमण की यह अवधि संघर्षों में विकसित सम्बन्धों पर निर्भर करेगी।

19:13 हमें अन्य संगठनों की पंक्तियों के साथ एकता का निर्माण करने पर विशेष बल देना होगा। सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के कार्यकर्ताओं में एकता के लिए तीव्र उत्कंठा अर्थात् जबरदस्त इच्छा पाई जा रही है। हमें सभी सम्बद्धताओं वाले श्रमिकों की एकता का निर्माण करने के लिए इस अवसर का सदुपयोग करना होगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना होगा और दूसरे संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ नियमित सम्पर्क रखना होगा ताकि उन्हें संयुक्त संघर्षों में लाया जा सके।

19:14 छह लाख कोयला श्रमिकों की 20-22 नम्बर, 2000 तक चली तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल से हम सभी को अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिली हैं। जब चार केन्द्रीय श्रमिक संगठनों अर्थात् इंटक, एटक, एच एम एस तथा बी एम एस ने प्रबंधन के साथ अपमानजनक सहमति प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर कर दिये और सहमति के इस प्रतिवेदन में श्रमिकों के साथ कठोर व्यवहार किया गया था तब सी आइ टी यू ने इस अपमानजनक सहमति प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर नहीं किये, उसने श्रमिकों को समझाया कि हस्ताक्षरित सहमति प्रतिवेदन किस प्रकार और क्यों अपमानजनक प्रकृति का है। जब प्रबंधन ने फिटमैंट चार्ट का परिपत्र जारी किया तब सभी कोयला खदानों के श्रमिकों के मध्य सहमति प्रतिवेदन के विरुद्ध असंतोष की एक लहर चलने लगी। सहमति प्रतिवेदन का विरोध करने के लिये सभी सम्बद्धताओं वाले श्रमिकों की शानदार एकता का निर्माण किया गया और तीन दिवसीय हड़ताल को असाधारण एवं शानदार सफलता मिली। अतीत में पहले कभी भी कोयला उद्योग में इतनी असाधारण एवं जबरदस्त हड़ताल नहीं हुई थी। यद्यपि हड़ताल का आह्वान केवल सी आइ टी यू द्वारा ही किया गया था तथापि सभी सम्बद्धताओं वाले श्रमिकों ने एक साथ मिल कर अपमानजनक एवं अप्रतिष्ठाजनक सहमति प्रतिवेदन के विरुद्ध संघर्ष किया और उनकी इस व्यापक एकता का प्रकटीकरण तृणमूल स्तर पर श्रमिकों की इस कार्रवाई के द्वारा हुआ।

19:15 इस अनुभव और उसके साथ-साथ अतीत में अनेक अवसरों पर प्राप्त हमारे अनुभवों से हमें शिक्षा मिलती है कि यदि हम संयुक्त मोर्चे के समुचित दांवपेच अपनाते हैं तो हम शक्तिशाली वर्गीय एकता का निर्माण कर सकेंगे। सी आइ टी यू की सदस्य संख्या को बढ़ाने के लिये योजनाबद्ध एवं व्यवस्थित ढंग से

काम करना होगा; स्वतंत्र रूप से अभियान एवं संघर्ष चलाने होंगे; इसके साथ ही साथ सभी सम्बद्धताओं के तृणमूल स्तर के श्रमिकों के साथ सम्पर्क स्थापित करने तथा उन तक पहुंचने के लिये निरंतर प्रयास करने होंगे ऐसा करने से ही अन्य श्रमिक संगठनों का नेतृत्व एकता के लिये हमारे अनुरोधों का समुचित एवं वांछित प्रत्युत्तर देगा।

19:16 विभिन्न उद्योगवार संघर्षों के अनुभव से यह तथ्य उभर कर सामने आया है कि हमें श्रमिक वर्ग की एकता का निर्माण करने के लिये अपने सभी प्रयास दोधारी समर नीति (अथवा कार्यनीति) के अन्तर्गत करने होंगे, एक-जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाईयां करने के उद्देश्य से हमें विभिन्न श्रमिकों संघों एवं संगठनों के नेतृत्व के साथ राष्ट्रीय एवं तृणमूल दोनों ही स्तरों पर निरंतर एवं थोड़े-थोड़े अंतराल में बातचीत करते रहना चाहिये, दो—इसके साथ ही साथ सी आइ टी यू द्वारा अखिल भारतीय स्तर से लेकर इकाई स्तर तक स्वतंत्र रूप से अपनी गतिविधियां चलाई जानी चाहियें। सरकार की नीतियों तथा हमलों के विरुद्ध हमारे द्वारा स्वतंत्र रूप से अभियान चलाने, आंदोलन तथा प्रत्यक्ष कार्रवाईयां करने के फलस्वरूप ही संयुक्त कार्रवाईयों के लिये अनुकूल स्थितियां बनाई जा सकेंगी। सभी सम्बद्धताओं वाले श्रमिक निचले स्तर से सभी श्रमिक संगठनों की सभी स्तरों पर एकता के लिये इच्छा उत्पन्न करेंगे तथा उसका संचार करेंगे। इसके फलस्वरूप हमें नेतृत्व के स्तर पर श्रमिक संघों के एक भाग में संघर्ष को जुझारू ऊँचाईयों तक पहुंचाने के प्रश्न पर पाई जाने वाली अनिश्चय एवं हिचकिचाहट की समस्या को दूर करने में भी सहायता मिलेगी।

19:17 साथियो, श्रमिक वर्ग की एकता का निर्माण करने का कार्य वर्तमान में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है और सी आइ टी यू को श्रमिक वर्ग के सभी भागों की एकता स्थापित करने के लिये निर्णायक भूमिका का निर्वहन करना होगा। पिछले तीन वर्षों में हमने जो अनुभव प्राप्त किया है उसका हमारे द्वारा समुचित ढंग से विश्लेषण किया जाना चाहिये ताकि हम आने वाले समय में और अधिक प्रभावशाली ढंग से अपने कार्यों का निष्पादन कर सकें अथवा उन्हें पूरा कर सकें।

19:18 आज हम जो संघर्ष चला रहे हैं, वे मूल रूप से प्रतिरक्षात्मक प्रकृति के हैं। भारत सरकार वे सभी अधिकर छीन लेना चाहती है, जिन्हें हमने संघर्षों प्रलस्वरूप प्राप्त किया था और वह (भारत सरकार) पूंजीपति तथा भूमिपति श्रेणियों के हितों के अनुकूल श्रमिक वर्ग की स्थितियों को कठिन बना रही है। जब तक हमारे संघर्ष की प्रकृति प्रतिरक्षात्मक रहेगी, हम भारत सरकार की नीतियों को

बदलने में सक्षम नहीं हो सकेंगे। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु हमें आक्रमक संघर्ष चलाना होगा जिसके लिये जबरदस्त राजनीतिक एवं सांगठनिक तैयारियां करने की आवश्यकता है। सम्पूर्ण वर्ग की एकता को और व्यापक बनाना होगा; उसमें पर्याप्त मजबूती लानी होगी तभी हम सरकार की नीतियों के विरुद्ध आक्रामक संघर्ष चलाने की स्थिति में आ पाएंगे।

19.19 आगामी संघर्षों में हमें इन्हीं नीतियों से पीड़ित समाज की दूसरी श्रेणियों के लोगों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिये व्यवस्थित ढंग से चेतन प्रयास करने होंगे। जनगण के सक्रिय सहयोग एवं सहायता के बिना हमारे संघर्षों में वह शक्ति कदापि नहीं आ सकती जो उनके लिये आवश्यक है। हमें इन नीतियों के विरुद्ध वर्तमान में जारी अपने ट्रेड यूनियन संघर्षों का सम्पूर्ण जनता के जनवादी जन संघर्षों में परिवर्तित करना होगा। हमारा पिछला अनुभव दर्शाता है कि जब कभी भी हम अपने संघर्षों के लिये जन साधारण का समर्थन प्राप्त कर सके तब-तब हमने बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त कीं। यदि जन साधारण इन संघर्षों में हमारे साथ आ जाता है तो सरकार पर हमारा दबाव कई गुणा बढ़ जाएगा।

20. बी टी आर मेमोरियल

20:1 मुझे आपको सूचित करते हुए भारी हर्ष हो रहा है कि अन्ततः हमने अपने नये भवन—बी टी आर भवन में 7 दिसम्बर, 2000 को उसके उद्घाटन समारोह के पश्चात् 10 दिसम्बर, 2000 को, प्रवेश कर लिया है। सी आइ टी यू के लिये यह भारी गर्व एवं संतोष का विषय है कि हमने श्रमिक शिक्षण एवं शोध संस्थान की स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह भारत में अपने प्रकार का पहला संस्थान होगा। इस संस्थान की स्थापना करना हमारे प्रिय नेता कामरेड बी टी रणदिवे का एक स्वप्न था।

20:2 इसके लिये हमें अपने लाखों-लाख सदस्यों, उनके साथ ही साथ अनेक अन्य श्रमिक संघों के सदस्यों, हमारे शुभ चिंतकों तथा हमसे सहानुभूति रखने वाले लोगों का हार्दिक सहयोग एवं अंशदान भी मिले हैं। इसके बिना श्रमिक आंदोलन के शीर्षस्थ नेताओं में से एक कामरेड बी टी रणदिवे के स्वप्न को साकार करना हमारे लिये कदापि सम्भव नहीं होता।

20:3 तथापि, एक समस्या हमारी इस शानदार उपलब्धि को धुंधली बना हैं वह यह हैं—हमारे द्वारा अभी तक बी टी आर कोष के लिये अपनी प्रतिबद्धताओं अथवा

आश्वासनों को पूरा नहीं किया गया। आप इस बात से सहमत होंगे कि हमारी भावी गतिविधि के कारण हमारा वित्तीय बोझ अत्याधिक बढ़ जाएगा, यदि हम वांछित कोष जुटाने में विफल रहे तो हमारी पूरी की पूरी योजना धरी की धरी रह जाएगी। इसके अतिरिक्त धनाभाव के कारण ठेकेदारों, आर्कीटैक्ट तथा अन्यों का भारी भरकम भुगतान अभी तक नहीं किया जा सका। अब हम अपने नये भवन में चले गए हैं और आने वाले हितों में बिजली, वाहन, रख रखाव तथा अन्य मदों पर होने वाले हमारे खर्चे तत्काल बढ़ जाएंगे। मैं एक बार पुनः आपसे वस्तु स्थिति को समझने का अनुरोध करूँगा। इसलिये यह अनिवार्य रूप से आवश्यक हो जाता है कि हमारी राज्य समितियां इस समस्या को गम्भीरता के साथ लें और अंशदानों सम्बन्धी अपना-अपना कोटा यथाशीघ्र पूरा करें। इस तिथि तक प्राप्त हुए अंशदानों का विवरण तालिका (अनुलग्निका-III) में दिया जा रहा है। मैं आपकी ओर से बैंकिंग, बीमा, राज्य सरकारी कर्मचारी संगठनों और अपने असंख्य शुभचिंतकों एवं सहानुभूति रखने वाले सज्जनों का विशेष रूप से हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने बी टी आर कोष के लिये भारी अंशदान (20 लाख रुपये से अधिक) दिया है।

21. सदस्यता

21:1 भारत सरकार ने पहले ही केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों की सदस्य संख्या के नये सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सभी केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने सत्यापन की इस प्रक्रिया में भाग लेते हुए अपने-अपने दावे प्रस्तुत किये हैं। उनके अनुसार बी एम एस ने अपनी सदस्य संख्या 67,26,669, इंटक ने 61,67,480, एटक ने 38,56,885, एच एम एस ने 36,67,082, सी आइ टी यू ने 28,34,314, यू टी यू सी (एल एस) ने 14,47,484 होने का दावा किया है जबकि अन्यों की सदस्य संख्या उनके दावों के अनुसार दस लाख से नीचे है।

21:2 संलग्न ''अनुलग्निका IV'' में दिये गए वक्तव्य के अनुसार राज्यवार सदस्य संख्या को देखने से पता चलेगा कि हमारी ओर से बार-बार अनुरोध किये जाने पर भी हमारे अनेक श्रमिक संघों ने दावे प्रस्तुत करने के लिये निर्धारित समय के भीतर अपनी वार्षिक विवरणियां तथा सम्बद्धता शुल्क जमा नहीं कराए। उदाहरणार्थ, हम केवल 28,34,314 सदस्य संख्या होने का दावा कर सके हैं जबकि वर्ष 1997 के लिये जारी किये गए वक्तव्य के अनुसार हमारी सदस्य संख्या 31 लाख से अधिक है और यह इस तथ्य के होने पर भी है कि बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा पंजाब ने वर्ष 1997 के लिये कुछ और वार्षिक विवरणियां तथा सम्बद्धता शुल्क

अभी जमा कराए हैं। इसका अर्थ है कि यदि हमारी राज्य समितियों ने इस कार्य को गम्भीरता से लिया होता तो हमारे दावे इससे कहीं अधिक होते। यह हमारी एक दुर्बलता है जिसे यथाशीघ्र दूर करना होगा। सभी विवरणों के साथ ठीक ढंग से भरी गई वार्षिक विवरणियां, सम्बद्धता शुल्क तथा उसके साथ-साथ हमारी पत्रिकाओं के शुल्क प्रत्येक वर्ष निर्धारित समय के भीतर जिसका प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है अर्थात् 30 जून तक अवश्यमेव केंद्र को भेज दिये जाने चाहियें। हमारी राज्य समितियों को इसे सुनिश्चित बनाना होगा। अब क्योंकि केंद्रीय श्रमिक संगठनों की सदस्यता का सत्यापन कार्य पहले ही शुरू हो चुका है, इसलिये हमारी राज्य समितियों को अब तक यह सुनिश्चित बना ही देना चाहिये कि हमारे श्रमिक संघ उस समय अपने-अपने दावों को प्रमाणित करें जब उनसे रिकार्ड मांगा जाए।

22. हमारे तात्कालिक कार्य

22:1 देश में तेजी के साथ बदल रही स्थिति अधिकाधिक हमारे अनुकूल होती चली जा रही है। दिन प्रतिदिन के अनुभवों से श्रमिक वर्ग तथा भारत की जनता को भूमण्डलीयकरण की नीतियों के खतरनाक परिणामों की समझ आने लगी है। राष्ट्रव्यापी हड़तालों की एक नयी लहर अपने उभार पर है, श्रमिक वर्ग तथा श्रमजीवी जनता के लिये जीवन स्थितियां असहनीय बनती चली जा रही हैं। यहां तक कि मध्यम श्रेणी के कर्मचारी भी अपने भीतर पनप रहे असंतोष के कारण संघर्ष के मैदान में कूदने लगे हैं।

22:2 विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अपने प्रभुओं को प्रसन्न करने के लिये एन डी ए सरकार द्वारा इन संघर्षों का बलपूर्वक दमन करने के लिये अपनाए गए कठोर रुख के चलते श्रमिकों में सरकार की नीतियों के विरुद्ध संघर्ष करने के मामले में और अधिक दृढ़ता आ रही है। विद्युत, दूरसंचार, डाकतार, बैंक तथा बीमा कर्मचारियों, कोयला खनिकों, राज्य सरकारी कर्मचारियों के संघर्ष और देश भर में विभिन्न उद्योगों में चल रहे अनेकानेक संघर्ष श्रमिक वर्ग के संघर्षों द्वारा नया मोड़ काटे जाने के विलक्षण संकेत मात्र हैं और श्रमिक सरकार के हमलों तथा दमनकारी कार्रवाईयों का वीरतापूर्वक सामना कर रहे हैं।

22:3 सी आइ टी यू को आगामी संघर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। हमें केवल एकजुटता की कार्रवाईयों के द्वारा ही नहीं अपितु इन संघर्षों का एक भाग बन कर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इस महाधिवेशन की चर्चा से लाभान्वित

होकर हमें इन संघर्षों की योजना बनानी है ताकि हम इन संघर्षों के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम हो सकें।

22:4 सभी स्तरों पर अपनी संगठनात्मक दुर्बलताओं को दूर करने के लिये दृढ़ कदम उठाए बिना इन संघर्षों में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने सम्बन्धी हमारा निर्णय फलपद्र कदापि नहीं होगा। अपनी दुर्बलताओं को दूर करने में दिखाई जा रही उदासीनता अवश्य अविलम्ब समाप्त होनी चाहिये। भुबनेश्वर दस्तावेज पर मात्र रसमी बहस करने तथा उसके तथा कार्यशाला के निष्कर्षों के लिये मौखिक सहानुभूति व्यक्त करने मात्र से ही हम बहुत आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सी आइ टी यू केंद्र को इन निर्णयों के कार्यान्वयन की मानिटरिंग करनी होगी ताकि हम एक समयबद्ध कार्यक्रम बना कर अपने कर्त्तव्यों को पूरा कर सकें। यदि हमने इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई लापरवाही की तो हमें इसका भारी मोल चुकाना पड़ेगा।

22:5 साम्प्रदायिकता तथा श्रमिक वर्ग एवं श्रमजीवी जनता की एकता को भंग करने के लिये साम्प्रदायिक एवं विभाजक शक्तियों के घृणित मनोरथों के विरुद्ध सतत संघर्ष चलाना भी हमारा एक प्रमुख कार्य है। यह संघर्ष निरंतर चलने वाला है और अन्य गतिविधियों के साथ-साथ हमें इस संघर्ष को भी चलाना होगा।

22:6 सामाजिक न्याय को बनाए रखने तथा सामाजिक उत्पीड़न समाप्त करने के लिये अपनी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए जातिवादी शक्तियों द्वारा श्रमिकों की वर्गीय एकता को दी जा रही चुनौती जो बढ़ती ही चली जा रही है, का प्रतिकार करना अत्यावश्यक है।

22:7 हमें असंगठित क्षेत्र में अपने काम की ओर अधिक ध्यान देना होगा और हमारे वर्ग की अत्यंत उपेक्षित श्रेणी के मध्य अपने संगठन को सुदृढ़ बनाना होगा।

22:8 हमें कामकाजी महिलाओं के मोर्चे पर अपने कार्यों को कार्यरूप देना होगा जिनका प्रस्ताव हमारे दस्तावेजों में किया गया है और देखना होगा कि हम इस क्षेत्र में अपनी प्रगति की गति में और तेजी लाएं। देश में बढ़ती चली जा रही बेरोजगारी के दृष्टिगत हम स्वयं को भीषण खतरे में डाल कर ही इस सम्बन्ध में अपने दायित्वों की अनदेखी कर सकते हैं। मौलिक अधिकार के रूप में काम के अधिकार के लिये अपने अभियान को हमें गम्भीरता के साथ लेना और चलाना चाहिये ताकि हम युवाओं को अपने संगठन में लाने के लिये गोलबंद कर सकें और अर्थव्यवस्था में और रोजगारों के सृजन हेतु संघर्ष कर सकें।

22:9 हमें किसान सभा तथा खेतिहर श्रमिक संघ के साथ निकट भ्रातृ सम्बन्धों का

विकास करना चाहिये और सक्रिय किसान-मजदूर गठबंधन का निर्माण करने के लिये उद्यमकारी कदम उठाने चाहियें। केवल समन्वित संघर्षों के द्वारा ही एक ऐसे गठबंधन का निर्माण किया जा सकता है। अखिल भारतीय किसान सभा तथा अखिल भारतीय खेतिहर श्रमिक संघ के साथ हमें अपनी वार्ताओं को निरंतर जारी रखना होगा ताकि कहीं यह गठबंधन मात्र हमारी कल्पना का विषय ही न बन कर रह जाए अपितु एक वास्तविकता बने। महिलाओं, छात्रों तथा युवाओं के संगठनों के साथ हमारे भ्रातृ सम्बन्धों का और अधिक विकास करना होगा ताकि एकजुटता की कार्रवाईयों तथा समन्वय स्थापित करने के अभियानों से प्रत्यक्ष जन कार्रवाईयों के देशव्यापी कार्यक्रमों में मजबूती लाने में सहायता मिल सके।

22:10 कार्यकर्ताओं के विकास एवं निर्माण तथा उनकी शिक्षा को हमारी दैनंदिन गतिविधियों में सभी स्तरों पर और अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिये। अपने नये परिसरों में हमारे पास इन गतिविधियों को चलाने के लिये पर्याप्त आंतरिक ढांचा विद्यमान होगा। हजारों श्रमिकों जो हाल ही के संघर्षों में हमारे समीप आए हैं, को शैक्षणिक गतिविधियों में शामिल किया जाना चाहिये। इस कार्य के निष्पादन हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाना होगा।

22:11 हमें अपनी पत्रिकाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना होगा और उनकी प्रसार संख्या बढ़ानी होगी ताकि हमारे संदेश तथा नीतियां श्रमिक वर्ग की अधिक से अधिक श्रेणियों तक पहुंच सकें तथा वे इनसे जागरूक हों। इन पत्रिकाओं को वित्तीय दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के कार्य पर हमारी गतिविधियों में विशेष बल दिया जाना चाहिये।

22:12 हम पिछले तीन वर्षों में 40 लाख सदस्य संख्या के अपने कोटे को पूरा नहीं कर सके। इस मामले में हमारी विफलता बहुत ही चौंका देने वाली है। आईये, सभी राज्य समितियां तथा उद्योगवार महासंघ उपर्युक्त लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प करें ताकि अगले तीन वर्षों में 40 लाख सदस्य संख्या के अपने लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें।

22:13 भूमण्डलीयकरण के विरुद्ध विश्वव्यापी संघर्षों व्यापक बनाने और अन्तर्राष्ट्रीय समावेशों में हमारी सहभागिता में सुधार लाने के उद्देश्य से हमारे बढ़ रहे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का और अधिक विकास होना चाहिये ताकि ये संघर्ष व्यापक प्रकृति के बन सकें। दक्षेस तथा एशियाई देशों में ट्रेड यूनियन संगठनों के साथ हमारी एकजुटता की कार्रवाईयों पर विशेष बल दिया जाना चाहिये ताकि हम क्षेत्रीय सहयोग के मामले में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकें।

22:14 साथियो, सर्वत्र व्याप्त वर्तमान स्थिति के चलते जहां हमारे लिये असंख्य चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं वहीं हमें एक बहुत बड़ा अवसर भी प्राप्त हुआ है। कोष/बैंक निदेशित आर्थिक नीति के अति उत्साही एवं हताशा भरे पालन से न केवल हमारी आर्थिक प्रभुसत्ता अपितु जनवादी संरचना तथा श्रमिकों एवं जन साधारण के अधिकारों के लिये एक गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है। संघ परिवार द्वारा अपनी साम्प्रदायिक कार्यसूची को अंधाधुंध लागू किये जाने और प्रशासन तथा शिक्षा एवं सामाजिक संस्थानों का भगवाकरण करने सम्बन्धी सरकार के अभियान से समाज के सामाजिक ढांचे और देश एवं जनता की एकता एवं अखण्डता के लिये एक भारी खतरा उभर कर सामने आ गया है।

22:15 दूसरी ओर भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के कुशासन के विरुद्ध तेजी से बढ़ रहा रोष एवं आक्रोश अनेक ढंगों से व्यक्त हो रहा है—जैसे देश भर में चल रहे अनेकानेक क्षेत्रवार संघर्षों के माध्यम से समाज की सभी श्रेणियों में इसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो रही है और सहज स्वाभाविक ढंग से आक्रोश बढ़ रहा है। हमें इन चुनौतियों को स्वीकार करना होगा और जन साधारण में पनप रहे इस असंतोष की सहजस्वाभाविक अभिव्यक्ति को रोष एवं आक्रोश की एक धारा के रूप में परिवर्तित करना होगा तथा जनविरोधी एवं राष्ट्र विरोधी नीतियों के विरुद्ध देशव्यापी जन कार्रवाईयों को संगठित करने के लिये इसे एक अव्रसर के रूप में बदल देना होगा। अत: हमें इस अवसर का सदुपयोग करते हुए सरकार को अपनी विनाशकारी नीतियां बदलने के लिये विवश करने, देश को इस विनाश से बचाने के लिये साम्प्रदायिक, विभाजक तथा तोड़ फोड़ करने वाली अराजक शक्तियों को परास्त करने, आर्थिक एवं सामाजिक हमलों से लोगों की रक्षा करने के लिये पहलकदमियां करनी होंगी।

22:16 इस महाधिवेशन को भारत सरकार की विनाशकारी नीतियों के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी संघर्ष का आह्वान करना चाहिये। आईये, हम देश व्यापी प्रदर्शनों, धरनों इत्यादि का आयोजन करके और श्रमिकों की व्यापकतम श्रेणियों को उनमें सम्मिलित करके केंद्रीय सरकार की नीतियों के दुष्प्रभावों तथा उनकी खतरनाक प्रकृति को उजागर करने के लिए 24 जनवरी, 2001 को राष्ट्रीय विरोध दिवस मनाएं।

22:17 वाम पक्ष के नेतृत्व वाले किसानों एवं खेतिहर श्रमिकों के संगठनों ने 5-7 फरवरी, 2001 को देश भर में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के समक्ष धरने देने के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का आह्वान किया है। सी आइ टी यू ने खेतिहर श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए सर्वसमावेशी कानून बनाने, सरकार द्वारा समुचित समर्थन मूल्य के साथ फसलों (कृषि उत्पादन) की खरीद करने जैसी किसानों एवं खेतिहर श्रमिकों

की न्यायोचित मांगों के प्रति एकजुटता व्यक्त करने के लिए और कृषि उत्पादों के आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंध समाप्त किये जाने के विरोध में 7 फरवरी, 2001 को सभी राज्यों में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। हमें इन एकजुटता कार्यक्रमों का आयोजन जहां तक संभव हो सके व्यापक स्तर पर करना चाहिये जिनमें श्रमिक वर्क की सहभागिता हो ताकि हम प्रत्यक्ष कार्रवाई द्वारा किसान-मजदूर गठबंधन का निर्माण करने की दिशा में तेजी से छलांगें लगाते हुए आगे बढ़ सकें।

22:18 केंद्रीय सरकार का आगामी बजट श्रमिक वर्ग तथा देश की लाखों-लाख श्रमजीवी जनता पर कहर ढाने जा रहा है इसलिये हमें आगामी बजट के विरोध में एक शक्तिशाली अभियान चलाने के लिये तैयार चाहिये ताकि केंद्र में सत्तारुढ़ भाजपा के नेतृत्ववाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक सरकार के बजट प्रस्तावों के विरोध में श्रमिक वर्ग को पूर्णतया लामबंद किया जा सके। हमें पहले से ही इस अभियान की योजना बना लेनी होगी ताकि संसद में केंद्रीय बजट प्रस्तुत होने के तत्काल पश्चात् श्रमिक वर्ग को कार्रवाई करने के लिये मैदान में लाया जा सके।

22:19 राष्ट्रीय जन संगठन मंच (एन पी एम ओ) श्रमिक संघों की अभियान समिति, सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय श्रमिक संघों की समिति (सी पी एस टी यू) देश में श्रमिक वर्ग तथा श्रमजीवी जनता के लिए स्वीकृत मंच बन चुके हैं। यदि उन्हें पूर्णतया सक्रिय कर दिया जाता है तो वे आने वाले समय में जन कार्रवाईयों तथा संघर्षों के लिये पहलकदमियां करने के उद्देश्य से अपनी भूमिका का निर्वहन प्रभावी ढंग से कर सकेंगे।

श्रमिक वर्ग में समाजवादी चेतना का विकास करना

22:20 सी आइ टी यू के श्रमिक संघों तथा कार्यकर्ताओं को अपने दैनंदिन संघर्ष जारी रखते समय श्रमिकों में समाजवादी चेतना का विकास करने की आवश्यकता को कदापि भूलना नहीं चाहिए। जब तक इस दिशा में विशेष प्रयास नहीं किये जाते तब तक हमारे आंदोलन में गुणात्मक परिवर्तन लाया नहीं जा सकता। श्रमिकों को अवश्यमेव शिक्षित करना चाहिये ताकि पूंजीवादी शोषण के विभिन्न रूपों के विरोध में और पूंजीवादी वर्ग की शोषणकारी व्यवस्था को समाप्त करने की दिशा में संघर्ष को आगे बढ़ाया जा सके। पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त किये बिना और समाजवादी व्यवस्था की स्थापना किये बिना श्रमिकों तथा जनसाधारण की कामकाजी एवं जीवन स्थितियों में गुणात्मक परिवर्तन लाया ही नहीं जा सकता। सुधारवादी ट्रेड यूनियन नेतृत्व पूंजीवाद के विरुद्ध चल रहे राजनीतिक संघर्ष से श्रमिक वर्ग को दूर रखने का प्रयास करता है।

22:21 श्रमिकों में वर्गीय जागरूकता अथवा चेतना लाए बिना सभी प्रकार की समाजवादी चेतनाओं का विकास सम्भव हो ही नहीं सकता। तथापि, भारत में पूंजीवादी-भूमिपति (सामंतीं) श्रेणियां श्रमिक वर्ग को वर्गीय दृष्टिकोण से दूर रखने का प्रयास कर रही हैं; वे श्रमिकों में उनकी जातिगत एवं धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिये निरंतर प्रयत्नरत हैं। वे पूंजीवाद के तथाकथित गुणों के बारे में श्रमिकों के भीतर भ्रांतियां उत्पन्न करने का प्रयास भी कर रही हैं। पूर्व सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोपीय देशों में समाजवाद का विखण्डन उनके हाथों में आया एक ऐसा शस्त्र बन गया है जिसका उपयोग वे श्रमिकों के मन में भ्रांतियां उत्पन्न करने के लिये करते हैं।

22:22 इसलिये, प्रतिकूल अथवा विजातीय वर्गीय विचारधारा विरोधी संघर्ष श्रमिकों में समाजवादी चेतना के विकास के लिये संघर्ष का एक अभिन्न अंग चुका है। श्रमिकों में अब भी सुधारवादी, सांप्रदायिक तथा जातिवादी प्रभाव व्यापक स्तर पर व्याप्त हैं। जब तक सी आइ टी यू के साथ सम्बद्ध श्रमिक संघ शैक्षणिक गतिविधियों का निरंतर जारी रहने वाला कार्यक्रम नहीं चलाते तब तक श्रमिकों में समाजवादी चेतना का विकास करने की दिशा में आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता।

22:23 हमें अपने यूनियन कार्यकर्ताओं तथा सदस्यों की शिक्षित करना होगा जिनकी चेतना के स्तर को ऊँचा उठाने की आवश्यकता है ताकि हमारे संगठन तथा आंदोलन की गुणवत्ता बढ़ाई जा सके। सी आइ टी यू केंद्र, राज्य समितियों तथा उद्योगवार महासंघों को यह काम पूरी गंभीरता के साथ पूरी गंभीरता के साथ और प्राथमिकता के आधार पर करना होगा ताकि हम अपने काम में पाई जाने वाली दुर्बलताओं को दूर कर सकें।

22:24 साथियो, मैंने केवल आपके विचारार्थ कुछ कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की है, यह रूपरेखा किसी भी प्रकार से पर्याप्त नहीं है। किन्तु इन कार्यों को पूरा करके हम वर्तमान में चल रहे वर्ग संघर्ष में और अधिक प्रभावी भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम होंगे। आईये, इन चुनौतीपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने के लिये हम पूरी तत्परता के साथ स्वयं को तैयार करें।

हम होंगे कामयाब!
सी आइ टी यू अमर रहे!!
सभी देशों के श्रमिको एक हो जाओ!!!

एम के पंधे
महासचिव

संगठन पर हमारे कार्य

संगठन पर रिपोर्ट, जिसे भुवनेश्वर प्रस्ताव के नाम से अधिक जाना जाता है, सी आई टी यू के संक्षिप्त किंतु चमकदार इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वर्किंग कमेटी ने जून 1993 में भुवनेश्वर में हुई अपनी बैठक में इसे मंजूर किया था। इस दस्तावेज ने सी आई टी यू के संगठन में व्याप्त कमियों तथा कमजोरियों को चिन्हांकित किया था और उनसे छुटकारा पाने के लिए कार्यभार निर्धारित किये थे।

लेकिन सात वर्ष गुजर जाने के बाद भी सामान्यतः इन कार्यभारों पर अमल बाकी है और कमियां तथा कमजोरियां कायम हैं। इस स्थिति के प्रति गंभीर चिंता जताते हुये गाजियाबाद में हुई सी आई टी यू की जनरल काउंसिल बैठक संगठन पर तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित करने का निर्णय लिया था। सी आई टी यू सी आई टी यू सी आई टी यू

13 से 15 मार्च 2000 में यह कार्यशाला बी टी रणदिवे भवन नई दिल्ली में हुई और 18 राज्यों से आये 63 प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया था। इसके समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत आलेख कार्यशाला के लिये कार्यभार में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि कार्यशाला का आयोजन भुवनेश्वर प्रस्ताव में वर्णित कार्यभारों पर अमल की शुरूआत के ठोस कदमों को तय करने के सीमित उददेश्य के लिये किया गया है। इस आलेख में चर्चा के तौर तरीकों की भी व्याख्या की गई थी।

इस कार्यशाला में सांगठनिक समस्याओं के चार प्रमुख पहलुओं पर अलग अलग चर्चा की गई । ये थे :-

1 सदस्यता एवं सांगठनिक ढांचे का विस्तार

2 जनवादी कार्यप्रणाली

3 शिक्षा, कार्यकर्ता प्रशिक्षण एवं वैचारिक काम

4 फैडरेशन की कार्यप्रणांली

कार्यशाला में हिस्सा लेने वाले सभी भागीदारों को चार समूहों में बांटा गया तथा प्रत्येक को चारों में से एक पहलू पर चर्चा करने की जिम्मेदारी दी गई।

कार्यशाला की विस्तृत रिपोर्ट 20-22 अप्रैल 2000 तक कोजीकोड में हुई जनरल काउंसिल की बैठक में प्रस्तुत की गई थी। इस रिपोर्ट पर चर्चा का एक दौर चलाने के बाद जनरल काउंसिल ने सैक्रेटेरियेट से कहा कि वह दस्तावेज को अंतिम रूप प्रदान करें।

जनरल काउंसिल के निर्देशों का पालन करते हुये सैक्रेटेरियेट ने, कार्यशाला के समूह निष्कर्षों तथा उसके बाद की चर्चाओं के आधार पर, उन कदमों को निर्धारण किया है जिन पर चलकर भुवनेश्वर दस्तावेज पर अमल की प्रक्रिया फिर से शुरू करने या गति देने का काम किया जा सके। इन कदमों को, समूह चर्चा हेतु प्रस्तुत संदर्भ आलेख में दिए गए संदर्भों के साथ समझना अधिक आसान होगा। उन संदर्भ आलेख का सार निम्नानुसार है:-

केंद्र की जिम्मेदारी एवं कार्यभार

कार्यशाला के संबंध में जनरल काउंसिल कोजीकोड बैठक में प्रस्तुत रिपोर्ट में आत्मालोचनात्मक रूप से नोट किया गया था कि सी आइ टी यू सेंटर द्वारा कार्यशाला के समक्ष अपनी कार्यप्रणाली की आत्मालोचनात्मक समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफलता इस कार्यशाला की एक बड़ी कमजोरी थी। खासतौर से उसे भुवनेश्वर प्रस्ताव में उसके लिये निर्धारित किये गये कार्यभारों के अमल में हुई चूकों को जायजा तो लेना ही चाहिये था। यह स्वीकार किया जाना चाहिये कि ऐसी समीक्षा रिपोर्ट कार्यशाला में हुइ बहस को और प्रोत्साहन तो देती ही उसमें हिस्सा ले रहे प्रतिनिधियों के लिये भी एक आदर्श प्रस्तुत करती। इसी आधार पर मौजूदा दस्तावेज के शुरू में ही सी आई टी यू सेंटर की कार्यप्रणाली की संक्षिप्त आत्मालोचनात्मक समीक्षा रिपोर्ट जोड़ना उचित होगा।

संगठन संबंधी रिपोर्ट में उचित ही कही गया था कि हमारे सांगठनिक ढांचे में सुधार का कोई भी उपाय खुद केन्द्र से शुरू होना चाहिये क्योंकि यह केद्र ही है जिस पर प्राथमिक रूप से समूचे संगठन की पूरी समीक्षा की जिम्मेदारी है। रिपोर्ट में भी अखिल भारतीय केन्द्र की कार्यप्रणाली को सबसे पहले लिया गया है। किंतु सी आई टी यू केन्द्र की कार्यप्रणाली की आलोचनात्मक समीक्षा रिपोर्ट कार्यशाला के लिए प्रस्तुत जानकारी में से गायब थी। इसके चलते कार्यशाला जो योगदान दे सकती थी वह भी प्रभावित हुआ। केन्द्र के कामकाज की संक्षिप्त समीक्षा निम्न प्रकार

से है :-

हमारे तात्कालिक कार्यभार शीर्षक वाले हिस्से में वर्णित केन्द्र के लिये निर्धारित कार्यभार इस प्रकार हैं :-

अ) केन्द्र की सामूहिक कार्यप्रणाली को मजबूत किया जाये ताकि टीम वर्क में सुधार किया जा सके। इसमे जानकारियों व सूचनाओं का आदान प्रदान, सामूहिक विचार विमर्श एवं निर्णय लेने में सामूहिकता का पालन, सैक्रेटेरियट सदस्यों के कामकाज की जांच परख सहित निर्णयों पर अमल की देखरेख, भी शामिल है। दस्तावेज में निर्धारित कार्यभारों पर अमल की नियमित अंतराल पर समीक्षा की जाये।

ब) कुछ वरिष्ठ साथियों को केन्द्र पर लाया जाये।

स) हर तिमाही में संगठन की समीक्षा के लिये सैक्रेटेरियट दो दिन की पूर्ण बैठक करे ताकि कमजोरियों से उबरने के लिये आवश्यक कदम उठाये जा सकें। सैक्रेटेरियट द्वारा किए गए कामकाज की रिपोर्ट नियमित रूप से जनरल काउंसिल एवं वर्किंग कमेटी की बैठकों में रखी जाये।

द) संबंधित राज्य समितियों के साथ चर्चा कर प्राथमिकता के क्षेत्रों में विस्तार तथा इन प्राथमिकता के क्षेत्रों बहुराष्ट्रीय कंपनियों एवं इजारेदार घरानों के स्वामित्व वाले उद्योगों में संगठन को मजबूत बनाने तथा प्राथमिकता के आधार पर कार्यकर्ताओं की तैनाती के लिये सुव्यवस्थित विकास योजना बनाना।

ई) योग्य कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपने सहित कार्यकर्ताओं को उपयुक्त काम सौंपना।

फ) मजदूर वर्ग को वैचारिक रूप से ढालने पर अधिक ध्यान देते हुये, ऐसी सामग्री तैयार करना जिसकी सहायता से गलत विचारधाराओं का समुचित खण्डन किया जा सके। समाजवादी चेतना के विकास हेतु सुव्यवस्थित प्रयास करना।

केन्द्र को यह स्वीकार करना होगा कि उसके लिये निर्धारित कार्यभारों पर अमल में आमतौर से उससे चूक हुई है। कुछ वरिष्ठ और कारगर साथियों ने केन्द्र से काम करना शुरू किया है। निस्संदेह इस बीच हम का0 विमल रणदिवे सहित कई वरिष्ठ साथियों की सेवाओं से वंचित भी हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि नये साथियों ने अपने को सौंपे गये कामों को अंजाम देने में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनो हिसाब से काफी सुधार दिखाया है। इस संदर्भ में विशेष तौर से हमारे मुखपत्रों का उल्लेख किया जाना चाहिये। लेकिन जैसा कि दस्तावेज में कहा गया है कुल जमा

व्यक्तिगत काम, सामूहिक कार्यप्रणाली की प्रभावी रूप से सुनिश्चित नहीं कर सकता। इसलिये यह अत्यावश्यक है कि केन्द्र से काम करने वाले सैक्रेटेरियट सदस्य इस संबंध में अधिक सतर्कता बरतें।

सामूहिक कार्यप्रणाली एवं टीम भावना के विकास के काम में कुछ शुरूआती सुधार के बाद काफी गिरावट आई है। उपलब्ध सैक्रेटेरियट की दैनिक बैठकें सूचनाओं के आदान प्रदान का कारगर तरीका है। शुरूआती दिनों में ये बैठकें कमोबेश नियमित थीं किंतु आज इन बैठकों की संख्या और नियमितता में खासी कमी आई है। नतीजे में जानकारियों के आदान प्रदान के मामले में जबर्दस्त गिरावट है। इस तरह व्यक्तिगत कार्यशैली या हद से हद कुछ मामलों ग्रुप कार्यशैली मुख्य लक्षण बन गई है।

कार्य विभाजन कई बार किया गया मगर दिये जाने वाले काम के निर्धारण का आधार, व्यक्तिगत साथी के काम की समीक्षा या केन्द्र के पूरे कामकाज की समीक्षा शायद ही कभी रहा। प्रत्येक पदाधिकारी द्वारा किये जाने वाले काम की नियमित जांच परख की कोई व्यवस्था ही नहीं है।

अपनी खुद की कार्यशैली में इस कमजोरी वाले केन्द्र से यह अपेक्षा करना मुश्किल है कि वह समूचे संगठन के संबंध में खुद को सौंपे गये कामकाज को पूरा कर सकेगा। केन्द्र की एक बड़ी विफलता, यूनियनों व फैडरेशनों सहित विभिन्न स्तरों पर भुवनेश्वर दस्तावेज के अमल की जांच परख करने में असफल रहना रही। केन्द्र सभी स्तरों पर जारी गतिविधियों की समीक्षा करने में भी विफल रहा। केन्द्र की यह असफलता एक हद तक विभिन्न कार्यभारों को पूरा करने में राज्य, जिला, फैडरेशनों तथा यूनियनों द्वारा दिखाई गई असफलता के लिये एक हद तक केन्द्र की यह असफलता भी जिम्मेदार है।

प्राथमिकता के क्षेत्रों का निर्धारण कर संबंधित राज्य समितियों से चर्चा करने के बाद उनमें विस्तार तथा विकास की सुनियोजित योजनायें बनवाने के काम में तो केन्द्र पूरी तरह से विफल रहा। इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ पदाधिकारी कुछ राज्यों को उनके काम काज के विस्तार की योजनायें बनवाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन यहां भी खुद उनकी व्यक्तिगत पहल ही है पूरे केन्द्र की पहल नहीं।

सिर्फ हिंदी भाषी क्षेत्रों के बारे में उन इलाकों के नेताओं की कई बैठकों का आयोजन किया जा सका। लेकिन इन बैठकों का उपयोग इन इलाकों में काम को मजबूत बनाने के लिये (कम से कम जितना जरूरी था उतना) नहीं किया जा सका। हिंदी भाषी क्षेत्रों के नेतृत्वकारी कार्यकर्ताओं के लिए एक ट्रेड यूनियन क्लास का

आयोजन किया जा सका।

शिक्षा एवं प्रशिक्षण के काम को अंजाम देने तथा कार्यकर्ता विकास की एक नियमित व्यवस्था लागू करने में केन्द्र प्रमुख रूप से विफल रहा। पाठ्यक्रम में शमिल विषयों पर लैक्चर नोट्स तैयार करने की विफलता हेतु केन्द्र की बार बार आलोचना भी हुई। केन्द्र स्तर पर सामूहिक कार्यप्रणाली, सामूहिक जिम्मेदारी और सामूहिकता की भावना को न विकसित कर पाना इन सभी विफलताओं की जड़ है। दस्तावेज में बिल्कुल ठीक कहा गया था कि कुल मिलाकर सी आई टी यू केन्द्र की कार्यप्रणाली मुख्यतः महासचिव की समन्वयकर्ता के रूप में निबाही गई भूमिका पर निर्भर करती है। उसके द्वारा समुचित देखभाल न की गई तो केन्द्र पर कार्यरत साथियों के कठिन परिश्रम के बावजूद काम को नुक्सान उठाना पड़ सकता है तथा प्राथमिकताओं पर जोर गायब हो सकता है। सैक्रेटेरियट की सामूहिक कार्यप्रणाली काफी हद तक महासचिव की जिम्मेदारी है। लेकिन चूंकि वे तमाम तरह की जिम्मेदारियों के भारी बोझ को ढो रहे हैं इसलिए उनके लिये यह संभव नहीं हुआ कि वे भुवनेश्वर दस्तावेजों में वर्णित इस सबसे महत्वपूर्ण भूमिका के साथ समुचित न्याय कर सकें। इसी का प्रतिबिंब हमे आवश्यक रूप से सी आई टी यू केन्द्र की कार्यप्रणाली और उस केसाथ कुल मिलाकर समूची सी आई टी यू की कार्यप्रणाली में दिखाई देता है।

बहरहाल, उपरोक्त विवरण के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना बिल्कुल गलत होगा कि केन्द्र ने सिर्फ गलतियां और चूंकें ही की हैं। केन्द्र ने कितना जबर्दस्त काम किया है यह दस्तावेज के भाग 4 में पैरा 4.3 से 4.3.23 में वर्णित कामों की सूची से अच्छी तरह से देखा जा सकता है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के विरूद्ध संघर्षो की लगातार मजबूती आमतौर से सी आइ टी यू तथा खासतौर से सी आइ टी यू केन्द्र द्वारा निबाही गई भूमिका की वजह से ही है। इस महान जिहाद में सी आइ टी यू द्वारा सबसे बढ़कर दिये जा रहे योगदान पर आज किसी कोई संदेह नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि केन्द्र एक बड़े भारी बोझ के तले दबा हुआ है। लेकिन यह सवाल सिर्फ बोझ का नहीं है : सवाल रूख का भी है। कार्यपद्धति में तार्किक बदलाव और अधिक बोझ उठाने की शक्ति भी प्रदान कर सकता है।

राज्य समितियां

राज्य समितियों के सांगठनिक कार्यभारों के संबंध में चर्चा करते हुये संगठन

पर रिपोर्ट के दस्तावेज ने राज्य समितियों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिये कुछ विशिष्ट क़दम सुझाये थे :-

1- सबसे पहले रिपोर्ट की रोशनी में राज्य में सी आई टी यू के विभिन्न अंगों की कार्यशैली की आत्मालोचनात्मक समीक्षा तैयार करना तथा उसके आधार राज्य एवं जिला समितियों में चर्चा कर सुधार की प्रक्रिया तय करना।

2- यूनियनों द्वारा किये गये संघर्षो की समीक्षा कर उन्हें प्रदेश भर में पहुंचाना।

3- कोटे का निर्धारण कर सी आई टी यू की सदस्यता में वृद्धि के लिये प्रदेश व्यापी अभियान छेड़ना।

4- उद्योग आधारित समन्वय को मजबूत करना और हर स्तर पर ट्रेड यूनियन जनवाद को लागू करने के कदम उठाना।

5- जिला समितियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना तथा उन्हें ठोस कार्यभार देना।

इसके अलावा दस्तावेज ने राज्य समितियों की कार्यपद्धति के लिये कुछ मानक निर्धारित किये थे :-

1 सामान्यत: वर्ष भर में 3-4 बैठकें तथा निश्चित अंतराल पर गतिविधियों की समीक्षा

2 बैठकों से पूर्व पर्याप्त तैयारी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैठकों में सिर्फ रिपोर्टिंग ही नहीं हो अपितु उनमें नीतिगत विषयों पर भी विस्तृत चर्चा हो।

3 कमेटी द्वारा किये गये काम की समुचित जांच परख ।

4 गलत विचारों व नीतियों के खिलाफ सुव्यवस्थित संघर्ष ।

5 संगठन को और मजबूत करने के कार्यभार पर आवश्यक जोर देना।

6 बैठकों में उपस्थिति में सुधार करना।

7 महासचिव द्वारा लिखित रिपोर्ट की प्रस्तुति।

8 विभिन्न उद्योगों में सी आइ टी यू की हालत में सुधार पर चर्चा।

समुचित कार्य विभाजन एवं जांच परख, के साथ राज्य सैक्रेटेरियेट की कारगर कार्यप्रणाली सुनिश्चित करना जो सामूहिक नेतृत्व की कुंजी है।

रिपोर्ट में वर्णित कार्यभारों को लागू करने के लिये कुछ राज्यों में कुछ आरंभिक कदम उठाये गये। कुछ राज्यों में समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गयी तथा राज्य एवं जिला स्तर पर भी उस पर चर्चा हुई। कुछ मामलों में बैठकों की बारम्बारता बढ़ी है। बैठकों की उपस्थिति में सुधार आया है। राज्य समिति के समक्ष महासचिव की रिपोर्ट लिखित में रखना प्रचलन में आया है। एक वाक्य में कहें तो संगठन को मजबूत करने के प्रति विकसित हुई उनकी जागरूकता के परिणामस्वरूप कार्य प्रणाली में भी कुछ सुधार आये हैं। किंतु सभी मामलों में हासिल किए गए मामूली से सुधार को भी बनाए रख पाना संभव नहीं हुआ और कार्य प्रणाली आम तौर से फिर अपनी पुरानी स्थिति में लौटकर आ गयी।

राज्य केन्द्रों की कारगर कार्य प्रणाली विकसित करने में अधिकांश राज्यों की विफलता नोट की गयी है। सबसे चिंताजनक तो यह है कि राज्य नेतृत्व के कई साथियों में एक मजबूत एवं सक्रिय राज्य केन्द्र की आवश्यकता का अहसास तक नहीं है। इसी के चलते जिला केन्द्रों से काम करने वाले नेतृत्व को एक कारगर जिला स्तरीय टीम के रूप में विकसित करने के काम में भी विफलता ही सामने आई है।

सदस्यता एवं संगठन का विस्तार

भुवनेश्वर दस्तावेज ने सदस्यता के साथ साथ क्षेत्र एवं उद्योगों के हिसाब से विस्तार के कार्यभार को विशेष महत्व प्रदान किया था।

हालांकि कुल मिलाकर सदस्यता में कुछ वृद्धि हुई है फिर भी कई राज्यों में सदस्यता में 1995 की तुलना में कमी आई है। मार्च 2000 तक केन्द्र के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार गिरावट या कमी 22000 से लेकर 1000 तक की है। स्वाभाविक है कि कुछ राज्यों ने अपनी सदस्यता बढ़ाई भी है, इसी की वजह से कुल मिलाकर वृद्धि की स्थिति पर पहुंचा जा सका है।

तेजी से बढ़ती औद्योगिक बीमारी, बंदी, श्रम शक्ति में जबर्दस्त कटौतियां सदस्यता में आई गिरावट का एक कारण हैं, मगर सिर्फ इसी के आधार पर कई राज्यों में आई कमी की व्याख्या नहीं की जा सकती। ज्यादातर मामलों में सदस्यता में आई कमी के लिये हमारी गलत कार्यप्रणाली ही उत्तरदायी है।

एक परिचित और जाने पहचाने दायरे तक अपने आंदोलन और गतिविधियों को संकुचित रखने तथा उससे आगे जाने के प्रति हिचकिचाहट यहां तक कि प्रतिरोध दिखाने का एक घातक रुझान हमारी कार्यशैली में विकसित हो गया है जो

विस्तार के रास्ते में एक बड़ा अवरोध है।

सी आइ टी यू की सदस्यता का ब्यौरा विभिन्न उद्योगों एवं सेवाओं के विभिन्न क्षेत्रों में जबर्दस्त असमानता प्रदर्शित करता है। कई राज्यों में संगठित एवं आधुनिक उद्योगों में हमारी उपस्थिति बेहद मामूली है, कुछ मामलों में तो यह एकदम शून्य है। कुछ राज्यों में तो रणनीतिक उद्योगों को अपनी सांगठनिक योजना के दायरे से ही बाहर छोड़ देने की प्रवृत्ति है।

दूसरी, विशेषकर कमजोर राज्यों में, समुचित संख्या में प्रशिक्षित कार्यकर्त्ताओं के अभाव के चलते हम असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के विराट हिस्से तक पहुंच ही नहीं पाये है।

कुल मिलाकर पूरा वर्ष भर सदस्यता अभियान चलाने तथा हर ट्रेड यूनियन कार्यवाही व आंदोलन के बाद सदस्यता भर्ती की मुहिम छेड़ने की अत्यावश्यक जरूरत को महसूस करने की कमी गंभीर कमजोरी बनी हुई।

हमें (1) संगठित क्षेत्र में बढ़त लेने (2) राज्य में अब तक अछूते पड़े क्षेत्रों तक पहुंचने (3) असंगठित क्षेत्र में अपने काम को ठोस रूप से व्यवसाय/ धंधे / उद्योग आधारित संगठनों के रूप में ढालने (4) राज्य, केंद्र तथा अन्य नेतृत्वकारी निकायों के बीच समन्वय तथा सांगठनिक तकनीक को विकसित करने के ठोस प्रबंध करने के काम लक्ष्यबद्ध करने होंगे।

केंद्र व राज्य समितियों के बीच चर्चा के बाद प्राथमिकता के आधार पर नए क्षेत्रों एवं उद्योगों में विस्तार की सुव्यवस्थित योजनायें बनाने के काम में पूरी तरह चूक हुई है।

हिंदी भाषी राज्यों के कामकाज में सुधार के कुछ कदम केंद्र ने उठाये हैं। किंतु आवश्यकता और अधिक की है।

कामकाजी महिलाओं की भर्ती एवं उन्हें सही तरीके से संगठित करने के काम पर भी अभी समुचित ध्यान दिया जाना शेष है।

जनवादी कार्यप्रणाली

भुवनेश्वर दस्तावेज ने सी आइ टी यू में हर स्तर पर जनवादी कार्यप्रणाली को सभी तरह से लागू करने पर काफी जोर दिया था। जनवादी कार्यप्रणाली हमारे सांगठनिक कार्यभारों का केंद्र बिंदू है।

जनवादी कार्यप्रणाली पर चल कर ही कोई भी ट्रेड यूनियन अपना विकास

कर सकती है, यही वो पद्धति है जिसके माध्यम से नेतृत्व एवं जमीनी स्तर पर पहलकदमियों को खोला जा सकता है तथा हर स्तर पर संगठन के विस्तार व सुदृढ़ीकरण की स्थितियां तैयार की जा सकती हैं।

दूसरा पहलू सैक्रेटेरियेट से लेकर यूनियन की कार्य कारिणियों तक सी आई टी यू के सभी अंगों की जनवादी कार्यप्रणाली का है। सामूहिक कार्यप्रणाली जनवादी कार्य प्रणाली की बुनियादी धारणा है। सामूहिक कार्य प्रणाली पर अमल की जितनी आवश्यकता है उतना अमल शायद ही किसी स्तर पर होता है।

अ) दो तरफा संवाद, जिसमें मजदूरों पर समुचित ध्यान दिया जाये,

ब) सभी की भागीदारी सुनिश्चित कराते हुये नियमित रूप से युनियनों के सम्मेलन तथा

स) केन्द्र, राज्य समितियों और सभी उच्च समितियों में किस तरह के परिवर्तन जरूरी हैं इस पर विचार हेतु ठोस कदम निर्धारित किये जाने की आवश्यकता है।

साम्राज्यवाद एवं शासक वर्गों के द्वारा किए जा रहे शक्तिशाली वैचारिक आक्रमण के मुकाबले सघन एवं गहन संवाद की जरूरत अत्यावश्यक महत्व की है।

हमें विभिन्न स्तरों पर विकसित हुई अपनी उन सांगठनिक आदतों का आंतरिक अवलोकन जरूर करना चाहिये जो हमारी कार्यप्रणाली के जनवादीकरण के बीच आ खड़ी हुई हैं।

ट्रेड यूनियन शिक्षा, कार्यकर्ता प्रशिक्षण एवं वैचारिक कार्य

हम ट्रेड यूनियन शिक्षा एवं कार्यकर्ता प्रशिक्षण की एक प्रणाली विकसित करने में विफल रहे हैं। हमें एक समुचित प्रणाली को विकसित करने के लिये आवश्यक कदमों पर विचार करना होगा।

समाजवादी परिप्रेक्ष्य के साथ काम करने वाली ट्रेड यूनियन के लिये वैचारिक कार्य का महत्व तो हमेशा ही है। किंतु जब साम्राज्यवाद और शोषक वर्गो ने एक ताकतवर वैचारिक आक्रमण छेड़ रखा हो तब इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। सांप्रदायिक ,जातिवाद एवं क्षेत्रवाद के आधार पर विघटन की कोशिशों का मुकाबला वैचारिक एवं अन्य तरीकों से ही किया जा सकता है। इस मामले में हमारा योगदान कोई बहुत उल्लेखनीय नहीं है।

उद्योगवार फैडरेशनें

श्रम शक्ति के लिहाज से हमारी फैडरेशनों की सदस्यता असंतोषजनक, कई मामलों में तो बिल्कुल नाकाफी और प्रभावहीन है। हाल के वर्षो में कुछ मामलों में ठहराव तथा कुद में गिरावट भी है।

अधिकतर मामलों में सदस्यता भर्ती का काम स्वत: स्फूर्तता पर टिका हुआ है। भरती और नये क्षेत्रों में विस्तार के प्रश्नों पर योजना आमतौर से अनुपस्थित है।

कई उद्योगों में सी आइ टी यू का प्रभाव एवं महत्व बिना किसी संदेह के पर्याप्त है इसकी अभिव्यक्ति सांगठनिक शक्ति में नहीं होती।

पूरे वर्ष भर सदस्यता चलाने की कोई योजना नहीं है। हमारी दो फैडरेशनें व्यावहारिक रूप में निष्क्रिय पड़ी हैं। अधिकांश फैडरेशनों को अपने अपने उद्योगों के मजदूरों के अखिल भारतीय मंचों के रूप में काम शुरू करना बाकी है। कोयला, स्टील, नौ परिवहन और आंगनबाड़ी को छोड़ किसी भी उद्योग के समूचे मजदूर वर्ग की मांगों को लेकर कोई अखिल भारतीय आंदोलन विकसित नहीं किया जा सका है।

इन कमजोरियों का मुख्य स्रोत शीर्ष स्तर की नेतृत्वकारी टीम की अनियमित और अपर्याप्त कार्य पद्धति है। कई मामलों में बैठकें अनियमित रूप से होती हैं, तमाम मामलों में उपस्थिति भी असंतोषजनक है। सुसंगत रूप में नियमित रूप से संपर्क में रहने वाली एक नेतृत्वकारी टीम को विकसित करने का काम अभी बाकी है। कुछ नेतृत्वकारी साथी अपनी अन्य व्यस्तताओं की वजह से फैडरेशन के काम काज हेतु समय निकालने में अपनी असमर्थता जता देते हैं।

कई उद्योगों में सी आइ टी यू यूनियनों ने समझौता बैठकों में शामिल होने का दर्जा अर्जित कर लिया है। किंतु परेशान करने वाला तथ्य यह है कि कुछ उद्योगों में शीर्ष स्तर की समझौता समितियों में हमारे शामिल होने के बाद हमारी सक्रियता की गति बढ़ने की बजाय जन कार्रवाईयों में गिरावट देखी गई है।

हमारी कुछ फैडरेशनों ने अपने उद्योगों में संयुक्त आंदोलन का विकास करने में निर्णायक भूमिका निबाही है। इस मशक्कत को और तेज करने तथा अन्य फैडरेशनों द्वारा भी इस दिशा में गंभीर प्रयास करने की जरूरत है।

हमारी फैडरेशन की कार्य पद्धति में एक बुनियादी कमजोरी कार्यकर्ताओं व श्रमिकों के प्रशिक्षण तथा उनके सांगठनिक कौशल व चेतना के स्तर में विकास हेतु पहल की कमी है।

फैडरेशन के नेतृत्व को आम ट्रेड यूनियन मुद्दों के साथ साथ उद्योगों के विशिष्ट मुददों, उन्हें आम नीतियों से जोड़ने के प्रश्नों को भी पाठ्यक्रम में जगह देनी चाहिये तथा इस हेतु शैक्षणिक सामग्री तैयार करनी चाहिये।

फैडरेशनों तथा राज्य समितियों के बीच समन्वय बेहतर बनाने की अत्यावश्यकता है।

तात्कालिक कार्यभार

विभिन्न समूहों के निष्कर्षो, सिफारिशों तथा बाद में हुई चर्चाओं के आधार पर सी आइ टी यू सैक्रेटेरियेट ने निम्नानुसार तात्कालिक कार्यभारों का निर्धारण किया है: राज्य समितियों और फैडरेशन केन्द्रों से चर्चा करके इन तात्कालिक कार्यभारों पर अमल हेतु अपनी समितियों की विशेष बैठकें और बेहतर हो कि कार्यशालाओं का आयोजन किये जाएं। यह प्रक्रिया सी आई टी यू के 10वें सम्मेलन से पहले पूरी कर लेने की कोशिश की जाये।

केन्द्र के लिये कार्यभार

1. भुवनेश्वर दस्तावेज को समूचे सी आइ टी यू संगठन पर अमल में लाने में केन्द्र की जिम्मेदारियों पर पूर्ण रूप से विचार किया जाये।
2. समन्वयकर्ता एवं टीम के नेता के रूप में महासचिव की भूमिका, केन्द्र तथा केंद्र पर उपलब्ध साथियों के कामकाज की समुचित जांच परख के साथ सामूहिक कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिये दैनिक बैठकों , जानकारियों व विचारों के नियमित आदान प्रदान को पुन: शुरू किया जाये।
3. संबंधित राज्य समितियों से विचार विमर्श के साथ विकास एवं विस्तार हेतु प्राथमिकता के क्षेत्रों की पहचान का काम किया जाये। शुरूआत में इस हेतु एक या दो राज्यों को चुना जाये।
4. इसी तरह विशेष ध्यान देने के लिये एक या दो हिंदी भाषी राज्यों का चुनाव किया जाये।
5. आवश्यक हो तो शिक्षा उपसमिति का पुनर्गठन किया जाये। पाठ्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया जाये तथा लैक्चर नोट तैयार करने का काम 10वें सम्मेलन के पूर्व पूरा कर लिया जाये। सम्मेलन के टीक बाद शिक्षा के काम को संगठित करने की योजना भी बना ली जाये।

6. सांगठनिक कार्यभारों पर अमल की नियमित देखरेख के लिये समुचित प्रणाली विकसित की जाये।

राज्यों के लिये कार्यभार

1. तमाम राज्य समितियों ने अभी तक संगठन रिपोर्ट के आधार पर अपनी समीक्षा रिपोर्टे तैयार कर दस्तावेज में वर्णित कदमों को अमल में लाये जाने के लिए चर्चा करने का काम पूरा नहीं किया है। ऐसी समस्त राज्य समितियां तत्काल इस काम को संपन्न करें।
2. जो समितियां चर्चा करके शुरूआती कदम उठा चुकी हैं वे भी केन्द्र के साथ परामर्श करके समीक्षा बैठकों या कार्यशाला का आयोजन करें तथा उसमें मौजूदा स्थिति का जायजा लेते हुए शेष समस्त सांगठनिक कार्यभारों को क्रमिक रूप से लागू करने के कदम निर्धारित किये जायें।
3. केवल कुछ विकसित राज्यों में ही सक्षम एवं कार्यशील राज्य केन्द्र हैं। बिना सक्रिय राज्य केन्द्र के राज्य में कार्यशैली और संगठन में कोई सुधार हो पाना संभव नहीं है। जिन राज्यों में सक्षम राज्य केन्द्र नहीं हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम ऐसे राज्य केन्द्रों को स्थापित करने का होना चाहिये।
4. राज्य स्तरीय कार्यशालाओं के माध्यम से विस्तार के लिये प्राथमिकता के क्षेत्रों उद्योगों की पहचान का काम किया जाना चाहिये वहीं राज्य स्तरीय तथा बड़ी यूनियनों द्वारा किये गये आंदोलनों व अभियानों की समीक्षा उसके बाद की विस्तारित राज्य समिति बैठकों में किया जाना चाहिये।
5. वार्षिक विवरणों तथा संबंद्धता शुल्क को समय पर जमा कराने का काम भी राज्य समितियों को अपनी नियमित प्राथमिकता के कामों में शामिल करना चाहिये।

फैडरेशनों के लिये कार्यभार

1. फैडरेशनों को भी सदस्यता विस्तार तथा नये क्षेत्रों व एकता की स्थिति में विस्तार की योजनाओं का निर्धारण करने के लिये कार्य शालाओं का आयोजन करना चाहिये।
2. फैडरेशन की समितियों व उसके केंद्र की बेहतर कार्य प्रणाली सुनिश्चित करना चाहिये।

3. राज्य समितियों के साथ समन्वय की समुचित प्रणाली विकसित करनी चाहिये ताकि राज्य स्तरीय गतिविधियों एवं संगठन के विकास हेतु संयुक्त रूप से प्रयास किये जा सकें।

जनवादी कार्य प्रणाली के बारे में कार्यभार

1. केन्द्र के लिये निर्धारित कार्यभारों की सूची ऊपर दी जा चुकी है।
2. जैसी कि पिछले दस्तावेजों तथा कार्यशाला में चर्चा की जा चुकी है, जनवादी कार्यप्रणाली का एक बड़ा पहलू आम सदस्यों एवं साधारण मजदूरों की भागीदारी है। निश्चित ही इस समस्या पर राज्य एवं फैडरेशन स्तरीय कार्यशालाओं में भी विचार किया जायेगा। इस और शुरूआत करने के लिये तत्काल कुछ बड़ी यूनियनों / उद्योगों को आधार बनाकर आरंभिक परियोजना (पायलट प्रोजेक्ट) बनाने का काम हाथ में लेना चाहिये। राज्य समितियों एव फैडरेशन नेतृत्व के बीच बेहतर गठबंधन इस संबंध में सहायक होगा।
3. सभी यूनियन अपने अपने संविधानों में वर्णित अंतराल के अनुसार अपने सम्मेलनों का आयोजन नियमित आदत का हिस्सा बनायें। जहां किसी भिन्न निश्चित अंतराल का प्रावधान नहीं है वे यूनियनें भी प्रत्येक अखिल भारतीय सम्मेलन से पूर्व अपने सम्मेलनों का आयोजन करें। राज्य समितियां इसे सुनिश्चित करें तथा फैडरेशनें भी इस संबंध में सहयोग प्रदान करें।
4. राज्य समिति की नियमित बैठकें (कम से कम प्रति दो माह में एक बैठक) तथा सचिव मंडल बैठकों की बारंबारता में वृद्धि सुनिश्चित की जाये। फैडरेशन की कमेटियों की भी नियमित बैठकें सुनिश्चित की जायें। दस्तावेज के निर्देशों के अनुरूप इन सभी बैठकों में लिखित रूप में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये।

कामकाजी महिलाओं के संबंध में कार्यभार

1. सभी राज्य समितियां प्राथमिकता के उन क्षेत्रों / उद्योगों की पहचान करें जहां बड़ी संख्या में कामकाजी महिलाएं काम करती हैं।
2. कामकाजी महिलाओं के बीच काम करने के लिये राज्य स्तर पर तथा जहां संभव हो वहां जिला स्तर पर कार्यकर्त्ताओं, बेहतर हो कि महिला कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जाये। राज्य केन्द्र से काम करने वाले किसी पदाधिकारी को इस कार्य का जिम्मा सौंपा जाये।

3. राज्य समितियां निश्चित अंतराल के बाद, कामकाजी महिलाओं के बीच काम काज की समीक्षा करें।
4. कामकाजी महिलाओं के बीच गतिविधियों के संचालन हेतु आवश्यक आर्थिक राशि की उपलब्धता भी राज्य समितियां सुनिश्चित करें।
5. जहां अभी राज्य समन्वय समितियां नहीं हैं वहां उनका गठन तत्काल किया जाये तथा जहां वे अस्तित्व में हैं किंतु निष्क्रिय पड़ी हैं वहां उन्हें सक्रिय किया जाये।
6. अखिल भारतीय एवं राज्य स्तरीय केन्द्र, निर्णयों पर अमल की नियमित जांच परख करें।
7. कार्यकर्ताओं की पहचान कर उन्हें प्रशिक्षित करने पर विशेष ध्यान दिया जाये।

शिक्षा, कार्यकर्ता विकास एवं वैचारिक काम के संबंध में कार्यभार

1. मुख्य जिम्मेदारी केन्द्र की है। इस संबंध में केन्द्र के प्रमुख कार्यों को पहले ही नोट किया जा चुका है।
2. केन्द्र की ओर से उदारीकरण एवं वैश्वीकरण की नीतियों से जुड़े तमाम मुद्दों पर पुस्तिकायें प्रकाशित करने की योजना बनाई हुई है। शेष बची पुस्तिकाओं का प्रकाशन भी शीघ्र किया जाये।
3. राज्य समिति एवं फैडरेशनें इन पुस्तिकाओं को बड़े पैमाने पर बेचने तथा स्थानीय भाषाओं में इनका अनुवाद करने के लिये गंभीर प्रयास करें। राज्य एवं उद्योगों के विशिष्ट मुददों को लेकर भी पुस्तिकाओं का प्रकाशन किया जाये।
4. सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर लोकप्रिय व्याख्यानों के आयोजन किये जायें।

कार्यभारों पर अमल में और देरी अब बर्दाश्त नहीं की जा सकती । पिछले एक दशक से भारत का मजदूर, साम्राज्यवादी शक्तियों तथा भारतीय शासक वर्गो द्वारा नई आर्थिक नीतियों तथा उदारीकरण वैश्वीकरण की नीतियों के नाम पर किये जा रहे हमलों के विरूद्ध जबर्दसत संघर्ष छेड़े हुए है। सी आई टी यू इस संघर्ष में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निबाह रही है। हमला दिनों दिन तीखा होता जा रहा है। इस संघर्ष को बिखेरने के लिये अन्य तरीकों के साथ सांप्रदायिकता का भी उपयोग किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर इस वर्ष की शुरूआत से ही मजदूर वर्ग के आंदोलनों में उभार दिखना शुरू हो गया है। हाल ही में आई हड़तालों की लहर तथा 11 मई की

हड़ताल में मजदूरों और अन्य मेहनतकशों की हुई जबर्दस्त हिस्सेदारी इसी रुझान का परिचायक है। यह परिस्थितियां ट्रेड यूनियनों से अपेक्षा करती हैं कि वे इन संघर्षो को आगे बढ़ाने तथा तार्किक परिणाम तक पहुंचाने के श्रम साध्य प्रयत्न करते हुये जो नयी शक्तियां इन संघर्षो में हिस्सेदारी कर रही हैं उन्हें सुदृढ़ीकृत रूप से बांधने के उपाय करें। सी आइ टी यू को इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निबाहनी है। मगर जब तक सी आइ टी यू अपने संगठन में व्याप्त कमियों व कमजोरियों पर काबू पाकर उसे मजबूत बनाने का काम पूरा नहीं करती तब तक वह इस एतिहासिक भूमिका का निर्वहन नहीं कर पायेगा। यहीं संगठन रिपोर्ट को लागू करने का सर्वोच्च महत्व प्रतिपादित होता है। निस्संदेह समय के इस अत्यावश्यक तकाजे को सी आइ टी यू के हर स्तर से सकारात्मक प्रत्युत्तर मिलेगा।

कामकाजी महिलाओं के मोर्चे पर हमारे कार्य

सी आइ टी यू का दसवाँ महाधिवेशन दिनांक 16-17 सितम्बर 2000 को हल्दिया में सम्पन्न कामकाजी महिलाओं की छठी अखिल भारतीय सम्मेलन में स्वीकार की गई रिपोर्ट का समर्थन करता है। इस फ्रंट पर हमारे कायों के संबंध में महिला सम्मेलन द्वारा दी गई विचारों से हम सहमत हैं तथा हल्दिया सम्मेलन द्वारा दी गई सुझावों का स्वागत करते हैं।

सी आइ टी यू ने मजदूर वर्ग को शोषण के खिलाफ संघर्ष में एकजुट करने का संकल्प लिया है और यह जानता है कि अगर कामकाजी महिलाओं का वर्ग ट्रेड यूनियन आन्दोलन से बाहर रहेंगी तो मजदूर वर्ग एकजुट नहीं हो सकता। अपने दूसरे सम्मेलन में सी आइ टी यू ने यह तय किया था कि कामकाजी महिलाओं को संगठित करने पर विशेष ध्यान देगा तथा चौथे सम्मेलन से पूर्व कामकाजी महिलाओं के अखिल भारतीय समन्वय समिति का गठन किया था।

सी आइ टी यू समझता है कि महिलाओं के बड़े वर्ग को ट्रेड यूनियन में लाने के लिए संगठन का यह दायित्व है कि वह महिलाओं की समस्याओं पर विचार करे तथा संगठन के क्रियाकलापों में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करे तथा संगठन में जिम्मेदार पद के लिए उन्हें प्रशिक्षित व उत्साहित करे।

पिछले दो दशकों में कामकाजी महिलाओं को स्थिति बहुत अधिक नहीं बदली है। कांग्रेस द्वारा शुरू की गई तथा भाजपा की नेतृत्व वाली एन डी ए की सरकार द्वारा जोर शोर से आगे बढ़ाये जाने वाली वैश्वीकरण व उदारीकरण की नीतियाँ कामकाजी महिलाओं की समस्याओं को और भी बढ़ा दिया है।

करीब 96 प्रतिशत कामकाजी महिलायें असंगठित क्षेत्र में हैं जहाँ कोई कानूनी

प्रावधान नहीं है, जो भी उपलब्ध है उसे लागू नहीं किया जाता। संगठित क्षेत्र में महिलाओं के रोजगार को और भी कम किया जा रहा है। बहुत से सार्वजनिक संस्थाओं बैंक व केंद्र सरकार के विभागों में महिलाओं को वी आर एस के लिए बाध्य किया जाता है या दूरस्थ स्थानों पर स्थानातरित किया जाता है। कल्याणकारी व्यय में कटौती के कारण शिक्षा व स्वास्थ्य जैसे विभाओं में, जहाँ महिलायें अधिक संख्या में कार्यरत हैं रोजगार के अवसर कम हुए हैं। ई पी जेड में कार्यरत हजारों महिलाओं को न्यूनतम वेतन व अन्य लाभों से वंचित रखा जाता है तथा मालिक सरकार द्वारा दी जाने वाली छूट का उपयोग कर ज्यादा मुनाफा कमाता है।

भारत सरकार ने आइ एल ओ के मातृत्व लाभ सम्बन्धी कन्वेंशन को स्वीकार नहीं किया है। असंगठित क्षेत्र में मातृत्व लाभ एक्ट लागू नहीं हैं तथा जहाँ हैं भी वहाँ इसे अमल में नहीं लाया जा रहा है। समान कार्य के लिए महिलाओं को पुरुष की तुलना में कम मजदूरी दी जाती है। समान मजदूरी को नकारने के लिए महिलाओं के कार्य को पुरुषों के कार्य की तुलना में कम महत्वपूर्ण समझा जाता है। संगठित व असंगठित दोनों क्षेत्रों में महिलाओं को यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। कुछ अध्ययन यह बताता है कि मेट्रो शहरों में 98 प्रतिशत कामकाजी महिलाएं अपने जीवन में कभी न कभी यौन उत्पीड़न का शिकार होती हैं। यौन उत्पीड़न पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय के तीन वर्ष बाद भी सरकार ने समाज के इस धब्बा के विरुद्ध कोई कानून नहीं बनाया है।

ये समस्यायें सिर्फ कामकाजी महिलाओं से ही संबंधित नहीं है बल्कि सम्पूर्ण ट्रेड यूनियन आन्दोलन के लिए सोचने का विषय होना चाहिए। सी आइ टी यू या इससे सम्बद्ध सभी संगठनों को इन मुद्दों पर अपने सभी सदस्यों को कार्यशील करना चाहिये।

विभिन्न स्तरों पर कामकाजी महिलाओं की समन्वय समितियाँ तथा संगठनों की सब कमेटियाँ सी आइ टी यू को कामकाजी महिलाओं को इन मुद्दों को संबोधित करने में सहायता प्रदान करती है। हमारी कमजोरी यह है कि बहुत से राज्य समितियों व संधों द्वारा इस पहलू को महत्व नहीं दिया जा रहा है। फलस्वरूप समन्वय समितियों व सब कमेटियों का गठन नहीं किया जाता है। जहाँ कहीं इसका गठन किया जाता है वहाँ इसको सही कार्य रूप देने के लिए ध्यान नहीं दिया जाता है। इसे सिर्फ कामकाजी महिलाओं के कार्यकर्त्ताओं का काम समझा जाता है।

ए आइ सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू व सी आइ टी यू के प्रयासों के फलस्वरूप सी आइ टी यू के क्रियाकलापों में महिलाओं की हिस्सेदारी व विभिन्न स्तरों की सी

आइ टी यू कमेटियों में उनका प्रतिनिधित्व कुछ हद तक बढ़ा है। वर्तमान में ज्यादातर स्टेट कमेटियों में कम से कम 3-4 महिला सदस्या व 1-2, पदाधिकारी भी हैं। अब इन महिला कामरेड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महिलाओं की समस्याओं पर विचार विमर्श हो तथा उनको संगठित करने के लिए सही योजना बनाया जाये। इन नीतियों को लागू करवाने हेतू उन्हें उचित पहल करना चाहिये।

जो भी प्रगति हुई है उसे कायम रखना है तथा महिला कामरेड की क्षमता को विकसित व प्रशिक्षित करने हेतू आगे योजनाबद्ध रूप से बढ़ना है।

कामकाजी महिलाओं के अखिल भारतीय सम्मेलन के सुझावों व इन सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद सी आइ टी यू का यह दसवाँ महाधिवेशन निम्नलिखित कार्यों एवं दायित्वों का निर्धारण करता है तथा सभी राज्य समितियों व उद्योगों के संघों से इसे लागू करने का आह्वान करता है।

कामकाजी महिलाओं के बीच काम करने के लिए सभी राज्य समितियों को पूर्णकालिक कार्यकर्त्ता देने चाहिएं। अगर यह तुरन्त संभव न हो तो इस फ्रन्ट पर काम करने के लिए एक अंश कालिक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी जानी चाहिये।

सी आइ टी यू स्टेट कमेटी के एक पदाधिकारी को यह जिम्मेदारी दी जानी चाहिये कि वह कामकाजी महिलाओं के बीच कार्य करे।

सभी सम्बद्ध संगठन/औद्योगिक संघों को, जहाँ बड़ी संख्या में महिला मजदूर हों, महिलाओं की सब कमेटी का गठन करना चाहिए।

स्टेट कमेटी को 2001 के मध्य तक उन संगठन व संघों की पहचान करनी चाहिए जहाँ ऐसी सब कमेटियाँ बनाई जा सकती है तथा इस कार्य को 2001 के मध्य तक पूरा किया जाना चाहिये।

जरूरत के अनुसार नियमित अन्तराल पर राज्य व जिला स्तर पर कामकाजी महिला कार्यकर्त्ताओं के लिए ट्रेड यूनियन क्लास का आयोजन राज्य समितियों द्वारा किया जाना चाहिये।

कामकाजी महिलाओं के तीन मुख्य मुद्दों—समान मजदूरी, मातृत्व लाभ व यौन उत्पीड़न पर अखिल भारतीय स्तर पर प्रचार किया जाना चाहिये जिसकी परिणति 2001 के पहले छमाही में दिल्ली में कामकाजी महिलाओं के जन आन्दोलन के रूप में होना चाहिये।

कामकाजी महिलाओं के एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर मेमोरियल व्याख्यान का आयोजन कर प्रत्येक वर्ष का. विमल दी का जन्म दिन मनाया जाना चाहिये।

सी आइ टी यू सेक्रेटेरिएट को जून 2001 तक घरेलू उद्योग धंधों में कार्यर श्रमिकों पर ड्राफ्ट पेपर तैयार करना चाहिये जिस पर विचार-विमर्श करने के लिए महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक बुलानी चाहिये। उसके बाद राज्य समितियाँ घर-आधारित मजदूरों के मुद्दों पर प्रचार-अभियान व उनको संगठित करने की प्राथमिकता निर्धारित करेगी।

क्रीडेंशियल समिति की रिपोर्ट

कामरेड अध्यक्ष तथा साथियो,

क्रीडेंशियल समिति की ओर से मैं यह रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।

समग्र रूप में, सी आइ टी यू के दसवें महाधिवेशन में 2603 प्रतिनिधियों तथा पर्यवेक्षकों ने भाग लिया। सी आइ टी यू के इतिहास में यह अब तक की सर्वाधिक संख्या है। महाधिवेशन में भाग लेने वाले 2542 प्रतिनिधि 21 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके अतिरिक्त सी आइ टी यू केंद्र की ओर से 37 पदाधिकारियों में से 32 पदाधिकारी इस महाधिवेशन में भाग ले रहे हैं। 41 विशेष पर्यावेक्षकों में से 32 पंजाब तथा 9 सी आइ टी यू केन्द्र से सम्बन्ध रखते हैं, उनके अतिरिक्त हमारे केंद्रीय संगठनों तथा राष्ट्रीय महासंघों के 15 भ्रातृ प्रतिनिधिगण भी दसवें महाधिवेशन में भाग ले रहे हैं।

पाकिस्तान, नेपाल, बंगला देश, श्रीलंका, फिलीपीन्स, वियतनाम, जापान तथा फ्रांस के श्रमिक संगठनों और सिगटुर एवं आइ यू एफ का प्रतिनिधित्व करने के लिये यहां पधारे 23 नेताओं की उपस्थिति पर हम संतोष व्यक्त करते हैं, इन नेताओं ने न केवल महाधिवेशन में भाग लिया है, अपितु उसके प्रतिनिधियों का अभिनंदन भी किया है। राष्ट्रीय श्रमिक संगठनों एटक, एच एम एस तथा टी यू सी सी के नेताओं ने भी प्रतिनिधियों का अभिनंदन किया है।

समिति की ओर से 2544 प्रतिनिधियों को क्रीडेंशियल फार्म दिये गए थे जिनमें से 2522 प्रतिनिधियों के फार्म हमें प्राप्त हुए हैं। फार्म जारी करने का उद्देश्य अधिकाधिक रुचिकर जानकारियां एकत्रित करना था; इसलिये उन्हें उपयुक्त ढंग से भरा जाना चाहिए था; दुर्भाग्यवश साथियों ने फार्म भरते समय सावधानी से काम नहीं लिया है। तथापि, प्राप्त फार्मों का विश्लेषण करने पर हमें रुचिकर जानकारी मिली है जिनसे पता चलता है कि कुल 2544 प्रतिनिधियों में से 262 महिलाएं

प्रतिनिधियों के रूप में इस महाधिवेशन में भाग ले रही हैं। उनकी यह संख्या कुल प्रतिनिधियों की 15 प्रतिशत संख्या को प्रतिनिधित्व नहीं करती जबकि सी आइ टी यू के केन्द्रीय सचिव मण्डल ने इस बार महिलाओं को 15 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने का निश्चय किया था। कर्नाटक के अतिरिक्त और किसी भी राज्य ने इस निर्णय को कार्यान्वित नहीं किया है। यह उल्लेख करना भी रुचिकर होगा कि प्रतिनिधियों का एक सबसे बड़ा भाग (1082) 41-50 वर्ष की आयु वर्ग का है। शैक्षणिक स्तर की जांच करने से पता चलता है कि प्रतिनिधियों की बहुसंख्या (1108) मैट्रिक पास है जबकि एक बड़ा भाग (604) स्नातकों (ग्रैजुएट) का है। व्यावसायिक दृष्टि से—547 प्रतिनिधि कारखाना मजदूरों की श्रेणी के हैं जबकि 1116 पूर्ण कालिक कार्यकर्ता हैं। उनमें से 630 जिला केंद्रों तथा 189 राज्य केन्द्रों के साथ सम्बन्धित हैं और 322 स्थानीय कार्यकर्ता हैं। महाधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों का एक बड़ा भाग (1089) वर्ष 1977-1990 के मध्य श्रमिक आंदोलन में आया था जबकि 495 प्रतिनिधि 1970 तथा 1976 के मध्य श्रमिक आंदोलन सम्मिलित हुए थे। 534 प्रतिनिधि जिला स्तर पर समितियों के सदस्य हैं जबकि 372 प्रतिनिधि राज्य स्तर पर कौंसिलों के सदस्य हैं।

ट्रेड यूनियन गतिविधियों के सम्बन्ध में 825 प्रतिनिधियों ने कुछ समय के लिए अथवा अधिक समय के लिये जेल यात्रा की है। कामरेड रघुवरन (केरल) ने सबसे अधिक लम्बी अवधि 4380 दिन—जेल में बिताई है। कामरेड फाटिक बनर्जी ट्रेड यूनियन कार्यों के सम्बन्ध में सबसे अधिक समय—11680 दिनों तक भूमिगत रहे।

इस महाधिवेशन में भाग लेने वाले सबसे कम आयु के प्रतिनिधि कामरेड मालती (त्रिपुरा) तथा बी शीला (तमिलनाडु) हैं; दोनों की आयु 19 वर्ष है जबकि सर्वाधिक आयु के प्रतिनिधि होने का सम्मान पश्चिम बंगाल के कामरेड गुरूपदा पाल (92) को प्राप्त हुआ है।

साथियो, आज सी आइ टी यू को देश में एक अग्रणी ट्रेड यूनियन संगठन के रूप में व्यापक मान्यता प्राप्त हो चुकी है। इसलिए, श्रमिकों की अधिक से अधिक श्रेणियां सी आइ टी यू की पंक्तियों में सम्मिलित हो रही हैं। सम्बद्धता के लिये हमें 218 आवेदन मिले हैं जिनकी सदस्य संख्या 46305 है, इन्हें जांच के लिये क्रीडेंशियल समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जांच के पश्चात् समिति ने 210 श्रमिक संघों को सम्बद्धता प्रदान कर दी है जिनकी कुल सदस्य संख्या 45,511 है, ये आवेदन सभी शर्तों को पूरा करते हैं।

अन्य आवेदनों की जांच करते समय समिति ने अनुभव किया है कि इस बार नये आवेदन भेजते समय अनेक राज्य समितियों ने इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। अनेक आवेदनों पर महासचिव के हस्ताक्षर भी नहीं थे। अनेक आवेदनों में सभी आवश्यक जानकारियां नहीं दी गईं थीं। राज्य समितियों को आवेदन भेजते समय सावधानी से काम लेना होगा क्योंकि इसका दुष्प्रभाव आगे चल कर श्रमिक संघों पर पड़ता है।

क्रीडेंशियल समिति के लिये

रणजीत बसु (संयोजक)

ए के पद्मनाभन (सदस्य)

एन पद्मालोचन (सदस्य)

एस बी भारद्वाज (सदस्य)

सोमेन कुण्डू (सदस्य)

इस बड़ी चुनौती का सामना किया जाएगा

☐ ई. बालानन्दन

साथियो, पिछले चार दिनों में आपने लगभग उन सभी विषयों पर गहन विचार किया है जो प्रासंगिक हैं और पूरे श्रमिक वर्ग तथा देश को जिनके साथ जूझना पड़ रहा है। सी आइ टी यू को और अधिक शक्ति के साथ जोरदार पहलकदमियां करनी चाहियें यह तीव्र इच्छा आपके द्वारा व्यक्त किये गए विचारों एवं बहस में से झलकती दिखाई दी है। यह तृणमूल से लेकर उच्च अर्थात् सभी स्तरों पर पहलकदमियां करने और नीतियों में परिवर्तन लाने, वर्तमान सत्ता को बदल देने तथा शक्तियों के पारस्परिक सम्बन्धों में बदलाव लाने की आपकी भावनाओं का प्रकटीकरण है।

आपने सभी मोर्चों पर तेजी के साथ बदल रही स्थिति पर भी विचार किया है। हां, सर्वत्र तेजी के साथ स्थिति बदल रही है। और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण श्रमिकों की विशाल संख्या के रुख में बदलाव आना है, उन श्रमिकों का रुख भी बदल रहा है जो पहले कभी संघर्षों में भाग नहीं लेते थे। श्रमजीवी जनता की नयी-नयी शक्तियां हड़ताल की कार्रवाईयों तथा अन्य विभिन्न संघर्षों में भाग ले रही हैं। ऊर्जा क्षेत्र का संघर्ष इसकी ज्वलंत उदाहरण है। पिछले कुछ वर्षों में, इन श्रमिकों का एक बड़ा भाग जो पहले संघर्षों में भाग नहीं लेता था, संघर्ष की अग्रिम पंक्तियों में सम्मिलित होने लगा है, ये श्रमिक किसी आर्थिक मांग के लिये नहीं अपितु नीतियों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। डाक कर्मचारियों ने सभी धमकियों का वीरतापूर्वक सामना करते हुए दस दिनों तक हड़ताल की और वह हड़ताल भी किसी आर्थिक

मांग के लिये नहीं की गई थी। निजी क्षेत्र की अनेक इकाईयों तथा उनके साथ साथ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में भी श्रमिकों द्वारा वीरोचित संघर्ष किये गए हैं; उन्होंने साहस के साथ मालिकों की सभी बर्बर कार्रवाईयों एवं धमकियों का प्रतिकार किया है; ये संघर्ष श्रमिकों की विशाल बहुसंख्या के बदलते रुख, उनमें संघर्ष करने की बलवती इच्छा तथा नीतियों का प्रतिकार करने की भावना के साक्षी हैं।

संघर्षों की उफनती लहरें

वर्तमान स्थिति श्रमिकों के इस रुख का भी प्रकटीकरण करती है कि वे अब प्रत्येक बात को स्वीकार नहीं करेंगे। कोयला श्रमिकों ने कुछ श्रमिक संगठनों द्वारा हस्ताक्षरित समझौते को ही स्वीकार करने से इन्कार कर दिया था और सी आइ टी यू के आह्वान पर उन्होंने तीन दिवसीय देशव्यापी हड़ताल की थी जिसके फलस्वरूप प्रबंधन को समझौते में पर्याप्त सुधार करने के लिये विवश होना पड़ा था। मारूति तथा पेप्सीको के श्रमिकों ने अच्छे व्यक्तिगत आचरण का बांड देने की सेवा योजकों की अनुचित शर्त को मानने से इन्कार कर दिया; उन्होंने बड़ी वीरता के साथ सेवा योजकों की दमनात्मक, प्रतिशोध एवं निलम्बनों जैसी कार्रवाईयों का सामना किया। दक्षिण में बागवानी श्रमिकों द्वारा संघर्ष करने के लिये अपनाए गए रुख के कारण बागों के मालिकों को भी केंद्रीय सरकार की नीतियों के दुष्परिणाम स्वरूप फैले संकट के विरुद्ध जारी संघर्ष में भाग लेना पड़ा था। कपड़ा, इंजीनियरिंग उद्योग तथा विभिन्न अन्य क्षेत्रों निजी तथा सार्वजनिक दोनों में ही, भट्ठा, खनन इत्यादि असंगठित क्षेत्रों में अर्थात् पूरे देश में संघर्ष चल रहे हैं और जहां हमारा आंदोलन दुर्बल है वहां पर भी संघर्षों में श्रमिकों की ओर से जुझारू रुख अपनाया गया है; ये सब इस बात के साक्षी हैं कि विनाशकारी नीति की सत्ता को और अधिक समय तक सहन करने के लिये हमारा श्रमिक वर्ग तैयार नहीं है।

इससे भी बढ़ कर गांवों में रहने वाले हमारे भाईयों—किसानों तथा खेतिहर श्रमिकों के मध्य व्याप्त असंतोष तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। किसानों द्वारा देश के अनेक भागों में यदा कदा किये गये रेल रोको आंदोलन के कारण सरकार को एक बार पुन: किसानों को गेहूं तथा धान की खरीद करने का आश्वासन देना पड़ा। हां, किसान जनता इन्हीं नीतियों तथा इनके दुष्परिणाम स्वरूप अपने जीवन एवं आजीविका पर पड़ रहे घातक दुष्प्रभावों के विरोध में बड़े भारी स्तर पर संघर्ष के लिये आगे आ रही है।

संघर्षों की गूंज

आपको यह बात अवश्यमेव स्वीकार करनी होगी कि हमारे द्वारा निरंतर अभियान एवं संघर्ष चलाए जाने के कारण दूसरे शिविरों में भी परिवर्तन आने लगा है। जब हमने अर्थात् श्रमिक संघों ने सरकार की ऊर्जा नीति का विरोध किया था तब हमारा मजाक उड़ाया गया था और अब जब एनरों की कारगुजारी सामने आ गई है बिजली की दरों में कई गुणा वृद्धि हो गई है और बिजली बोर्डों की आर्थिक स्थिति में अब भी कोई सुधार नहीं हुआ है, विदेशी बिजली कम्पनियां अपनी शक्ति का खुला प्रदर्शन कर रही है तो सभी लोग उन्हीं विचारों को व्यक्त करने लगे हैं जिनका प्रकटीकरण हम प्रारम्भ में कर रहे थे। मैं बागवानी मालिकों द्वारा दी जाने वाली दुहाई की चर्चा पहले ही कर चुका हूं। यहां तक कि दूसरे उद्योगों छोटे तथा बड़े दोनों, के मालिक भी अब आयात उदारीकरण के विनाशकारी प्रभावों को लेकर बुदबुदाने लगे हैं और कह रहे हैं कि इनके चलते बाजार से ही बाहर हो जाने के खतरे की तलवार उनके सिरों पर लटकने लगी है।

श्रमिक आंदोलन के आगे बढ़ने के लिये नये नये अवसर आ रहे हैं, श्रमिकों में असंतोष तथा असहनशीलता बढ़ रही है, यह और व्यापक हो रही है, श्रम जीवी जनता की दूसरी श्रेणियों में भी असंतोष बढ़ रहा है और हमें उन सबको साथ लेना होगा; उनके साथ सम्पर्क स्थापित करना होगा और देश की स्थितियों में निर्णायक परिवर्तन लाने तथा नीतियों में बदलाव लाने के लिये श्रम जीवी जनता की देशव्यापी जुझारू कार्रवाईयों को एक नया स्वरूप प्रदान करना होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्रम जीवी जनता के संघर्षों की जबरदस्त कार्रवाईयों से अन्य श्रेणियां भी प्रभावित होंगी और इन संघर्षों की गूंज कम्पायमान होगी तथा अधिक से अधिक श्रेणियों को सुनाई देगी तथा शक्तियों की सम्बद्धताओं में देशव्यापी परिवर्तन होगा।

हमें यह बात भी नहीं भूलनी चाहिये कि जहां सर्वत्र श्रमिक वर्ग के संघर्षों की लहर अपने उफान पर है वहीं सत्ताधारी श्रेणी द्वारा लोगों पर विभिन्न प्रकार से किये जा रहे हमलों में भी वृद्धि हो रही है, उनकी एकता तथा अधिकार इन हमलों का लक्ष्य बन रहे हैं।

लोकतंत्र पर हमला

देश का लोकतांत्रिक ढांचा सत्ताधारी तंत्र के हमलों का लक्ष्य बना हुआ है और वे यह हमला संविधान-समीक्षा पैनल के माध्यम से कर रहे हैं, वे वर्तमान संसदीय

ढांचे को दुर्बल बनाना चाहते हैं और इसे अधिक से अधिक एकपक्षीय स्वरूप देना चाहते हैं। सत्तारूढ़ श्रेणी द्वारा साम्राज्यवाद के दबावों के समक्ष और अधिक झुकने तथा उसके दासत्व भाव को भी देश की जनता देख रही है। ये दबाव राजनीतिक तथा आर्थिक दोनों ही क्षेत्रों में डाले जा रहे हैं। इसके साथ ही विदेशी पूंजी के बढ़ रहे दबाव की पृष्ठभूमि में श्रम अधिकारों पर उग्र हमले किये जा रहे हैं और ये हमले भारत के नैगम घरानों की ओर से भी हो रहे हैं। न्यायपालिका भी श्रमिकों तथा जन साधारण के लोकतांत्रिक अधिकारों को क्षति पहुंचाने तथा उनके प्रभाव को कम करने के लिये दिन रात एक करके काम कर रही है। उच्चतम न्यायालय तथा केरल उच्च न्यायालय ने हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय डाक कर्मचारियों की हड़ताल के विरुद्ध एस्मा लगाना चाहता था किन्तु उसने हड़ताल से सम्बन्धित मुद्दों पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता अनुभव नहीं की। श्रम कानूनों की खुले रूप में अवहेलना की जा रही है और इस मामले में सरकार का खुला समर्थन भी प्राप्त हो रहा है। यह काम पूरी निर्लज्जता के साथ किया जा रहा है। श्रम कानूनों को सेवा योजकों के पक्ष में पूर्णतया बदल देने के प्रयास किये जा रहे हैं ताकि आपको, संविदा तथा अस्थायी श्रमिकों इत्यादि को दास बनाया जा सके। वे आपको, श्रमिक वर्ग को पूर्ण क्षति पहुंचाना चाहते हैं ताकि आप एकजुट होने के योग्य ही नहीं रहें और न ही आप में प्रतिकार एवं संघर्ष करने की क्षमता शेष रहे। क्या आप इस प्रकार अपमानित होना स्वीकार कर सकते हैं ?

साम्प्रदायिक उन्माद

एक और बड़ी चुनौती देश तथा देश की जनता की एकता पर हो रहा हमला है। भाजपा के नेतृत्व वाली साम्प्रदायिक सरकार ने पहले ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की कार्यसूची की अनदेखी करनी शुरू कर दी है और उसके द्वारा हठपूर्वक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की कार्यसूची को आगे बढ़ाने के लिये उन्मत प्रयास किये जा रहे हैं। अल्पसंख्यकों विशेष रूप से मुसलमानों तथा ईसाईयों पर हमले किये जा रहे हैं, ये क्रूर हमले दिन प्रतिदिन और अधिक उग्र होते चले जा रहे हैं, मन्दिर-मस्जिद का विवाद शासन में शीर्ष स्तर पर छा रहा है और इसका उपयोग साम्प्रदायिकता के आधार पर लोगों विशेष रूप से श्रम जीवी जनता में फूट डालने के लिये किया जा रहा है।

हमें अपने अधिकारों तथा जनवादी संरचना पर बढ़ रहे हमलों और लोगों को साम्प्रदायिकता के आधार पर विभाजित करने सम्बन्धी कुत्सित प्रयासों के विरुद्ध

साथ-साथ संघर्ष करना होगा। यदि हम उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमण्डलीयकरण (एल पी जी) की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करना चाहते हैं तो हमें यह दोधारी संघर्ष करना ही होगा। इन सब का निकट अन्तर्सम्बन्ध है—अर्थात् साम्राज्यवादी हथकण्डे तथा हमले, एल पी जी की विनाशकारी नीतियां, ट्रेड यूनियन एवं जनवादी अधिकारों पर हमले और साम्प्रदायिक विभाजक कार्रवाईयां इत्यादि इन सबका अन्तर्सम्बन्ध है। हम इन सभी समस्याओं को समग्र रूप में लेना होगा तथा इन पर एक व्यापक दृष्टिकोण बनाना होगा, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है।

चुनौतियों का सामना करो

ये सभी काम करने के लिये हमें अपने समक्ष मुंह बांए खड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा—हमें सांगठनिक दृष्टि से स्वयं सुदृढ़ बनाना होगा। हमें श्रम जीवी जनता की सभी श्रेणियों तक पहुंचने में सक्षम होना होगा, हमें सभी संघर्षों में हस्तक्षेप करना होगा और नये-नये क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान देना होगा, इस सबके लिये सभी स्तरों पर हमें अपने वर्तमान संगठन की अपेक्षा कहीं अधिक सुदृढ़ संगठन की आवश्यकता है।

आपने संगठन के प्रश्न पर विस्तृत विचार विमर्श किया है, कुछ अच्छे सुझाव भी आपने दिये हैं और इसके साथ साथ आपने कुछ सांगठनिक दुर्बलताओं की पहचान भी की है। किन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं है। हमें अपनी पूरी शक्ति, अपना पूरा सामर्थ्य अर्थात् जो कुछ भी हमारे पास है, ठोस कार्रवाईयां करने में लगाना होगा और अपने सांगठनिक कार्यों को पूर्ण करना होगा जिनका निर्धारण पहले ही किया जा चुका है। सभी स्तरों पर अर्थात् ऊपर से नीचे तक पहलकदमियां किये बिना, प्रभावी जनवादी कार्यप्रणाली के बिना और कार्यकर्ताओं का व्यापक आधार बनाए बिना हम संघर्षों की देशव्यापी धाराओं को और सुदृढ़ बनाने, संघर्षों को व्यापक बनाने तथा संघर्षों में हस्तक्षेप करने जैसे इस भारी भरकम गुरूतर कार्य को पूरा करने की स्थिति में पहुंच नहीं सकते हैं।

यदि हम अपने इन कार्यों को पूरा करना चाहते हैं, यदि हम श्रमिक वर्ग के सामने उपस्थित होने वाली चुनौतियों का सामना करना चाहते हैं और प्राप्त अवसरों का सदुपयोग करना चाहते हैं, यदि शक्तियों के ध्रुवीकरण को बदलना तथा उसे एक जीवंत विकल्प के रूप में लाना चाहते हैं और यदि हम नहीं चाहते कि यह अवसर हमारे हाथ से निकल जाए तब हमें सभी स्तरों पर स्वयं को उपयुक्त ढंग से संगठित करना होगा, हमें सभी सम्भावनाओं का लाभ उठाना होगा और सम्पूर्ण श्रमजीवी

जनता के संघर्षों को और अधिक व्यापक बनाना होगा और संघर्षों की धार को तेज करना होगा। हम यह काम अवश्य कर सकते हैं, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है, भविष्य हमारा है, इसमें कोई संदेह नहीं।

हम आंध्र प्रदेश के साथियों के प्रति आभारी हैं

साथियो, अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं आंध्र प्रदेश के अपने साथियों का धन्यवाद अवश्य करना चाहूंगा। यह मात्र औपचारिकता ही नहीं है। उन्होंने जिस अच्छे ढंग से कुशलता पूर्वक सी आइ टी यू महाधिवेशन के आतिथेय के कठिन एवं भारी दायित्वों का वहन किया है उससे हमारे विश्वास की पुष्टि हुई है। हां, हम आने वाली सभी चुनौतियों का प्रतिकार करने में पूर्णतया सक्षम हैं। हम केवल आंध्र प्रदेश में अपने साथियों की ही नहीं अपितु सम्पूर्ण राज्य की श्रम जीवी जनता की सराहना करेंगे जिसने बिजली दरों में वृद्धि के विरुद्ध लम्बा संघर्ष चलाया था और जिसकी सहायता, शुभकामनाएं एवं अपेक्षाएं इस पांच दिवसीय महाधिवेशन की सफलता के रूप में प्रतिबिम्बित हुई हैं। मैं एक बार पुन: उनका, सभी प्रमुख गणमान्य नेताओं, तथा वलंटीयर साथियों की विशाल सेना जिसने दिन रात कठोर परिश्रम किया, का आप सब की ओर से धन्यवाद करता हूं। इसके साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करने की अनुमति चाहूंगा।

(सी आइ टी यू के दसवें महाधिवेशन में दिया गया
समापन भाषण)

सी आइ टी यू के नये पदाधिकारी

1. कामरेड ई बालानन्दन—अध्यक्ष

2. कामरेड एम के पन्धे—महासचिव
3. कामरेड रणजीत बसु—कोषाध्यक्ष

उपाध्यक्ष
1. कामरेड ज्योति बसु
2. कामरेड समर मुखर्जी
3. कामरेड आर. उमानाथ
4. कामरेड अहिल्या रांगनेकर
5. कामरेड एम एम लारेंस
6. कामरेड सुशीला गोपालन
7. कामरेड सी कानन
9. कामरेड टी के रंगराजन
10. कामरेड सूर्यनारायण राव
11. कामरेड चण्डी प्रसाद
12. कामरेड बलवंत सिंह

सचिव
1. कामरेड कनाई बनर्जी
2. कामरेड पी के गांगुली
3. कामरेड जीवन राय
4. कामरेड नीरेन घोष
5. कामरेड चित्तव्रत मजूमदार
6. कामरेड काली घोष
7. कामरेड श्यामल चक्रवर्ती
8. कामरेड के एन रविन्द्रनाथ
9. कामरेड ए दाक्षी
10. कामरेड तपन सेन
11. कामरेड स्वदेश देवराय
12. कामरेड के हेम लता
13. कामरेड ए के पद्मनाभन
14. कामरेड के एल बजाज
15. कामरेड एस बी भारद्वाज
16. कामरेड डब्ल्यू आर वरद राजन
17. कामरेड पी के गुरूदासन
18. कामरेड एस के बख्शी
19. कामरेड एम ए गफूर
20. कामरेड एस वीरय्या

विशेष आमंत्रित

कामरेड माणिक डे

जनरल कौंसिल तथा कार्य समिति के सदस्यगण

अंडेमान निकोबार द्वीप समूह

1. बी चन्द्रचूड़न

आंध्र प्रदेश

* 2. सी नरसिंह राव
* 3. आर सुधा भास्कर
f* 4. पी रोजा
* 5. वाई सिद्दय्या
* 6. के वेंकटेश्वारलू
* 7. जी रामुलू
8. एन प्रसाद राव
9. पी सत्य नारायण
10. आलूरी सत्यानारायण
11. वाई वेंकटेश्वर राव
12. पी राजा राव
13. आर लक्ष्मीया
14. एस नरसिम्हा रेड्डी
15. जी रामबाबू
f 16. डी शारदा
17. राजा राममोहन राय
18. के श्रीनिवास
19. नारू कष्णय्या
20. डी वी कृष्णा
21. सी बाबू राव
22. एम साईबाबू
23. पी अनंथराम सरमा
24. एम चुकय्या
25. टी शादरक
26. एन रामा राव
f 27. ललिथम्मा ए

असम

* 28. देबेन भट्टाचार्य
* 29. माइकल लुगुन
f 30. ममोनी दत्ता
31. सुशील चौधरी
32. मथुरा दास
33. नोगेन सी चुटिया
34. अमल घोष दस्तीदार

बिहार

35. अरुण कुमार मिश्र
36. रिक्त छोड़ा गया

दिल्ली

* 37. मोहन लाल
* 38. के एम तिवारी
39. बली राम वर्मा
40. उदय चन्द्र झा
41. उपेन्द्र झा
42. नत्थू प्रसाद
43. विजय झा

गोआ

44. एस एस नायक

गुजरात

45. सुबोध मेहता
46. नगीन भाई पटेल

हरियाणा

* सतबीर सिंह

48. एस एन सोलंकी
49. प्रभात सिंह
50. रमेश कुमार
51. राम चन्द्र सिवाच

हिमाचल प्रदेश

52. कश्मीर सिंह ठाकुर

जम्मू तथा कश्मीर

53. कपूर सिंह

झारखण्ड

* 54. मिहिर चौधरी
* 55. जी के शुक्ला
56. बी के एल दास
57. मोहम्मद इकबाल
58. जी पाण्डेय
59. डी डी रामानन्दन
60. ए के राय
61. मिथिलेश सिंह

केरल

* 62. रिक्त छोड़ा गया
* 63. टी शिवदास मेनन
* 64. एम चन्द्रन
* 65. के पद्मनाभन
* 66. के एम सुधाकरन
* 67. अंथालावात्तोम आनंदन
* 68. एन पद्मालोचन
* 69. के ओ हबीब
* 70. के के दिवाकरन
* 71. के के चेल्लापनन

f* 72. ए नाजीमुन्नीसा
* 73. के अनिरुद्दन
* 74. पेरूरकादा सदासिवन
75. आर परमेश्वरन पिल्लै
* 76. एस एस पोटी
77. नान्नीयोडे रवी
78. कट्टाकाडा ससी
79. एम ए रवि
80. के राजन बाबू
81. थिरूवल्लम शिवराजन
f 82. श्रीकुमारी
83. पुल्लूविला स्टैनले
84. बी सत्यन
85. पी वामादेवन नायर
f 86. बेगम नबीसा
87. ए सम्पथ
88. बोस्को कोशी
89. पी के कुट्टन
* 90. सी पी करुणाकरण पिल्लै
* 91. पी केशवन नायर
92. ई कासिम
93. के थुलाशीधरन
94. के पी विश्व वालसालन
95. ओचिरा थंकाप्पन
96. पी लालाजी बाबू
97. वी रविन्द्रन नायर
f 98. कुलाकाडा इंदिरा
99. मुरली मरन थंकोड
100. कडाक्कल सुन्देरेशन
* 101. वी वी ससीनद्रन
f* 102. जे मर्सीकुट्टी अम्मा
103. एस प्रकाशन

104. के सुभागन
* 105. के सी राजगोपाल
106. पी के सोमाराजन
107. पी जे अजेय कुमार
* 108. वी एस मणि
109. के प्रसाद
110. बी राजेन्द्रन
111. पी पी चित्तरंजन
112. ए अब्दुल कादर
113. एन रामकृष्णन
114. एन आर बाबू राजन
115. के के दिनेशन
* 116. के एम अब्राहम
117. बी आर भास्करन
118. वी एन वसावन
119. के पी सुगुनन
* 120. के के जयचन्द्रन
121. ओ जी मदानन
122. पी आर गोपाल कृष्णन
123. एस सुन्दरी माणिक्कम
124. आर थिलाकन
* 125. के चन्द्रन पिल्लै
126. ई के नारायणन
127. के ए पुष्पाकरण
128. के आर गंगाधरन
129. एन टी वर्गीज़
130. एस कृष्णामूर्ति
131. सी के विजयन
132. के जे जैकब
133. के एन गोपीनाथ
134. पी एस मोहनन
f 135. के थुलासी
* 136. सी ओ पौलस मास्टर
137. एम ए कृष्णन
138. ई के मेनन,
139. के एफ डेविस
140. वी रामाकृष्णन
141. के ए कोचाप्पू
142. के वी जोज़
* 143. ए के बालन
144. ए प्रभाकरन
145. एन पी साहदालवी
146. एन एस स्कारिया
* 147. पी नन्द कुमार
148. जार्ज के एंथनी
149. के राम दास
150. वी प्रभाकरन
* 151. के मुसाकुट्टी
* 152. टी पी रामकृष्णन
* 153. इलामाराम करीम
154. एन वासू
155. पी टी राजन
156. के दासन
157. वी पी कुन्हीकृष्णन
158. टी दासन
* 159. पी कुन्हीकानन
* 160. के पी सहदेवन
* 161. पी रामचन्द्रन
162. पी वी कृष्णन
163. टी रामकृष्णन
164. अराक्कन बालन
165. सी कृष्णन
166. वादी रवि
167. पी पी नारायणन

168. टी पी श्रीधरन

f 169. के वी वसंथाकुमारी

* 170. पी राघवन

171. के बालकृष्णन

172. ए के नारायणन

173. टी के राजन

* 174. पी सारासाप्पन

f 175. एम के कमलम्मा

176. ए पी वासू

177. नेदूवथूर सुन्दरेशन

178. सी वी जोय

f 179. जी राजम्मा

180. पी एम मोहम्मद

181. ई बी कालीदास

182. पी दास

183. टी एन राजन

184. डी विजयन

185. एस सुशीलन

186. एम सुकुमारन

187. के सुकुमारन

188. पी एस मधुसूदनन

189. के चन्द्रशेखर पिल्लै

190. सी जे जोसेफ़

191. वी मोहन दास

192. सी बी सी वारियर

193. आर राघवन पिल्लै

194. के ए अली अकबर

195. पी वी गंगाधरन

196. पी एस चेरियन

197. लिंडसे मैलविले

कर्नाटक

* 198. वी जे के नायर

f 199. एस वरलक्ष्मी

200. एस प्रसन्न कुमार

201. वी सुकुमार

202. सय्यद मुजीब

203. मीनाक्षी सुन्दरम एम एस

* 204. ई के एन राजन

205. एच एन गोपाल गौडा

* 206. बी माधव

207. के शंकर

208. जे बालकृष्ण शेट्टी

मध्य प्रदेश

* 209. बादल सरोज

210. प्रमोद प्रधान

211. महेश श्रीवास्तव

212. कैलाश लिम्बोदिया

छत्तीसगढ़

213. एस सुदेवन

214. एम के नन्दी

महाराष्ट्र

* 215. सय्यद अहमद

* 216. डाक्टर डी एल कराद

217. डाक्टर विवेक मोंटेरो

218. नरसय्या आदम (मास्टर)

f 219. सुमन सांझगिरि

220. ऊधव भावलकर

221. अमरुत मेश्राम

222. सूर्याजी सालुंखे

उड़ीसा

223. लम्बोदर नायक
224. शिवाजी पटनायक
* 225. विष्णु मोहंती

पंजाब

* 226. मंगत राम पासला
* 227. रिक्त रखा गया
* 228. ''
229. ''
230. ''
231. ''
232. ''
233. ''
234. ''
234 ''
235. ''
236. ''

राजस्थान

* 237. रविन्द्र शुक्ल
238. वकार-उल-अहद
239. हेतराम बेनिवाल
240. बी एस राणा
241. आर के स्वामी

तमिलनाडु

* 242. जे हेमचन्द्रन
* 243. के चेलाप्पन
244. मालविकाइ बासी
245. के कनक राज
246. एम अशोकन
247. वी कुमार
* 248. यू के वेलिंगिरि
249. आर गोविन्द राज
250. ए पी गोपाल
251. के रामासामी
252. दुराई अरुमुगम
253. एस के त्यागराजन
254. ई पोनमुडी
255. एन चन्द्रन
256. के पालनिवेलू
257. टी एन नम्बीराजन
258. जी सुकुमारन
259. एस चन्द्रशेखरन
* 260. पी एम कुमार
* 261. ए सौन्दर राजन
262. पी एन उन्नी
* 263. पी वी रामदौस
264. वी अय्यालू
265. आर इलंगोवन
266. आर एस राजेन्द्रन
267. एस कस्तूरीरंगन
268. पी मारिमुत्थू
269. आर कारूमलाइयन
270. ए पी अम्बाझागन
271. डी जानकी रमन
272. एस पंचरत्नम
273. के विजयन
* 274. आर सिंगारावेलू
275. एम राजंगम
f* 276. एम राजी

f 277. टी ए लता
f 278. मालिनी चित्तीबाबू
f 279. पी इन्द्राणी
f 280. एम मालिगा

त्रिपुरा

* 281. माणिक डे
* 282. पियूष नाग
283. सुदर्शन दास
284. तपन चक्रवर्ती
285. मदन दास
286. सुधामय मजूमदार
f 287. श्रीमती इंदुबाला दास
288. रानिन्द्र देव बर्मा
289. कानू घोष

उत्तर प्रदेश

* 290. दौलत राम
291. के एन भट्ट
292. कमलापति त्रिपाठी
293. वीरेन्द्र भण्डारी

पश्चिम बंगाल

* 294. शांति घटक
* 295. बीरेन राय
* 296. आरती दासगुप्त
* 297. सोमेन कुण्डू
298. प्रशांत घोष
* 299. दीपंकर मुखर्जी
300. तारापदराय चौधरी
301. अजय क्षेत्री
* 302. निरुपम सेन
303. देवाशीष मैत्र
* 304. सुभाष चक्रवर्ती (बंदरगाह)
* 305. जगदीश दास
* 306. तड़ित तोपदार
307. बंसदेव मण्डल
308. जहर साव
309. मोहम्मद इस्लाम
310. गोपाल विश्वास (हावड़ा)
f 311. पी गंगाम्मा
312. मोहम्मद इस्राइल
313. रुनू चक्रवर्ती
314. दिलीप दास गुप्त
315. समीर बनर्जी
316. दीपक मुखर्जी
* 317. गोबिन्दा गुहा
318. आशुतोष बनर्जी
* 319. साधन कांजीलाल
320. हेमलाल चटर्जी
321. हिमांशु दास
f 322. निरुपमा चटर्जी
f 323. नीलिमा मैत्र
f* 324. रत्ना दत्ता
f 325. मलीना घोष
f 326. मनिषा चटर्जी
* 327. लक्ष्मण सेठ
* 328. देवांजन चक्रवर्ती
329. प्रणव दास
330. बिजन मित्रा
331. एस बी कर्माकर
* 332. प्रशांत नन्दी चौधरी
333. केदारनाथ मुखर्जी
334. मुरारी बासु

f *335. निशा राय
336. अबुल बसर
337. भीम कुमार
338. अरुण घोसाल
339. डी के बसु
340. किंकर पोसाक
341. सौमेन मुखर्जी
342. एस के इस्लाम
* 343. सुनील बसु राय
* 344. दिलीप मजूमदार
345. वामपद मुखर्जी
* 346. हराधन राय
* 347. मृणाल बनर्जी
* 348. बिनय चक्रवर्ती
349. हराधन झा
350. देवव्रत बनर्जी
351. दिलीप सरकार
352. गौतम घटक
353. एस के एन चौधरी
354. गंगा यादव
* 355. विकास चौधरी
f 356. दिपाली बसु
357. जितेन दुबे
* 358. राजदेव ग्वाला
359. रघुनाथ कुसारी
* 360. मोहम्मद निजामुद्दीन
* 361. रथिन सेन
* 362. नारायण साहा
* 363. विमल चटर्जी
364. दिलीप सेन
f 365. शिवानी सेनगुप्त
366. बादल कार
367. लक्ष्मी डे
368. प्रलय दासगुप्त
369. विजय तिवाड़ी
370. पेलाब मुखर्जी
371. अमर गांगुली
372. सुधीर चटर्जी
f 373. लीला दास
374. विजय भट्टाचार्य
375. हरिदास मालाकर
376. आनंद पाठक
377. एस पी लेपचा
378. बीरेन बोस
* 379. अजित सरकार (दार्जिलिंग)
* 380. सांतश्री चटर्जी
* 381. दिलीप चटर्जी
382. अजित भौमिक
383. सुखेंदू विश्वास
384. सुनील सरकार
* 385. दीपक दासगुप्त
* 386. निमाई सामंत
387. देवी पाठक
388. सुविनय घोष
* 389. मंटु बोस
* 390. माणिक सान्याल
* 391. जिया-उल-आलम
392. रोबिन राय
393. कृष्ण बनर्जी
394. आदित्य मिश्र
395. संकर विश्वास
396. राम लाल मुर्मू
f 397. सुकमति उरांव
f 398. चन्द्रमयी ब्राह्मण

399. दीपक सरकार
400. काली नायक
401. विश्वनाथ दा
402. किरती डे बोक्सी
403. प्रशांत पात्र
404. गुरूपद बर्मन
* 405. तुषार डे
406. अबुल हसनत खां
407. चितरंजन सरकार
408. कनाई लाल मिश्र
409. विजय भौमिक
410. प्रणव विश्वास
411. सुबोध गांगुली
412. विश्वनाथ मित्र
413. प्रद्युत सेन (पुरुलिया)
414. कृष्ण प्रसाद सिंह देव
* 415. अजित चौधरी
* 416. गोपाल भट्टाचार्य
* 417. टी के तिवारी
418. सुभाष मुखर्जी
419. प्रदीप चक्रवर्ती
420. पारितोष लहरी
* 421. शांतिमय भट्टाचार्य
* 422. निर्मल मुखर्जी
423. सुबीर विश्वास
424. सुशांत दास
* 425. मृणाल दास
426. पियूष सरकार
427. सिहरन आचार्य
* 428. सुभाष चक्रवर्ती
429. लक्ष्मण भट्टाचार्य
430. रणजीत कुण्डू
431. मसादुल हुसैन
432. कृष्णा स्वप्न मित्र
f 433. अपर्णा दास
434. आलोक भट्टाचार्य
435. समीर पाल
436. सुधीर सरकार
437. बाटा कृष्ण राय
* 438. निखिल मुखर्जी
439. वासुदेव आचार्य
440. प्रशांत घोष (हुगली)
441. निर्मल पोद्दार
442. रतन दासगुप्त
443. आनादी साहू
444. जयंत दासगुप्त
445. असीम बनर्जी
446. स्वप्न साहा
447. काली शंकर पाल
448. सुधीर राय
449. सुजीत घोष
450. तड़ित घोष
451. निर्मल जाना
452. हेम भट्टाचार्य
453. रास बिहारी पात्र
454. तारिणी राय
455. वैद्यनाथ चांद
456. राधारमण हेन्स
457. सुभाष बोस
458. लगन देव सिंह
459. नेपाल देव भट्टाचार्य
460. राबिन पाल
461. भास्कर सेन
462. निरंजन चटर्जी

463. प्रद्युत सेन
464. अमिताभ नन्दी

केन्द्र

* 465. परमेश्वर सिंह
* 466. सुकोमल सेन
* 467. जे बल्लभ
468. अशोक वासिष्ठ
f 469. रंजना निरूला
f 470. ए आर सिंधु

---

* कार्य समिति सदस्य
f महिला सदस्या
f* कार्य समिति की महिला सदस्या